खण्ड १ — अंक ४
१८ फरवरी, १९५६, (शनिवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खंड १—१५ फरवरी, १९५६ से ३ मार्च, १९५६ तक]

	पृष्ठ
संख्या १—बुधवार, १५ फरवरी, १९५६	
राष्ट्रपति का अभिभाषण	१–५
अध्यक्ष महोदय से सन्देश	६
श्री नटेशन का निधन	६
विशेषाधिकार प्रश्न ...	६–७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ...	७
स्थान प्रस्ताव—	
पुर्तगाली सशस्त्र सेना द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण	८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	८–१०
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक	१०
प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक	११
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक	११
दैनिक संक्षेपिका ...	१२–१५
संख्या २—गुरुवार, १६ फरवरी, १९५६	
श्री मेधनाद साहा का निधन	१७
दैनिक संक्षपिका ...	१८
संख्या ३—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर राज्य में गोली चलाना –	१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२०–२२, २३
ग़ैर-सकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ...	२१, ४६–४७
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक	२१
बिक्री-कर विधियां मान्यीकरण विधेयक	२१–२२
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक	२२
जीवन बीमा निगम विधेयक ...	२२
लोक-सभा का कार्य	२३, ४६
विशेषाधिकार का प्रश्न ...	२३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, ...	२४–४२
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४३–४६
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प	४७–६४
दैनिक संक्षेपिका	६५–६६

संख्या ४--शनिवार, १८ फरवरी, १९५६

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	६८
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७–७०
खंड १--२९	७०–९७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	९७
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधि जीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९७–१०४
खंड १--२ और अनुसूची ...	१०४–०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१०५
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१०५–०६
खंड १--२	१०६–०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	१०७–१०
भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११०–१३
खंड १--९ और अनुसूची १--३ ...	११३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११४–१५
सेंट जान एम्बूलेंस एसोशिएसन (भारत) विधियों का स्थानान्तरण विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११५–१९
खंड १--२ और अनुसूची ...	११६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११६–१७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	१२६
संख्या ५--सोमवार, २० फरवरी, १९५६	
आचार्य नरेन्द्र देव का निधन	१२७–२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२९
कार्य मंत्रणा समिति--	
इकतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१२९
दो सदस्यों की नज़रबन्दी से रिहाई ...	१२९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ...	१३०–७०
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१७०–८३
खंडों पर विचार	१८३–८७
दैनिक संक्षेपिका	१८८

पृष्ठ

संख्या ६---मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १८९–९०
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक--रायें १९०
राज्य-सभा से संदेश १९०
बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९५६ १९१
प्राक्कलन समिति
उन्नीसवां प्रतिवेदन १९१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक--
खण्ड १९१–९३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १९३–९६
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव १९६–२३५
दैनिक संक्षेपिका ... २३६–३७

संख्या ७---बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

स्थगन प्रस्ताव--
कच्छ की खाड़ी के छाड़बेट में पाकिस्तानी सेना का बलात् प्रवेश २३९–४१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र २४१–४२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चालीसवां प्रतिवेदन ... २४२
समिति के लिये निर्वाचन--
दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार ... २४३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव २४३–९१
दैनिक संक्षेपिका ... २९२–९३

संख्या ८---गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

सदस्य की गिरफ्तारी के लिये वारण्ट ... २९५
रेलवे आय-व्ययक का उपस्थापन ... २९५–३१३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव ३१३–५६
दैनिक संक्षेपिका ... ३५७

संख्या ९---शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५९
राज्य-सभा से सन्देश ३५९
भारत लाख उपकर (संशोधन) विधेयक ... ३५९
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकाएं ३५९–६०
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६०–७७
खण्ड २ और १ ... ३७७
पारित करने का प्रस्ताव ३७७–७८
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३७८–८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चवालीसवां प्रतिवेदन ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १७०क का रखा जाना) ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४२७क का रखा जाना) ३८६
विधान-मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) विधेयक ... ३८६
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५, आदि के स्थान पर नई धारा रखना)--
विचार करने का प्रस्ताव ३८६-४०१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें ४०१
श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४०१-०६
दैनिक संक्षेपिका ४०७-०८

संख्या १०--सोमवार, २७ फरवरी, १९५६

श्री जी० वी० मावलंकर का निधन ४०९-१६
दैनिक संक्षेपिका ४१७

संख्या ११--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

श्री लालचन्द नवलराय का निधन ४१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१९-२०
राष्ट्रपति से सन्देश ४२०
राज्य-सभा से सन्देश ४२०
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक ४२१
एक सदस्य की गिरफ्तारी ४२१
प्राक्कलन समिति--
बीसवां प्रतिवेदन ४२१
समिति के लिये निर्वाचन
राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ४२१
कृषिउत्पाद (विकास तथा गोदामों में रखने की व्यवस्था) निर्गम विधेयक ४२१-२२
पूंजी निर्गन (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४२२-२३
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४४३
पारित करने का प्रस्ताव ... ४४३
बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव ४४४-६३
दैनिक संक्षेपिका ४६४-६५

संख्या १२--बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४६७

प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक ४६७
विक्री-कर विधियाँ मान्यीकरण विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४६८-८८
खण्ड २, ३ और १ ४८९-९२
पारित करने का प्रस्ताव ४९२
सभा का कार्य ४९२
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४९२-५१०
१९५६-५७ के सामान्य आय-व्ययक का उपस्थापन ५१०-३२
वित्त विधेयक ५३२
दैनिक संक्षेपिका ५३३

संख्या १३--गुरुवार, १ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५३५
प्राक्कलन समिति--
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५३५
सभा का कार्य--
बैठक का समय ५३५
१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें ५३६...७६
विनियोग विधेयक ५७६
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५७६-९१
दैनिक संक्षेपिका ५९२

संख्या १४--शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५९३-९४
राज्य-सभा से सन्देश ५९४
विनियोग विधेयक ... ५९४
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५९५-६१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ६१२
सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं
की जांच के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ६१३-३५
मद्य निषेध के लिये अंतिम तिथि निश्चित करने के बारे में संकल्प ६३५
दैनिक संक्षेपिका ६३६

संख्या १५--शनिवार, ३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव ६३७-३८
सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६३९

वित्त विधेयक में छपाई की गलतियों के बारे में वक्तव्य ... ६३९

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव ६३९–६८

खण्ड २ से १६ और १ ६६८–७७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ६७७–७८

दैनिक संक्षेपिका ६७९

M87LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शनिवार, १८ फरवरी, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

कार्य मंत्रणा समिति

(इकतीसवां प्रतिवेदन)

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री एच० वी० पाटस्कर के निम्नलिखित प्रस्ताव पर, जो उन्होंने १७ फरवरी, १९५६ को प्रस्तुत किया था, आगे विचार करेगी, अर्थात् :

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०, में अग्रेतर संशोधन करने वाले और भाग "ग" राज्य शासन अधिनियम, १९५१, में कुछ आनुशंगिक संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं केवल उन बातों का संक्षेप में निदेश करूँगा जो कल चर्चा उठाई गई थीं ।

कल मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मुझे विश्वास है कि निर्वाचन आयोग उसी दल का, जो भी उपलब्ध हो, सहयोग प्राप्त करेगा । यह आश्वासन देने और माननीय सदस्य को यह बताने के बाद भी कि निर्वाचन आयोग ने इस मामले के बारे में क्या कहा है, मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों ने इस मामले में कुछ संदेह प्रकट किये हैं । मैं समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी कह चुका हूँ उसके अतिरिक्त इसके सिवाय और कुछ नहीं कह सकता कि मुझे विश्वास है कि उन विशेष परिस्थितियों के कारण, जो पिछले सामान्य निर्वाचन के समय विद्यमान थीं, कदाचित कोई भी दल या संघ सहयोग देने के लिये पूर्णतया तैयार न

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

था । यह एक नया काम था और मैं इसके लिये किसी को दोष देना नहीं चाहता । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि वे यह धारणा न बनायें कि निर्वाचन आयोग और उससे सम्बद्ध लोग कभी भी किसी दल से, विशेषकर विरोधी दलों से, सहयोग लेना नहीं चाहेंगे ।

मेरे माननीय मित्र कामत ने फीस का उल्लेख किया । उन्होंने कहा कि अब भी मत देने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम रजिस्टर में लिखवाने और इस प्रयोजन से रजिस्टर को ठीक करवाने की प्रार्थना पर ५ रुपये की दर से फीस ली जाती है । पूरी पूछ-ताछ किये बिना मैं कल जान बूझ कर कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहता था जो ठीक न हो । परन्तु, अब स्थिति यह है कि पहिले जब नियम बने थे उस समय फीस निःसंदेह ५० रुपये थी, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया । परन्तु नवम्बर १९५३ में नियमों में संशोधन हो गया और प्रार्थनापत्र देने की फीस घटाकर १ रुपया और अपील करने की फीस १० रुपये कर दी गई । निकाले गये अध्यादेश से उन नियमों में संशोधन करके अब जो नियम बने हैं उनमें मेरा ख्याल है कि फीस की दर वही है । अतः, प्रायः १९५३ से नाम लिखवाने की फीस १ रुपया और अपील करने की फीस १० रुपये है ।

†**श्री विभूति मिश्र** (सारन व चम्पारन) : यह भी नहीं रहनी चाहिये ।

†**श्री पाटस्कर** : इसका उत्तर मैं संशोधनों पर बोलते समय दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं जो कदाचित यह नहीं चाहते हैं कि किसी पर भी कोई भार डाला जाये । हम इस बात पर विचार करेंगे । इस मामले पर संशोधनों के साथ विचार किया जाना चाहिये ।

अर्हकर तारीख के बारे में मेरा ख्याल है कि मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ । किसी भी तारीख विशेष में कोई विशेषता नहीं है, वह चाहे मार्च में हो, या सितम्बर में या जुलाई में । परन्तु बाद यह है, कि संविधान के अनुच्छेद ३२६ के अन्तर्गत एक तारीख निश्चित की जानी होती है, जैसा कि मैं आरम्भ में बता चुका हूँ । मुझे विश्वास है कि जो भी तारीख निश्चित की जायेगी उससे कुछ लोगों को, जो पंजीबद्ध किय जाने से रह जायेंगे, निश्चय ही असुविधा होगी ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : कम से कम असुविधा ।

†**श्री पाटस्कर** : मान लीजिये कि इस बार हम निर्वाचनों की तारीख फरवरी या मार्च के महीने में निश्चित करते हैं । हो सकता है कि अब होने वाले निर्वाचनों की दृष्टि से कोई विशेष तारीख अधिक सुविधाजनक हो । परन्तु यह एक स्थायी संविधि है और हो सकता है कि हम इस समय जो तारीख निश्चित करें वह अगले निर्वाचनों के लिये या उसके बाद के निर्वाचनों के लिये सुविधाजनक न हों । हम जो भी तारीख निश्चित करें वह सम्भव है कि किसी आकस्मिक मामले में कुछ लोगों के लिए लाभदायक और कुछ लोगों के लिये जो कदाचित् उस तारीख तक इक्कीस वर्ष की अवस्था प्राप्त न कर सकें, अलाभदायक हो । अतः, मैं केवल यह कहूँगा कि प्रवर समिति ने प्रत्येक बात पर विचार करके १ मार्च निश्चित की है । इसमें न तो कोई विशेष विशषता है और न ही यह कोई ऐसी बात है जिसे हम कोई परिवर्तन करके संशोधन कर सकें । मेरा ख्याल है कि इससे कोई अधिक लाभ न होगा ।

दूसरी बात निर्वाचक अधिकारियों के बारे में कही गई थी । योजना यह है कि धारा १३-क, भाग २—क के अधीन, अब हम निम्न प्रकार के अधिकारी रखेंगे । प्रत्येक राज्य के लिये एक मुख्य निर्वाचक अधिकारी होगा । साधारणतया मैं समझता हूँ कि वह राज्य के विभाग के सचिव या उप-सचिव के दर्जे का होता है । फिर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये हमारा निर्वाचक पंजीयन अधिकारी होता है साधारणतया, यह अधिकारी एक उप-मंडलीय अधिकारी या उस निर्वाचन-क्षेत्र का अन्य अधिकारी होगा । इसके अतिरिक्त, हम सह-निर्वाचक पंजीयन अधिकारी रखेंगे जो प्रायः कुछ भागों के तहसीलदार या अमलदार जैसे अपेक्षाकृत निम्न दर्जे का होता है । बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े नगरों में ये अधिकारी

†मूल अंग्रेजी में

साधारणतया निगमों के ही अधिकारी होते हैं। उनका चुनाव इस आधार पर किया जायेगा कि वे लोग उस काम को जानने वाले और करने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हों जिसकी उनसे आशा की जाये। उदाहरणार्थ बम्बई नगर में इसके बजाये कि इस काम के लिये सचिवालय के किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाये, यदि कोई निगम से सम्बद्ध अधिकारी हो तो स्वभाविक है कि वह उस काम को, जिसकी उससे अधिनियम के अन्तर्गत आशा की जाती है, अच्छी तरह कर सकता है। इसी कारण हम ने भी यह उपबन्ध किया है कि निर्वाचक पंजीयन अधिकारी स्थानीय प्राधिकार का भी सेवक हो सकता है। छोटे क्षेत्रों में हमें केवल तहसीलदार या मुख्य नगरपालिका अधिकारी नियुक्त करने चाहियें। बड़े नगरों में निगमों में काम करने वाले व्यक्ति ही यह काम अच्छी तरह कर सकते हैं। इसी कारण हमने नई धारा १३-ख में उल्लेख किया है;

> "प्रत्येक विधान सभा के निर्वाचन क्षत्र, निर्वाचकगण निर्वाचन-क्षेत्र और परिषद निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली एक ऐसे निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी द्वारा बनाई तथा पुनरीक्षित की जायेगी, जो सरकार या किसी स्थानी प्राधिकार का ऐसा पदाधिकारी होगा जिसे निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के परामर्श से जिनमें निर्वाचन-क्षेत्र स्थित हो, इस कार्य के लिये नामोदिष्ट या मनोनीत करे।"

अतः जो उपबन्ध बने हैं उन्हें देखते हुए मैं महसूस करता हूँ कि सरकारी अधिकारी लगभग वैसा ही पूर्ण सन्तोषजनक काम करेंगे जैसा कि उन्होंने पहिले किया है।

जब सरकारी सेवक विदेशी सरकार के एजेंट थे उस समय हमें उनकी स्थिति और काम के बारे में संदेह था और यही कारण है कि हमने उन्हें नौकरशाही के पोषक समझ लिया है, और हम अब भी उस कार्य को, जो सम्भवतः वे करें या जो उन्हें करने के लिये दिया जाये, उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से हम उस काम को उस समय देखा करते थे जिस समय कि वे विदेशी सरकार के एजेंट थे। परन्तु मैं इसकी दूसरी ओर यह बताना चाहता हूँ कि यदि यह कार्य वर्तमान सरकार के एक अच्छे दर्जे के उचित पदाधिकारियों को सौंपा जाता है . . . .

†**श्री कामत :** उचित पदाधिकारियों का क्या अर्थ है ?

†**श्री पाटस्कर :** वह ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिये जिसका भूतकाल अच्छा न हो, आदि।

†**श्री कामत :** कांग्रेस-पक्षी नहीं ?

†**श्री पाटस्कर :** मैं इसी मुख्य बात पर आ रहा हूँ। मैं अपनी बात केवल इस बात तक ही सीमित नहीं रखूंगा; वह कांग्रेस का समर्थक समाजवादी का समर्थक या साम्यवादी का समर्थक आदि नहीं होना चाहिये। हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि भूतकाल के सरकारी कर्मचारियों और संविधान लागू होने के बाद जो सरकार सत्तारूढ़ हुई है उसके कर्मचारियों में कुछ अन्तर है। इसका कारण यह है कि नई परिस्थितियों में, आजकल कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ है, कल या पांच वर्ष बाद हो सकता है कि समाजवादी सरकार सत्तारूढ़ हो जाये, और उसके हो सकता है कि राम राज परिषद् की सरकार सत्तारूढ़ हो; हम यह पूर्णतया नहीं जानते। अतः, जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, एक साधारण व्यक्ति की अपेक्षा उसमें यह अन्तर है। मैं अनुरोध करता हूँ कि लोक-सभा और विशेष कर श्री कामत इस बात पर विचार करें कि नई परिस्थितियों में उच्चतम सरकारी कर्मचारी सदैव यह महसूस करते हैं कि वे अनिवार्यतः एक दल के सेवक नहीं है, क्योंकि दल तो बदल भी सकता है। इंग्लैंड या अन्य देशों में, जहाँ कदाचित लोकतन्त्र दीर्घकाल से चला आ रहा है, इस बात की सम्भावना थोड़ी है कि सरकारी कर्मचारी किसी दल-विशेष का पक्ष लें या ऐसे ढंग से कार्य करें जो अन्य दलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, क्योंकि कुछ भी हो, वे स्थिर रहने वाले लोग हैं, और उन्हें अपना काम करना है। उनका

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि तत्समय कौन दल सत्तारूढ़ है । अतः निर्वाचन आदि के मामले में हमें इन सरकारी कर्मचारियों को उस दृष्टि से देखने की बजाय, जो हमने उस समय अपनाई थी जब कि वे विदेशी शासन के सेवक थे, इस नई दृष्टि से देखना चाहिये । स्वभावतः, उस समय किसी वर्ग के सत्तारूढ़ होने का कोई प्रश्न या सम्भावना न थी । उस समय जहाँ तक वे देख सकते थे, निकट भविष्य में कोई ऐसा अवसर न था कि वे श्री कामत या दूसरे दल के किसी व्यक्ति के अधीन काम करेंगे । परन्तु नई परिस्थितियों में, मैं महसूस करता हूँ कि हमें उन संदेहों में से कुछ संदेह त्याग देने चाहियें जो हम में उन भावनाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं जिनका सम्बन्ध सरकारी कर्मचारियों से है । मैं इसी बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ, क्योंकि कल मैंने देखा था कि पर्याप्त समय यह कहने में ही बीत गया था कि इस नौकरशाही के समाप्त होने में बहुत समय लगेगा, आदि ।

जहाँ तक निर्वाचन कार्य का सम्बन्ध है, कोई ऐसा मामला हमारी नज़र में नहीं आया है और न ही कोई व्यक्ति ऐसा मामला बता सका है जिसमें वास्तव में कोई गलत काम किया गया हो । हो सकता है कि कुछ मामलों में संदेह हो; वह एक भिन्न बात है ।

नियम-निर्माण शक्तियों के बारे में कुछ आलोचना हुई थी । मेरा ख्याल है कि उसमें कदाचित प्रवर समिति का दृष्टिदोष था । दूसरे विधेयक में, जिस पर प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, नियम-निर्माण शक्ति उचित रूप में रखी गई है । मैं इस विधेयक के संगत उपबन्ध में संशोधन करने को तैयार हूँ ताकि इसका रूप भी वही हो जाये जिस रूप में हम इसे अन्य विधेयकों में रखने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

मेरा ख्याल है कि समूचे रूप में लोक-सभा ने इस विधेयक का स्वागत किया है । मैं आशा करता हूँ शीघ्र ही यह विधेयक पारित हो कर नियम बन जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम, १९५१, में कुछ आनुसंगिक संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २–(धारा २ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस खंड का एक संशोधन है, अर्थात् संशोधन संख्या १४ ।

†**श्री पाटस्कर** : यह संशोधन पहले हो चुका है । अब धारा २ पूर्णतः ठीक है । आन्ध्र राज्य अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन हो चुका है । अतः, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३–६

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्योंकि खंड ३ से ८ तक का कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं इन खंडों को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ से ६ तक विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ से ६ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ७–(धारा १२ का संशोधन)

†**श्री बर्मन** : खंड ७ में यह उपबन्ध किया गया है कि मुख्य अधिनियम की धारा १२ से 'धारा ६, धारा ९ या' शब्द और अंक हटा दिये जायेंगे । इसका कारण प्रवर समिति के प्रतिवेदन की कंडिका ९ में दिया गया है । मेरा निवेदन यह है कि सर्वप्रथम यह नहीं समझा जाता कि ये दोनों धारायें केवल अस्थायी प्रस्थापनायें हैं । अतः अब मुझे धारा १२ से इन दोनों धाराओं के निर्देश को निकालने का कोई कारण दिखाई नहीं देता ।

सम्भव है कि ऐसे अवसर आयें जब निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हो । अतः इस उपबन्ध की अत्यधिक आवश्यकता है ।

इसलिये, निकट भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि यदि अगले साधारण निर्वाचन के आने के पहले ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन कर दिया जाता है तो निश्चय ही निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः परिसीमित करने के अवसर आएंगे अथवा धारा ७, ६ और ९ के अन्तर्गत परिसीमित किये गये निर्वाचन-क्षेत्रों में परिवर्तन किये जायें । इसलिये मुझे धारा ६ और ९ को धारा १२ की कार्यान्विति से अलग करने और उसके द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति ले लेने का कोई कारण दिखायी नहीं देता । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय स्थिति को स्पष्ट कर देंगे ।

†**श्री कामत** : मैं अपने मित्र श्री बर्मन द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण का समर्थन करना चाहता हूँ और मैंने कल इस सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत करने की भी सूचना दी थी, परन्तु क्योंकि मेरा संशोधन इस खण्ड को निकाल देने का था इसलिये उसको सूची में शामिल नहीं किया गया है । मुझे इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता धारा ६ और ९ के प्रति निर्देश को क्यों हटा दिया जाय । यदि राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो उसका न केवल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर असर पड़ेगा वरन् उससे विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्र भी प्रभावित होंगे और उनमें फेर-बदल करने की आवश्यकता पड़ेगी । इन धाराओं के प्रति निर्देश को हटा देने से कोई लाभ नहीं होगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि खण्ड ७, जो धारा १२ में धारा ६ और ९ के प्रति निर्देश का उल्लेख न करने का उपबन्ध करता है, निकाल दिया जाय ।

†**श्री पाटस्कर** : कुछ ग़लतफहमी प्रतीत होती है । विधेयक के खण्ड ७ में यह कहा गया है कि मूल अधिनियम की धारा १२ की धारा ६ और ९ के प्रति निर्देश को निकाल दिया जाय । धारा ६ राष्ट्रपति को संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को परीसीमित करने की शक्ति देती है । इसी प्रकार धारा ९ राष्ट्रपति को विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमित करने की शक्ति देती है । १९५० में जिस समय यह अधिनियम पारित किया गया था यह आशा नहीं थी कि निर्वाचन-क्षेत्रों को परिसीमित करने का कार्य तत्काल उचित ढंग से पूरा किया जा सकेगा । इसलिये अन्य मामलों की तरह इन धाराओं में भी राष्ट्रपति को निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमित करने की शक्ति दे दी गई थी । उसके उपरान्त, १९५२ में हमने परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया, और अब उस अधिनियम के आधार पर संसद् और विधान सभाओं के चुनावों के लिये निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कर दिया गया है ।

जहाँ तक साधारण निर्वाचन का सम्बन्ध है, उस अधिनियम के अनुसार परिसीमन किया जा चुका है । इसलिये इस बीच निर्वाचन क्षेत्र जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे । यही आशा की गई है, क्योंकि जब साधारण निर्वाचन आयेंगे, तब वह कमोबेश परिसीमित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही किये जायेंगे । अब, मान लीजिये कि इस बीच राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न आ जाता है—मैं इस बात पर तनिक विस्तारपूर्वक प्रकाश डालना चाहता हूँ । मान लीजिये कि राज्यों के पुनर्गठन का काम विधान सभाओं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

और संसद के कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन, को आवश्यक बना देता है । इसमें, सबसे अच्छा ढंग यह नहीं होगा कि राष्ट्रपति की इन शक्तियों के अन्तर्गत कार्य किया जाय जो केवल थोड़े समय के लिये उनको प्रदान की गई थी; वरन् यह होगा कि परिसीमन आयोग अधिनियम के अन्तर्गत काम किया जाय, यहां तक कि यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन भी किया जाय । प्रवर समिति का दृष्टिकोण यह था कि जहां तक राज्यों के पुर्नगठित किये जाने का सम्बन्ध है, हमें इस समय यह मालूम नहीं कि उनका निश्चित स्वरूप क्या होगा, और जब यह कार्य किया भी जा चुकेगा, उस समय भारत के सभी भागों में विधान सभाओं के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्त्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वरन कुछ भागों में कुछ परिवर्त्तन करने की आवश्यकता हो सकती है । मैं समझता हूँ कि यह कार्य धारा ६ और ९ का आश्रय लेकर अच्छे ढंग से नहीं किया जा सकता जिन का स्वरूप, मंशा और उद्देश्य अस्थायी हैं—वरन् परिसीमन आयोग अधिनियम के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करने पर ही किया जा सकता है । निश्चय ही, यदि कोई संशोधन करना आवश्यक हो ही जाता है, तो वह संशोधन स्वयं उस अधिनियम में ही किया जाना चाहिये जिससे परिसीमन सम्बन्धी कार्य में एकरूपता लायी जा सके । मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण इस बात की कद्र करेंगे कि प्रवर समिति ने यह सोचा कि हमें इस अधिनियम पर ऐसी धाराओं का भार डालते रहने की आवश्यकता नहीं है जिनका उद्देश्य अस्थायी था और जिनका प्रवर समिति के विचार में कोई प्रयोजन नहीं हो सकता । इसलिये मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि धारा १२ में धारा ६ और ९ के प्रति निर्देश को हटाकर उचित ही कार्य किया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ९—(नये भागों २-क और २-ख का रखा जाना)

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) ने संशोधन संख्या १५, १६ और १७, **श्री कामत** ने संशोधन संख्या १८ और **श्री कृष्णचन्द्र** (ज़िला मथुरा—पश्चिम) ने संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत किये ।

†**श्री साधन गप्त** : जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किये हैं उनका उद्देश्य निर्वाचकों का पंजीयन करने के लिये एक स्वतन्त्र व्यवस्था का उपबन्ध करना है । अपने पहले संशोधन द्वारा मैंने यह उपबन्ध किया है कि मुख्य निर्वाचक अधिकारी निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जायेगा और निर्वाचन-आयोग द्वारा सरकार के पदाधिकारियों में से पद-निर्देशित अथवा नामनिर्देशित नहीं किया जायगा । जैसा आपने कल संकेत किया था 'नामोद्दिष्ट' अथवा 'नामनिर्देशित' शब्दों के प्रयोग का आवश्यक रूप से यह अर्थ होगा कि सम्बन्धित अधिकारी उस राज्य में ही काम करने वाला कोई अधिकारी होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह केन्द्रीय सरकार का भी तो कोई कर्मचारी हो सकता है जो उस राज्य में सेवायुक्त हो और जिसको केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से नामोद्दिष्ट किया गया हो ।

†**श्री साधन गुप्त** : यह बात ठीक है । परन्तु हमारा अनुभव है कि ऐसे मामलों में अधिकतर राज्य सरकार के पदाधिकारी ही नामोद्दिष्ट किये जाते हैं । इसलिये, सब व्यावहारिक बातों के लिये, हम यह मान सकते हैं कि अधिकतर यह राज्य सरकार के पदाधिकारी ही होंगे । यों भी, चाहे वह केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारी हों अथवा राज्य सरकार के पदाधिकारी हों, यह बात निश्चित है कि वह कार्य-

†मूल अंग्रेजी में

पालिका-प्राधिकारी होंगे और पूरी तरह स्वतन्त्र अधिकारी नहीं होंगे। जिन मामलों में विरोधी पक्षों-शासकदल और विरोधी दल के बीच खींचतान चल रही हो, और जहाँ ऐसे समूह हों जो सरकार के विरोधी हों, वहाँ यदि कार्यपालिका-प्राधिकारी पर्याप्त अभिरुचि दिखाये और सम्बन्धित अधिकारियों पर दबाव डालने की चेष्टा करे तो उनके लिये विरोध करना कठिन होगा और निर्वाचकों का पंजीयन करने में गड़बड़ी की जा सकती है। इसलिये मुख्य-निर्वाचक अधिकारी निर्वाचक पंजीयन अधिकारी निर्वाचन आयोग के ही पदाधिकारी होने चाहियें, सरकार के नहीं ।

मैं इस तथ्य से पूर्णतया अवगत हूँ कि उनके लिये सदा पर्याप्त काम नहीं हो सकता है। परन्तु यदि ऐसा हो तो लोग अंश-कालिक आधार पर रखे जा सकते हैं। या यदि इसको अवांछनीय माना जाय तो फिर अच्छी और स्वतन्त्र पंजीयन प्रणाली के लिये मैं इस स्थिति को भी स्वीकार करने के लिये तैयार हूँ कि केवल बचत के ख्याल से ऐसे सरकारी अधिकारियों को, जिन पर दबाव डाला जा सके, सेवायुक्त करने के स्थान पर इन को कम काम करने के लिये ही नियुक्त किया जाय।

इसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर मैंने संशोधन संख्या १६ प्रस्तुत किया है जिसमें निर्वाचन आयोग को निर्वाचक पंजीयन अधकारी की नियुक्ति करने का भी अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचक अधिकारी को निर्वाचन नामावलियां तैयार करने के काम की देखरेख करने का काम सौंपा जाता है और निर्वाचक पंजीयन अधिकारी सीधे निर्वाचन नामावलियां तैयार कराने के लिये उत्तरदायी होता है। इसलिये, इन पदाधिकारियों को सरकारी प्रभाव से यथासंभव स्वतन्त्र ही रखा जाना चाहिये।

मेरा संशोधन संख्या १७ भी इसी अभिप्राय से प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उसका उद्देश्य कुछ कम महत्त्वाकांक्षापूर्ण है। यदि मेरे दोनों संशोधन अस्वीकृत हो जायें तो मैं अपने तीसरे संशोधन की सिफारिश करूँगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय प्राधिकार पदाधिकारियों को अपवर्जित करना है। हमारे देश के स्थानीय प्राधिकारी जरा भी विश्वसनीय नहीं हैं, तो लोकतन्त्रात्मक ढंग से निर्वाचित भी नहीं किये जाते हैं। इसलिये, निर्वाचकों की निर्वाचन नामावलियां तैयार करने का काम स्थानीय प्राधिकारियों को सौंप देना बहुत खतरनाक होगा ।

†**श्री कामत :** मैं अपनी बात को विधेयक के खण्ड़ की धारा १३-ध तक ही सीमित रखूंगा। हमारे पास पहले से ही एक नियम है जो मुख्य अधिनियम के अधीन बनाया गया है, और इस मामले से सम्बन्धित है। इसलिये मुझे उसी कार्य को करने के लिये इस नये उपबन्ध के रखे जाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता।

जहाँ तक मेरे संशोधन का सम्बन्ध है, वह बिल्कुल मामूली है और इस उपबन्ध की भाषा अथवा शाब्दिक पहलू से ही सम्बन्धित है।

इसके अतिरिक्त मुझे केवल एक बात और कहनी है, और वह प्रस्थापित धारा १३-क की उपधारा २ से सम्बन्धित है। मैंने इस सम्बन्ध में कोई संशोधन तो प्रस्तुत नहीं किया है परन्तु यदि सभा को स्वीकार हो तो जिस प्रकार प्रवर समिति ने खण्ड २४ में पुनरीक्षण के साथ त्रुटि-सुधारने की बात जोड़ दी है, उसी प्रकार इस उपधारा में भी संशोधन कर दिया जाय। निर्वाचन नामावलियों के तैयार किये जाने, पुनरीक्षित किये जाने और सुधारे जाने के काम की देख-रेख करने के लिये एक मुख्य निर्वाचक अधिकारी होना चाहिये ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर)** : जहाँ तक श्री साधन गुप्त द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों का प्रश्न है, मुझे भय है कि उन्होंने मुख्यतया उन प्रशासनिक कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया है जो इन निर्वाचक अधिकारियों का चुनाव किये जाते समय उत्पन्न होंगी। उन्होंने जो संशोधन प्रस्तावित किया है उसमें निर्वाचन आयोग को यह अधिकार देने की प्रस्थापना की गई है कि वह सीधे किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, जो न तो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी हो और न स्थानीय सरकार का हो। यदि यह किसी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

सुयोग्य व्यक्ति को ही नियुक्त करने का प्रश्न है, तो आयोग को स्थानीय सरकार से परामर्श कर के सबसे सुयोग्य व्यक्ति को ढूंढ़ना पड़ेगा । आपत्ति यह प्रतीत होती है कि संभवतः स्थानीय सरकारें अपने ही अधिकारियों को चुनेगीं और वह तत्कालीन सरकार के प्रति पक्षपात कर सकते हैं । परन्तु सामान्यतया सरकार का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी ही, जिनमें आई० सी० एस० अथवा आई० ए० एस० पदाधिकारी को ही प्रथमिकता दी जाती है, इस कार्य के लिये चुना जाता है, क्यों कि यह अखिल भारतीय सेवा से सम्बद्ध होते हैं, इसलिये निष्पक्ष रहने की इनकी क्षमता पर विशेष संदेह नहीं किया जाना चाहिये । मैं, इसलिये, श्री साधन गुप्त द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का विरोध करता हूँ ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : मैं अपने मित्र श्री साधन गुप्त द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । मैं समझता हूँ कि इस देश में लोकतंत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह संशोधन अत्यन्त आवश्यक हैं । मुझे यह स्पष्ट स्वीकार करना पड़ेगा कि इस देश में निर्वाचन आयोग ने जिस ढंग से कार्य किया है उस के कारण हमारे देश की निर्वाचन-विधि का मान बढ़ा है और निर्वाचनों की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता पिछले साधारण निर्वाचन में निष्कलंक रही है । परन्तु साथ ही, मैं यह भी कहूँगा कि राज्यों में उसके अन्तर्गत जिस शासन यंत्र ने कार्य किया उसके संबंध में यही बात नहीं कही जा सकती है । विशेष रूप से, निर्वाचक पदाधिकारी और अन्य निम्नतर पदाधिकारियों की वैसी प्रशंसा नहीं की जा सकती है जैसी कि हमारे माननीय विधि कार्य मंत्री ने की है । मैं समझता हूँ कि उनका यह कथन असंगत ही रहा कि पुराने शासन के अधीन नौकरशाही और नये शासन के अधीन नौकरशाही में अन्तर है । मैं जानता हूँ कि अन्तर है, परन्तु अन्तर यह है कि पुराने निरंकुश शासन में नौकरशाही को यह ज्ञात था कि वह निष्पक्षता से कार्य कर सकती थी और उसको कोई छू तक नहीं सकता था । परन्तु जब नौकरशाही को ऐसे मंत्रियों के नीचे काम करना पड़ता है जो स्वयं भी निष्कलंक नहीं हैं तब मैं अधिकारियों को दोष नहीं देता हूँ । ऐसे भी मंत्री हैं जो अधिकारियों को हटा देते हैं, उनको पदोन्नति नहीं देते हैं, उन को अधिक उत्तरदायित्व क काम नहीं देते हैं और इसलिये अधिकारीगण विचित्र परेशानी की स्थिति में पड़ जाते हैं । हमारे सामने ऐसी घटनायें आ चुकी हैं जिनमें निर्वाचक अधिकारियों ने पक्षपात किया है । शिकायतें की गई हैं, परन्तु उनका निर्णय भी स्थानीय सरकार ने ही किया है इसलिये हमारे साथ न्याय भी नहीं किया जा सका है । यदि यह विधेयक भी उसी समय हमारे सामने लाया गया होता तो इन निर्वाचक अधिकारियों के अधिकारों और कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में चर्चा की गई होती । इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे देश में एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ऐसा अधिकारी अवश्य होना चाहिये जो इस बात की देख-रेख करता रहे कि निर्वाचनों का सारा कार्य निष्पक्ष ढंग से किया जाता है, और यदि इस कार्य को पूरा करना है, तो मैं यह भी कहूँगा कि निर्वाचन आयोग की स्वयं अपनी पदाली होनी चाहिये और प्रत्येक राज्य के लिये निर्वाचन अधिकारी इसी पदाली में से नियुक्त किये जाने चाहिये । यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो राज्य के किसी न्यायिक या प्रशासनिक पदाधिकारी को चुना जाना चाहिये और उसकी नियुक्ति की जानी चाहिये, उस का नामोद्देशन अथवा नामनिर्देशन नहीं होना चाहिये । होता यह है कि किसी अवर-सचिव या सचिव को नामोद्दिष्ट अथवा नामनिर्देशित कर दिया जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता ।

हम यह चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग किसी स्वतन्त्र पदधिकारी की मुख्य निर्वाचक अधिकारी के रूप में नियुक्त करे । यदि इसके लिये ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़े, जिनके पास पर्याप्त कार्य न हो तो भी हम को यह देखना है कि ऐसे ही पदाधिकारी नियुक्त किये जायें कि जिनकी निष्पक्षता असंदिग्ध हो । हमारे अपने संदेहों की कोई बात नहीं है, हम इसको जानते हैं । यह पदाधिकारी यह समझते हैं उनको इन्हीं मंत्रियों के अधीन रहकर ही कार्य करना है । दुर्भाग्यवश हमारे देश में इंग्लैण्ड

†मूल अंग्रेजी में

के समान विरोधी दल इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि इन पदाधिकारियों को यह भय रहे कि कल इन मंत्रियों के स्थान पर दूसरे मंत्री भी आ सकते हैं। मेरा अपना विचार यह है कि क्योंकि अभी तक विशेष रूप से इस देश में विरोधी दलों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, अतः हमें इस बात की पूरी व्यवस्था कर देनी चाहिये कि निर्वाचन उचित ढंग से किये जा सकें और निर्वाचन आयोग को मुख्य निर्वाचक अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाये।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : आज श्री देशपांडे ने क्लाज़ ९ में श्री साधन चन्द्र गुप्त के अमेंडमेंट के सिलसिले में जो तकरीर की है और कल भी कनसिडरेशन स्टेज में श्री बसु ने जो तकरीर की, उन में उन्होंने डेमोक्रेसी का नाम लिया है और डेमोक्रेसी के नाम पर उस अमेंडमेंट का समर्थन किया है। लेकिन मैं देखता हूँ कि वे डेमोक्रेसी के बुनियादी उसूल की ही मुख़ालिफत करना चाहते हैं। अगर डेमोक्रेसी का मतलब इन्सान पर यकीन करना है, तो सब से पहले वह इन्सान पर यकीन ही नहीं करते—वह उस की बुनियाद ही सन्देह और शको-शुबहा पर डालते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि अगर इलैक्शन कमीशन किसी आफिसर को डेज़िगनेट या नामीनेट करे या उस को एपायंट करे, तो उस आफ़िसर की ईमानदारी या गैर-ईमानदारी में कैसे फ़र्क पड़ जायगा। मैं समझता हूँ कि ईमानदारी किसी हद तक एक इन्सान आपकी इन्सानियत पर-मनुष्य के कैरेक्टर पर निर्भर करती है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि अगर किसी आफ़िसर को इलैक्शन कमीशन मुकर्रर कर देगा, तो उसमें ईमानदारी आ जायगी, लेकिन यदि उसको गवर्नमेंट के कन्सल्टेशन के बाद मुकर्रर किया जाता है, तो वह ईमानदार और इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है इस प्रकार अपनी शिकायतों को सामने ला कर उसके बहाने एक उसूल की मुखालिफ़त करना मेरी समझ में नहीं आया है। अगर एक आफ़िसर, जो एक ज़िम्मेदार जगह पर काम कर रहा है, कोई बेईमानी करता या किसी के असर में आता है, वह तो आफ़िसर रहने के काबिल ही नहीं है—उस को चाहे कोई एपायंट करे या नामिनेट करे। हम सब जानते हैं कि इलैक्शन कमीशन जिस आफिसर को गवर्नमेंट के कन्सल्टेशन से डेज़िगनेट या नामीनेट करेगा, वह तो इलैक्शन के काम को सिर्फ सुपरवाइज करेगा और इलैक्ट्रल-रोल्ज़ को तैयार और रिवाइज़ करवायेगा। वह स्वयं हर जगह नहीं जायगा और उसको जगह-जगह पर काम करने के लिये आफ़िसर्ज़ मुकर्रर करने होंगे। इसका मतलब तो यह होगा कि उन आदमियों का एक नया कैडर बनाया जाय और एक नई किस्म के सब आदमी रखे जायें, जो कि मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है।

उनकी दलीलें और उनकी बुनियाद इतनी कमज़ोर हैं कि इस अमेंडमेंट को हरगिज़ नहीं माना जाना चाहिये। देशपांडे जी ने कहा कि हम इस का पूरा खर्च देंगे—वी आर प्रिपेयर्ड टु पे दि प्राइस। आखिर वह कितनी प्राइस पे करेंगे? एक तरफ तो वह कहते हैं कि इन मिनिस्टर्ज़ का दिमाग काम नहीं करता और वे सेक्रेटरीज़ और आफिसर्ज़ के हाथों में खेलते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम को स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले में आफ़िसर्ज़ पर ज्यादा विश्वास है। इस समय उन की कौन सी बात मानी जाय? यह माना जाय कि आफ़िसर्ज़ अपनी जगह मज़बूत हैं या यह माना जाय कि मिनिस्टर्ज़ मज़बूत हैं। इसलिये मैं अमेंडमेंट की मुखालिफ़त करता हूँ इस क्लाज़ को इसी रूप में पास कर देना चाहिये। अगर आफ़िसर्ज़ को डेज़िगनेट या नामीनेट करने के बजाय एपायंट किया गया, तो एक नया कैडर, एक नया डिपार्टमेंट और एक नई मशीनरी पैदा करनी पड़ेगी। हम को इतने आदमी नहीं मिल सकते हैं कि हम यह पूरी मशीनरी नए सिरे से तैयार कर सकें। इसलिये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल पायंट आफ़ व्यू से यह क्लाज़ इसी शक्ल में पास की जानी चाहिये।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : मैंने अपने मित्र श्री साधन गुप्त द्वारा प्रस्तुत संशोधन देखे हैं और मुझ को इस बात में भी संदेह है कि इन को स्वीकार कर लेने पर भी विरोधी पक्ष की कुछ उचित शंकायें दूर हो सकेंगी अथवा नहीं। यदि हम इंगलैण्ड के कानूनों को देखें तो हमें पता लगता है कि वहाँ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एस० एस० मोरे]

निर्वाचन सम्बन्धी कार्य के लिये केवल सरकारी कर्मचारी ही नियुक्त नहीं किये जाते हैं वरन् ऐसे गैर-सरकारी व्यक्ति भी रखे जाते हैं जिनको सभी सम्बन्धित दलों का सम्मान प्राप्त रहता है और निर्वाचन उचित ढंग से किये जाते हैं और सब के साथ न्याय किया जाता है। इसका कारण यही है कि वहाँ के सभी दलों को लोकतन्त्र की कार्यान्विति में पूर्ण विश्वास है। इसलिये, केवल सरकार ही नहीं, वरन् विरोधी दल भी एक प्रकार से देश के निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

मैं यह बात समझ सकता हूँ कि सरकारी पदाधिकारी भी मनुष्य ही हैं और उनको जब यह आभास मिलता है कि यदि सत्तारूढ़ दल के हित में कोई कार्य करने से उनका लाभ होता है, या वह किसी हानि से बचे रहते हैं, तो उनके लिये सरकार की नीति का पालन करना, और ऐसे ढंग से कार्य करना स्वाभाविक ही होगा जिससे विरोधी दलों को यह प्रतीति हो कि वे सत्तारूढ़ दल के लिये हितकारी ढंग से कार्य कर रहे हैं। परन्तु क्या जो दल इस समय सत्तारूढ़ है वही सदैव ही शक्ति सम्पन्न बना रहेगा। यदि हम राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों और अनेक अन्य सरकारी प्रस्थापनाओं के फलस्वरूप हुई घटनाओं पर विचार करें तो यह सम्भव है कि कुछ राज्यों में अन्य दल भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन राज्य सरकारों के परामर्श से जो निर्वाचक अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे उनके निष्पक्ष रहने की सम्भावना हो सकती है, क्योंकि उनको केन्द्र के एक दल और राज्य के दूसरे दल की परस्पर विरोधी शक्तियों को अधीन रह कर कार्य करना पड़ेगा। परन्तु मेरी अपनी धारणा यह है कि विरोधी दलों और लोकतन्त्र में विश्वास करने वालों के लिये सब से अच्छा ढंग यही है कि वह निर्वाचक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के दोष दिखाने के स्थान पर देश में एक सशक्त विरोधी पक्ष की स्थापना करें जिससे कि शक्ति का सुन्दर सन्तुलन हो सके और अधिकारी भी यह समझ सकें कि यदि उन्होंने किसी दल विशेष का ही पक्ष लेने का प्रयास किया तो पचास प्रतिशत सम्भावना यह भी हो सकती है कि दूसरा कोई दल, जो बराबर की शक्ति संग्रह कर रहा है, उसको चुनौती दे दे। यदि इस प्रकार का सुनिश्चय कराया जा सके और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकें जिनमें उनके मस्तिष्कों में यह भय कार्य कर सकें, तो सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणाली स्वतः सहूलियत और निष्पक्ष रूप से कार्य करने लगेगी।

मुझे इस देश के विरोधी दलों का कुछ अनुभव है। दुर्भाग्यवश, यहाँ के विरोधी दल बड़े ही कट्टर पन्थी हैं और एक दूसरे से अलग रहना ही पसन्द करते हैं। यह विरोधी दलों का काम है कि वह एक साथ मिल कर कार्य करें। कुछ दल एक संयुक्त विरोधी दल संगठित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब कोई सैद्धांतिक विरोध न हो, तो लोकतन्त्र के हित में, यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि विरोधी-पक्ष को वर्ग-आधार पर एक ही विचार धारा के अधीन संयुक्त किया जाये जिससे कि केन्द्र अथवा राज्य के शासक दल को हम प्रभावपूर्ण चुनौती दे सकें। परन्तु दुर्भाग्यवश, वह निर्वाचक अधिकारी नहीं हैं जो शासक-दल की सहायता कर रहे हैं, वरन विरोधी दलों के बीच मतभेद ही इसका कारण है। हम शासक दल के हित में ही कार्य कर रहे हैं। हमीं इतने अधिक अभ्यर्थी खड़े कर देते हैं कि हमारे वोट आपस में ही बंट जाते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये आँकड़ों के अनुसार ही, अल्पसंख्यक मत प्राप्त करने वालों को ही बहुसंख्यक स्थान प्राप्त हुए हैं और शासक-दल भी मतदान में भाग लेने वाले निर्वाचकों के केवल ४५ प्रतिशत का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसके लिये निर्वाचक अधिकारी नहीं, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणाली ही उत्तरदायी है।

इसलिये, दो बातें आवश्यक हैं। इस देश की निर्वाचन प्रणाली में आमूल-परिवर्त्तन किया जाना चाहिये। और इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को ही श्रीगणेश करना चाहिये। इन सब बातों को दलगत राजनीति से ऊपर रख कर सभी दलों का विश्वास प्राप्त करके एक ऐसा सम्मेलन आयोजित किया जाये जिसमें कि निर्वाचिन प्रणाली के समूचे प्रश्न पर ही पूर्ण रूप से विचार किया जाय और इस बात

की उचित व्यवस्था की जाय कि केन्द्र में और राज्यों में बहुमत की राय ही उचित ढंग से प्रतिबिम्बित हो सके। इसलिये, मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रहपूर्वक निवेदन करूँगा कि जब वह निर्वाचक-अधिकारियों की आलोचना करते हैं तब वह गलत स्थान पर ज़ोर देते हैं। अंतिम निर्णय तो निर्वाचकों के ही हाथों में है। इसलिये हम सबको दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक ऐसी लोकतन्त्रात्मक प्रणाली की स्थापना करनी चाहिये जो आनेवाली पीढ़ियों को पूर्ण संतोष और आश्वासन प्रदान कर सके।

†**श्री कृष्णचन्द्र** : इस खण्ड में मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी, निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों और सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और उनका पुनरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। परन्तु इस में यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने और उनका पुनरीक्षण करने में निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को मुख्य निर्वाचक अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रह कर कार्य करना पड़ेगा। उसमें एक सामान्य खण्ड है जिसमें कहा गया है कि वह इस कार्य की देख-रेख करेगा, परन्तु मैं चाहता हूँ कि यह बात स्पष्ट शब्दों में उसमें जोड़ दी जाय।

†**श्री बर्मन** : मैं उन माननीय सदस्यों की बात समझने में असमर्थ रहा हूँ जिन्होंने यह कहा है कि मुख्य निर्वाचक अधिकारी और दूसरे अधीनस्थ अधिकारियों निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों आदि की नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा स्वयं ही की जानी चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों को यह शंका है कि यदि यह अधिकारी सरकारी पदाधिकारियों में से नियुक्त किये गये, तो सरकारी पदाधिकारी होने के कारण वह मंत्रालयों द्वारा प्रभावित किये जाते रहेंगे। मैं नहीं जानता कि मंत्रालय किस प्रकार इन अधिकारियों से यह कह सकता है या उनको यह निदेश दे सकता है कि निर्वाचक नामावलियां इस ढंग से तैयार की जायँ कि केवल शासक दल का समर्थन करने वाले व्यक्तियों का ही पंजीयन किया जाये, अन्य व्यक्तियों का नहीं। यह तो एक असम्भव बात है। यह मान लेना, या इस प्रकार की शंका करना स्वयं ही एक असाधारण सी बात है।

मुख्य आपत्ति सरकारी अधिकारियों में से मुख्य निर्वाचक अधिकारी के नामोद्दिष्ट अथवा नामनिर्देशित किये जाने पर है। परन्तु विधि में किसी बात का उपबन्ध करने से पूर्व हमें उसकी व्यावहारिकता का भी ध्यान रखना चाहिये, यदि निर्वाचन आयोग दिल्ली में बैठ कर सभी राज्यों में ऐसे निष्पक्ष व्यक्तियों का चुनाव कर भी ले तो भी हम को यह देखना है कि क्या वह बाहरी व्यक्ति, जिसको मुख्य निर्वाचक अधिकारी बनाया जा रहा है, पंजीयन अधिकारियों और सहायक पंजीयन अधिकारियों जैसे कर्मचारियों की सहायता से अपने कर्त्तव्य को पूर्ण भी कर सकेगा अथवा नहीं। उसको एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो सबका सम्मान प्राप्त कर सके। बाहरी व्यक्ति होते हुए भी उसको सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की ही सहायता से अपना कार्य करना होगा, क्योंकि हम यह नहीं मान सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ऊपर से ले कर नीचे तक के सभी पदाधिकारियों को स्वतन्त्र रूप से ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों में से नियुक्त कर सकेगा। यदि हमें किसी भी स्तर पर सरकारी कर्मचारियों की सहायता लेने की आवश्यकता पड़ी, तो ऊपर बैठा मुख्य निर्वाचक अधिकारी विरोधी पक्ष के संदेह को दूर नहीं कर सकता है।

इस बात के अतिरिक्त यह काम तो केवल निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का है। मुख्य कार्य तो बाद में, जब निर्वाचन होते हैं, तब आता है। यह निर्वाचन कौन करायेगा ? भारत में जिस पैमाने पर निर्वाचन कराये जाने हैं उसे सरकार से पृथक कोई अन्य यंत्र नहीं करा सकता। हम को पिछले साधारण निर्वाचनों का अनुभव है, जिनकी विरोधी पक्ष के सदस्यों को भी प्रशंसा करनी पड़ी थी, इसलिये इस बार भी उनके लिये भय का कोई कारण नहीं है। हम अनावश्यक कार्यों में देश का धन व्यय नहीं कराना चाहते। वह एक ऐसा ढंग उद्विकसित और प्रस्थापित कर रहे हैं जिस के अनुसार कार्य करना, मेरे विचार से निर्वाचन आयोग के लिये तनिक भी व्यावहारिक नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : अभी जो बहस हो रही है, उस बारे में यही दो बातें श्री एच० एन० मुकर्जी और श्री एस० एस० मोरे के नोट्स में थीं जिन पर कि इस समय बहस हो रही है और वहाँ पर कहा गया कि क्यों सेलेक्ट कमेटी ने यह पसन्द नहीं किया कि एक एलेक्टोरल आफिसर ऐसा बने कि जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और सारे का सारा कैडर ऐसा बन जाय जिसका कि किसी क़िस्म का ताल्लुक गवर्नमेंट से न हो ।

सेलेक्ट कमेटी में भी यह सवाल उठा । मैं यह अर्ज़ नहीं करना चाहता कि किस ने उठाया और किस ने उस पर बहस की लेकिन यह सवाल वहाँ पर उठा और इस पर बहस हुई और यह फैसला लिया गया जो सेलेक्ट कमेटी ने दर्ज किया है । इसके बारे में जो बहस हुई है वह बड़ी वाज़ह बहस हुई है और हर उसूल के ऊपर बहस हुई है । उनमें से चन्द एक उसूल तो ऐसे हैं जो इस बहस से ताल्लुक नहीं रखते हैं । श्री एस० एस० मोरे की जो बहस मैंने सुनी वह बड़ी आला दर्जे की बहस थी । मुझे अफ़सोस है कि वह इस प्वाइंट पर जो ख़ास प्वांइट है उससे बहुत कुछ तजावुज़ कर गये (आगे बढ़ गये) लेकिन उनका जो नतीजा था वह बिल्कुल दुरुस्त था और मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ ।

श्री देशपांडे और श्री साधन गुप्त ने फरमाया कि हम यह चाहते हैं कि एलैक्टोरल आफ़िसर बड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिये और जो किसी लोकल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से ताल्लुक न रक्खे और उसके मातहत भी जितने अफसरान हों उनको लेकर भी एक ऐसा अलहदा कैडर बन जाय जिसका किसी किस्म का ताल्लुक गवर्नमेंट से न हो । मैं अदब से अर्ज़ करूँगा कि हमने अपने कांस्टीट्यूशन में एलेक्शन कमिश्नर को और एलेक्शन के महकमे को एक तरह से अलहिदा और बड़ी अक्लमन्दी के साथ अलहदा रक्खा । अगर उस को अलहदा न रखते तो बहुत सारे झगड़े पैदा होते और यह कहा जा सकता था कि फलां पार्टी का उस पर असर है लेकिन जब वह मुहकमा अलहदा है और एलेक्शन आफ़िसर अलहदा हैं और उनकी सुपरिनटेंडेंट, कंट्रोल और डाइरेक्शन के मातहत यह एलेक्टोरल रौल्स बनेंगे तो मुझे कोई शुबहा नहीं है कि वे एलेक्टोरल रौल्स सही होंगे ।

इसके अलावा यह सिर्फ अपोज़ीशन पार्टीज़ या कांग्रेस पार्टी का ही फ़र्ज़ नहीं है कि एलेक्टोरल रौल्स को दुरुस्त बनायें बल्कि यह हर एक गवर्नमेंट वर्थ दी नेम (सरकार कहला सकने योग्य सरकार) का फ़र्ज़ है कि हर एक आदमी का जो वोट देने का हक़दार हो, उसका नाम वोटर्स लिस्ट में मौजूद हो । यह एलेक्शन कमिश्नर का फ़र्ज है कि हर एक वोटर का नाम जिसको वोट देने का हक़ हासिल हो, मतदाता सूची में आ जाय ।

उसके अन्दर जो इनसिनुएशंस (आरोप) किये गये हैं कि शायद रूलिंग पार्टी (सत्तारूढ़ दल) ऐसा करे कि ऐसे आदमियों के नाम न दें या कोई और किसी तरह का अंडरहैंड (अनुचित) हथियार इस्तेमाल करे, वह मुनासिब नहीं थे और इस क़िस्म की क्रिटिसिज्म (आलोचना) नामुनासिब थी और वाकया और हक़ीक़त यह है कि जो पिछले चुनाव हुए वह बड़े फेयर, (उचित ढंगों से) और फ्री (स्वतन्त्र) हुए और जिन्होंने आज इस तरह की क्रिटिसिज्म की है उन मेरे दोस्तों ने भी इतनी कामयाबी के साथ चुनाव कराने के लिये एलेक्शन कमिश्नर (चुनाव आयुक्त) को ट्रिब्यूट पे किया (प्रशंसा की) है और उस ट्रिब्यूट में मैं उनके साथ शामिल होता हूँ । जहाँ तक एलेक्शन कमिशन का तालुक है, उनका काम निहायत अच्छा रहा है और उनसे जो उम्मीद रक्खी गई थी उसको उन्होंने पूरा किया है । यहाँ पर इस तरह का सवाल उठाना कि यह जो एलेक्टोरल रौल्स (मतदाता सूचियां) बनाने का काम है, इस के अन्दर कोई पोलिटिक्ल इन्फ्लुएंस (राजनीतिक प्रभाव) आने का इमक़ान (सम्भावना) है, उसके बारे में मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि इस देश के वास्ते यह बड़ी सख्त बदक़िस्मती की बात होगी अगर कोई पार्टी भी इस क़िस्म की कोशिश करे कि जिस आदमी को वोट देने का हक़ हो वह वोट का हक़ इस्तेमाल करने से महरूम हो जाय और मैं समझता हूँ कि ऐसा अपोज़ीशन पार्टीज़ (विरोधी दल) भी नहीं चाहतीं और कांग्रेस पार्टी तो क़तई यह नहीं चाहती ।

जहाँ तक अपोजीशन पार्टी का सवाल है, उन्होंने अब तक, जैसा कि मालूम होता है, एलेक्टोरल रोल्स के दुरुस्त कराने में बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं लिया है। हमारे मुकर्जी साहब ने नोट दिया और यह शिकायत की कि दरअस्ल उन का कोआपरेशन (सहयोग) नहीं सीक किया (लिया) गया। इस तरह के इंसिनुएशन हुए, साधन गुप्त साहब ने भी तकरीर की और कहा कि उन के साथ पूरी तरह से कोआपरेशन नहीं किया गया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि यह तो एक नानपार्टी क्वेश्चन है कि हर एक वोटर को उस का हक मिले। गवर्नमेंट और आपोजीशन पार्टीज दोनों का फर्ज है कि जहाँ तक वोटिंग का सवाल है वह कोई भी पार्टी पालिटिक्स (दल राजनीति) न आने दें। हर एक आदमी जो हैसियत रखता है वोट देने का, उसको मौका दिया जाय।

इस में कोई शक नहीं है सेलेक्ट कमेटी ने इस बारे में यह अर्ज किया था कि आनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ पर कोई ऐश्योरेन्स (आश्वासन) दें, लेकिन यह तो सिर्फ ऐवंडेंट काशन (सावधानी) की वजह से था वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है कि इस तरह का ऐश्योरेन्स आनरेबल मिनिस्टर साहब दें। क्योंकि पिछली दफ़ा इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी कि सब का कोआपरेशन नहीं लिया गया। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि पूरा कोआपरेशन सब से लिया गया है। असलियत यह है कि इस बारे में किसी किस्म के ऐश्योरेन्स की जरूरत नहीं है अगर कोई वोटर होने की हैसियत रखता है तो उसको जरूर वोटर बनाया जाय। हम ने इस चीज़ को दर्ज कर दिया तो इस के यह माने नहीं कि हमने इस चीज़ को माना नहीं या इस को क्वेश्चन किया (आपत्ति की), सिर्फ ऐवंडेंट काशन की तौर पर चूंकि हाउस का सेन्स था इसलिये हमने रिपोर्ट में लिख दिया। ज्यादातर आइडिया यह था कि बड़े-बड़े शहरों में जैसे कलकत्ता, मद्रास और बम्बई हैं, जहाँ लोकल बाडीज हैं, उनके जो आफिसर्स हैं वह भी इस का तजुर्बा रखते हैं और उन के तजुर्बे का फायदा उठाया जाय। यह कहना कि काडर बनाया जाय यह कंट्री पर इतना ज्यादा बोझ डालना होगा जिस को कि वह बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यह चीज़ कतई मुनासिब नहीं होगी कि इस तरह के काडर के बनाने पर ज़ोर दिया जाय जिस के पास कि काफी मसरूफियत सारे अर्से के लिये नहीं हो सकेगी। मोरे साहब ने जो तकरीर की वह इसका पूरा जवाब था, मैं इस को मानने को तैयार नहीं हूँ कि आइन्दा अगर कोई लोकल स्टेट गवर्नमेंट आयेगी जो कांग्रेस गवर्नमेंट का सब्स्टिट्यूट (स्थानापन्न) होगी वह यह कोशिश करेगी कि ऐसे अफसरान मुकर्रर करे जो उस पार्टी के तरफ़दार हों। मेरे दिमाग में यह चीज़ है ही नहीं। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसी कोशिश करेगी या कोई और स्टेट गवर्नमेंट जो किसी दूसरी पार्टी की होगी, जिस का मुझे इमकान इतनी जल्दी नजर नहीं आता जितनी कि मोरे साहब को, वह भी ऐसी कोशिश करेगी कि जिस आदमी को वोट देने का हक हो उस को यह हक न मिले। यह हिन्दुस्तानियों के इन्हेरेन्ट नेचर (स्वभाव) के खिलाफ है कि वह इस तरह से किसी अथारिटी (प्राधिकार) को यूज (प्रयुक्त) करे कि वह किसी तरह भी बेईमानी करने में सबकत करे (प्रोत्साहन दे)। हर एक अथारिटी का यह फ़र्ज़ होगा कि वह इस तरह के काम करे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी अथारिटी इस तरह का गलत काम नहीं करेगी। इस वास्ते मैं अर्ज करता हूँ कि प्रैक्टिकल प्रोपोजीशन (व्यावहारिक बात) यही है। मैं आज भी जानता हूँ कि कई अफसरान गवर्नमेंट में ऐसे हैं जिन का रवैया यह है कि वह गवर्नमेंट को गालियाँ देते रहते हैं, पार्टी-इन-पावर (सत्तारूढ़ दल) को गालियाँ देते रहते हैं। मैंने खुद अपने इलेक्शन में देखा है कि कई आफिसर्ज़ थे जो कांग्रेस पार्टी का साथ हर्गिज नहीं देते थे और बेजा मुखालिफत करते थे। उनकी मैंने शिकायतें कीं कि उन्होंने गलती कीं, ऐसी गलती जिसकी अगर वह कांग्रेस पार्टी के हक में होती तो भी मैं शिकायत करता। तो यह तो इंडिविजुअल (इक्के दुक्के) आफिसर्स का सवाल है। कभी कोई पार्टी ऐज सच या गवर्नमेंट ऐज सच ऐसी बातें नहीं करती है। फिर यह तो सिर्फ प्रेलिमिनरी एलेक्टोरल रोल बनाने का सवाल है। वही रोल स्टेट गवर्नमेंट के, म्युनिस्पैलिटी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी काम आता है। सब इस बात के गवाह हैं कि जिस तरह से सरकार ने यह रोल बनाये हैं, उन के बनाने में उसने कभी यह ख्याल नहीं रक्खा है कि हम फलां पार्टी के आदमी को वोटर्स में लेंगे या फलां को नहीं लेंगे। शर्त यह है कि वह हकदार हो। अभी हिन्दुस्तान में यह वक्त नहीं आया है कि विलायत की तरह से नानआफ़िशल्स (गैर-सरकारी लोगों) को इलेक्टरल आफिसर मुकर्रर कर दें। अगर कोई भी ऐसा शख्स है, अगर कोई भी आफिशल है जो कि तजुर्बेकार है, सरकार का काम करने का उसका तजुर्बा है तो उस की मदद ली जायेगी। आखिरी अख्त्यार तो एलेक्टोरल कमिश्नर को है। यह नहीं है कि गवर्नमेंट उन्हीं आफिर्सस को नामिनेट (नामनिर्देशित) कर देगी जिन को वह जानती है कि वह बायेस्ड (पक्षपात करने वाले) हैं। लेकिन उन से कंसल्टेशन (सलाह) लेने में कोई हर्ज नहीं है। जिम्मेदार तो एलेक्शन कमिशन है जो कि इंडिपेंडेंट बौडी (स्वतन्त्र निकाय) है। उस पर एलेक्शन कमीशन का ही कंट्रोल होगा और उसी के डाइरेक्शन (निर्देश) के मुताबिक वह काम करेंगे।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो प्राविजन किया गया है, हमारे हालात के मुताबिक है, मैं उस के अन्दर कोई ख़दशा (आशंका) नहीं देखता। अगर मुझे थोड़ा भी खदशा होता जो कि मेरे दोस्त साधन गुप्त को है तो मैं उन की ताईद करता, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता हूँ कि देश के अन्दर एक मिनट के लिये भी किसी पार्टी का भी ऐसा ख्याल हो कि जिन की वोट देने की हैसियत है उनको उस हक से महरूम किया जाय। अगर ऐसा होता है तो यह बड़ा भारी वायोलेशन होगा एक सैक्रेड ड्यूटी का। मुझे हर्गिज कोई डर नहीं है कि एलेक्शन कमीशन अपने अख्त्यार को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करेगा। जिस वक्त वह मुकर्रर करेगा उस वक्त वह खुद जाँच कर लेगा कि जिस को वह मुकर्रर कर रहा है वह इंपार्शल आफिसर है, क्योंकि यह तो एक बुनियादी चीज है, अगर यहीं पर गलती हो गई तो आगे चल कर तो बड़ी भारी शिकायतें होंगी।

चूंकि इस का ताल्लुक सिर्फ एलेक्टोरल रोल बनाने से है इस वास्ते मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता जिन का जिक्र मेरे दोस्त मोरे साहब ने किया पिछले एलेक्शन में क्या हुआ, ४५ परसेंट वोट कांग्रेस को मिले या कितने परसेंट मिले, यह तो एक इरेलेवेंट (असंगत) चीज़ है। इसलिये मैं इस का जवाब नहीं देना चाहता। न उस बहस पर, जिस को वह पेश करने लगे, मैं तवसिरा करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो प्राविजन (उपबन्ध) हम ने किया है वह बिल्कुल दुरुस्त है और मेरे दोस्तों के एमेंडमेंट (संशोधन) नामंजूर कर दिये जायें।

†**श्री बी० डी० पांडे :** (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर-पूर्व) मेरे मन में विरोधी पक्ष के सदस्यों के लिये बहुत सम्मान है परन्तु यदि वह यह कहते हैं कि ईमानदारी केवल उन्हीं के छोटे से समूह तक सीमित है, और हमारे सब पदाधिकारी बेईमान, और भ्रष्ट हैं, तो मैं इस बात को कदापि नहीं मान सकता। हम निर्वाचक नामावलियों में गड़बड़ी करने की बात को तो सोच भी नहीं सकते हैं। कोई भी पदाधिकारी ऐसा काम नहीं करेगा। सत्रह करोड़ मतदाताओं में इस प्रकार की गड़बड़ी करना और उनको लालच देना असम्भव है। मैं फिर कहता हूँ कि हमारे सभी पदाधिकारी निष्पक्ष हैं। अपना बचाव करने के लिये वह यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, परन्तु मैं समझता हूँ कि मैं उनका भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। वह सभी अपना कार्य अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोक-सभा में इस प्रकार के कटु शब्द नहीं कहे जाने चाहियें। हम सभी एक हैं। हम ईमानदार हैं। जो भी सरकार ठीक होगी, वही शासन करेगी। सभी पदाधिकारी आज्ञापालन करेंगे। वह आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकते।

"हमने तो चाहा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद !
वह भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला।"

†मूल अंग्रेजी में

वे लोग भी तो हममें से ही हैं। हमारे ही तो नियुक्त किये हुए हैं। इन्हींने तो यहाँ पर काम करना है। आसमान से तो कोई फ़रिश्ते काम करने के लिये नहीं आयेंगे।

हमें शासन करना है। यदि कोई बेईमान पदाधिकारी हों तो उनको सामने लाया जाना चाहिये। आलोचना संतुलित ढंग से की जानी चाहिये, इस प्रकार नहीं कि सारी दुनिया बेईमान है, अकेला मैं ही ईमानदार हूँ। यह बात मैं कभी भी नहीं मान सकता हूँ।

†**श्री पाटस्कर :** मुझे यह देखकर कुछ आश्चर्य हुआ था कि इस सीधे से उपबन्ध ने कितने दलगत मतभेदों गर्मागर्मी और न जाने किस किस बात को प्रोत्साहन दिया है। इसमें जो बात है वह केवल इतनी ही है। धारा १३-क से घ में हम मुख्य निर्वाचक अधिकारियों और निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों का उपबन्ध कर रहे हैं और १३-घ में इस बात का उपबन्ध किया गया है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन से होने चाहियें। इस का मुख्य उद्देश्य यह था कि मुख्य निर्वाचक अधिकारियों का स्वरूप और स्थिति, क्या होनी चाहिये। वास्तविकता तो यह है कि, हमने कल भी कहा था और आपने भी इसका संकेत किया था। धारा १३-क में कहा गया है :

> "प्रत्येक राज्य के लिये एक मुख्य निर्वाचक अधिकारी होगा, जो सरकार का ऐसा पदाधिकारी होगा जिसको निर्वाचन आयोग, उस सरकार के परामर्श से, इस पद के लिये नामोद्दिष्ट अथवा नामनिर्देशित करे।"

इस प्रकार, नामोद्दिष्ट अथवा नामनिर्देशित करने की शक्ति स्वयं निर्वाचन आयोग को ही प्राप्त है। जहाँ तक निर्वाचन आयोग के कार्यों का सम्बन्ध है, प्रायः सभी एकमत हैं और उसके सम्बन्ध में किसी को कुछ नहीं कहना है। जैसा कि मैंने कल कहा था, निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र प्राधिकार है और संविधान ने उसकी स्थापना करके उचित ही कार्य किया है। हमने यह देखा है कि निर्वाचन आयोग के कार्य की प्रशंसा केवल इसी देश में ही नहीं, वरन् अन्य देशों में भी की गई है, वह एक महान कार्य था। विश्व के इतिहास में पहली बार, वयस्क मताधिकार के आधार पर, लगभग १८ करोड़ व्यक्तियों का पंजीयन करना पड़ा था, उनकी सूचियाँ तैयार करनी पड़ी थीं। मैं यह नहीं कहता कि कहीं भी त्रुटियाँ नहीं हुई होगीं। किन्तु यह सभी सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये कि किसी भी दल के सम्बन्ध में विचार न करते हुए हमने जो व्यवस्था खोज निकाली है उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। विशेषकर इस बात को देखते हुए कि विश्व में पहली बार इस तरह का प्रयोग इतने बड़े पैमाने पर किया गया था। उक्त व्यवस्था की सराहना न केवल यहां वरन बाहर भी की गई है। जनता, विशेषकर ऐसी जनता, जो किसी प्रकार के संसदीय जनतन्त्र की स्थापना के लिये कार्य प्रारम्भ कर रही है, हमारे इस कार्य को मार्गप्रदर्शन के रूप में देखती है और इससे उसे उदाहरण लेना चाहिये। इन परिस्थितियों में मेरा ख्याल है कि इस छोटी सी बात के लिये इतनी उत्तेजना दिखाने और दलगत विचारों को स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किन्तु इस सम्बन्ध में मैं और कुछ नहीं कहूँगा माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करूँगा कि उपबन्धों को पहले ही काम में लाया जा चुका है उन पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन से कार्य साधन किस प्रकार हुआ है इस बात पर विचार करें। मैं निवेदन करूँगा कि किसी दल के, चाहे वह अल्पसंख्यक हो अथवा बहुसंख्यक, सदस्य होने की भावना को यदि वे त्याग दें तो उन्हें प्रतीत होगा कि जिन उपबन्धों के रखे जाने की प्रस्थापना है वे सर्वथा पर्याप्त, सरल और स्पष्ट हैं।

जहाँ तक नामोद्देशन और नामनिर्देशन का सम्बन्ध है मेरा ख्याल है कि यह पहले ही मान लिया गया है कि उनका कोई अर्थ विशेष है। ये वही शब्द हैं जिनका प्रयोग मौजूदा अधिनियम में किया गया है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, प्रत्येक राज्य में मुख्य निर्वाचकीय अधिकारी हैं और स्वाभाविकतः

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका स्तर सरकार के उप-सचिव अथवा सचिव के समकक्ष है। मुझे विश्वास है कि उन्हें रखा ही जाना चाहिये, विशेषकर एक ऐसे देश में, जहाँ स्वयं जनता के प्रतिनिधियों द्वारा दलगत भावनाओं का प्रदर्शन इस प्रकार किया गया है। मैं विश्वास करता हूँ कि इस कार्य को सरकारी कर्मचारियों के हाथों में रहने देने की प्रणाली अत्युत्तम है और इसका पालन ब्रिटेन में भी होता है। ब्रिटेन में भी, जहाँ संसदीय लोकतन्त्र की पद्धति इतने वर्षों से कार्य कर रही है, उसके स्थायित्व प्रदान करने वाली वस्तु यह सेवायें हैं। दल और दलगत विचार भिन्न हो सकते हैं। किन्तु सेवायें स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करती हैं। इस बात के पक्ष-विपक्ष में जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए मेरे द्वारा कुछ विस्तारपूर्वक कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे भय है कि प्रस्तुत किये गये संशोधनों में से किसी को स्वीकार करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ क्योंकि प्रवर समिति के तत्वावधान में जो कार्य इतनी अच्छी तरह किया गया है उसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने प्रत्येक बात पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। इन सभी बातों पर सभी दृष्टिकोणों से पहले ही चर्चा कर ली गई है। मैं आशा करता हूँ कि इस खंड को, जिस रूप में कि वह अब है उसी रूप में, माननीय सदस्य पारित करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य श्री कामत ने कहा कि पुनरीक्षण की शक्तियों के अतिरिक्त शोधन की शक्तियां भी होनी चाहिये।

†**श्री पाटस्कर :** मेरे विचार में वह आवश्यक नहीं हैं। मैंने इस सम्बन्ध में जाँच की है। आप देखेंगे कि धारा १३-क (२) में कहा गया है :

> "चुनाव आयोग के अधीक्षण, संचालन और नियंत्रण के अधीन, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और उनके पुनरीक्षण के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा ....."

मेरा ख्याल है कि इसके अन्तर्गत शोधन भी आ जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री यह देखेंगे कि एक अन्य स्थान पर शोधन और पुनरीक्षण इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि "पुनरीक्षण" शब्द का प्रयोग सर्वत्र ही किया गया हो तो उसमें शोधन आ सकता है।

†**श्री कामत :** वह पृष्ठ ७ पर दिया हुआ है।

†**श्री पाटस्कर :** मैं माननीय सदस्य का ध्यान धारा २२ की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्टयों के शोधन से उक्त धारा सम्बन्धित है।

> "किसी निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, उक्त निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में किसी मौजूदा प्रविष्टि के शोधन के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, ऐसी जाँच के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझता हो, यदि वह संतुष्ट हो कि प्रविष्टि आवेदन करने वाले व्यक्ति से सम्बन्धित है और गलत है अथवा किसी अन्य प्रकार से त्रुटिपूर्ण है, तो वह उक्त प्रविष्टि को तदनुसार संशोधित करेगा !"

मेरा ख्याल है कि यह इसमें आ जाता है। यदि आप नई धारा २२ को इसके साथ पढ़ें तो कोई, कठिनाई नहीं होगी, और इन शब्दों के जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

†**श्री कामत** : धारा २४ को पढ़िये।

†**श्री एस० एस० मोरे** : चूंकि प्रवर समिति ने कुछ संशोधन किये हैं और इसलिये इस का परिणाम यह है कि इसका निर्वाचन इस प्रकार किया जा सकता है कि मुख्य निर्वाचक अधिकारी को केवल पुनरीक्षण की शक्तियाँ दी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पष्ठ ७ पर खंड २४ में कहा गया है :

"प्रधान अधिनियम की धारा २८ में"

(क) उप-धारा (२) में खंड (ज) के स्थान पर यह खंड रखा जायेगा :—

(ज) "निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण और शोधन तथा उसमें नामों का समावेश"।

विधेयक को पुर:स्थापित करते समय कदाचित माननीय मंत्री का यह विचार रहा होगा कि पुनरीक्षण में शोधन भी आ जाता है किन्तु प्रवर समिति ने, सावधानी के लिये, शब्द, शोधन भी जोड़ दिया है।

†**श्री पाटस्कर** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि खण्ड (ज) में हमने शब्द "सशोधन" जोड़ दिया है।

†**श्री के० के० बसु** : (डायमण्ड हार्बर) : क्या मैं माननीय मंत्री से एक आश्वासन प्राप्त कर सकता हूँ ? ज्ञात हुआ है कि सिविल सर्विस के सदस्यों को मुख्य निर्वाचक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जायेगा। यदि यह नियुक्त किया गया अधिकारी किसी अन्य राज्य का हो तब तो ठीक है किन्तु यदि वह उसी राज्य का हो तो उसे पूर्ण कालिक अधिकारी बनाया जाये। उसे सरकार का किसी अन्य प्रकार का कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिये अन्यथा उससे यह भावना उत्पन्न होगी कि वह सत्तारूढ़ दल के प्रभाव में है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हमारा सम्बन्ध केवल निर्वाचक नामावलि से है।

†**श्री के० के० बसु** : मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शक्तियों और उसके कार्यों में हमने वृद्धि की है। यदि वह अंश-कालिक अधिकारी होगा तो वह सह-सचिव होने के नाते विभाग का दिन-प्रतिदिन का कार्य करेगा और मुख्य निर्वाचक अधिकारी का कार्य भी करेगा। उसे कार्यपालिका के अधीन न रखा जाये और उसे चुनाव आयोग के अधीन कार्य करना चाहिये।

†**श्री पाटस्कर** : इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखा जाना है कि नई धारा १३-क (२) के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचक अधिकारी, चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। वह अधिकारी केवल उसी कार्य में ही लगा रहेगा इस बात की आशा करना मेरे ख्याल में आवश्यक भी नहीं है। जो जाँच की गई है उससे प्रतीत होता है कि उसके लिये पर्याप्त कार्य ही नहीं है। पंडित ठाकुर दास भार्गव कह रहे थे कि हमें एक पदाली स्थापित करनी चाहिये। हमारा यह उद्देश्य ही नहीं है। अधिकारी का सम्बन्ध केवल निर्वाचक नामावलि के तैयार किये जाने से है। जब हम अन्य शक्तियों पर विचार करेंगे तब यह भी सोचेंगे कि उसे ये शक्तियाँ दी जायें अथवा नहीं। यह एक अलग बात है। जहाँ तक इस विधेयक के प्रयोजनों का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि मुख्य निर्वाचक अधिकारी को कुछ अत्यधिक सरल कार्य करने हैं, और वे कार्य भी उसे चुनाव आयोग के अधीक्षण और नियंत्रण के अन्तर्गत करने हैं। और तीसरा कारण यह है कि उसके लिये पर्याप्त कार्य नहीं होगा। किसी विशिष्ट राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी के सम्बन्ध में कल से जो उल्लेख किये गये हैं उन्हें निस्संदेह मैंने सुना है। सर्वोत्तम उपाय विधि को बदलना नहीं होगा वरन इन बातों को चुनाव आयोग के ध्यान में लाना होगा और चुनाव आयोग में हम सभी विश्वास करते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि किसी बात में शोधन आदि करने की आवश्यकता होगी तो वे निश्चय ही आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

†**श्री के० के० बसु** : हम विधि में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हमारे समक्ष जो प्रश्न है वह है धन का। हमें संभवत: पांच या छै लाख रुपये अधिक खर्च करने पड़ेंगे। जब हम चुनावों के लिये इतना व्यय कर रहे हैं तब यह कोई बाधा नहीं होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिये प्रस्तुत करूँगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५, १६, और १७ मतदान के लिये रखे तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १८ । श्री कामत ।

†**श्री कामत** : वह एक शाब्दिक संशोधन है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ८ । श्री कृष्ण चन्द्र ।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : मैं उस पर आग्रह नहीं करता हूँ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य श्री कामत और श्री कृष्णचन्द्र को उनके संशोधन वापिस लेने को सदन की अनुमति है ?

†**माननीय सदस्य** : हाँ ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : "शोधन" के बारे में, चूंकि माननीय मंत्री उसे स्वीकार करने को तैयार हैं, श्री कामत एक औपचारिक संशोधन पुरःस्थापित करें ।

†**श्री कामत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति २७ में "and revision" ["और पुनरीक्षण"] के स्थान पर "revision and correction" ["पुनरीक्षण और शोधन"] रखा जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति २७ में "and revision" ["और पुनरीक्षण"] के स्थान पर "revision and correction" ["पुनरीक्षण और शोधन"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है खंड ९, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ११ (धारा १४ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

†**श्री बंसीलाल** (जयपुर) : मैं खंड ११ पर बोलना चाहता हूँ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे संशोधनों को प्रथम निपटा लेने दीजिये ।

†**श्री बंसीलाल** : मैं खंड ११ और १३ का विरोध करना चाहता हूँ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को मौका दिया जायेगा ।

इसके बाद श्री विभूति मिश्र ने संशोधन संख्या ९, श्री साधन गुप्त ने, संशोधन संख्या १९, २० और २१ और श्री कामत ने संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत किये ।

श्री विभूति मिश्र : (सारन व चम्पारन) : मेरी अमेंडमेंट (संशोधन) बहुत साधारण है और वह यह है कि जब प्रैज़िडेंट कॉल करे, तब अगर कोई आदमी, जिसकी उम्र २१ वर्ष की हो जाती है, इस विषय में एक सर्टिफिकेट इलैक्ट्रल रजिस्ट्रेशन आफ़िसर के सामने पेश करे, तो उस का नाम वोटर्ज़ लिस्ट में दर्ज कर लिया जाय । यहां पर क्वालिफ़ाइंग डेट १ मार्च रखी गई है । कभी-कभी ऐसा होता

†मूल अंग्रेजी में

है कि इलेक्ट्रल-रोल बन जाता है और इलैक्शन नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी या फ़रवरी में हो, तो इस बीच में अगर किसी आदमी की उम्र २१ साल की हो जाती है, तो उस का नाम इलैक्ट्रल-रोल में दर्ज करवाने के लिये कोई सहूलियत नहीं है ।

इस अमेंडमेंट के द्वारा उस आदमी को सहूलियत हो जायेगी । हमारी सरकार भी चाहती है और हमारे संविधान में भी यह है कि उन सभी आदमियों को जिनकी अवस्था २१ साल की हो जाती है बालिगमताधिकार का अधिकार हो जाता है । ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि इस बात की सहूलियत देनी चाहिये । यह बहुत साधारण बात है । मैं कानून मंत्री साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को कबूल कर लें । मेरा संशोधन संख्या ९ इस प्रकार है :

कि पृष्ठ ३ पर, पंक्ति २८ के बाद यह जोड़ दिया जाय :

(ग) कोई व्यक्ति जो अपनी आयु २१ वर्ष की होने का प्रमाणपत्र पेश करे उसका नाम सूची में लिख लिया जाय ।

मैं ने देखा है कि कभी-कभी बहुत से आदमियों के नाम वोटर्स लिस्ट (मतदाता सूची) में लिखने से छूट जाते हैं । कम से कम जो लोग गांवों में रहते हैं और जिनके घर जिले से सदर मुकाम से बीस, पच्चीस या तीस मील की दूरी पर हैं, उन गरीब आदमियों की उम्र २१ साल होने के बाद भी उनके नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज नहीं होते । कभी-कभी पब्लिक वर्कर्स (सार्वजनिक कार्यकर्ताओं) के नाम भी दर्ज होने से रह जाते हैं । अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसे लोगों को सहूलियत मिल जायेगी । यह एक साधारण सा सुधार है । मैं प्रार्थना करूँगा कि लॉ मिनिस्टर साहब इसको स्वीकार कर लें ।

†**श्री साधन गुप्त** : इस खंड में संशोधन प्रस्तुत करने से मेरा उद्देश्य वयस्क मताधिकार को स्पष्ट करना है । इस खंड में कहा गया है कि जिस वर्ष में निर्वाचक नामावलि तैयार की जाये अथवा पुनरीक्षित की जाये उस वर्ष के मार्च मास की पहली तारीख विशेषक तिथि होगी । इस तरह के प्रतिबन्ध से चुनावों में और विशेषकर आम चुनावों में अनेकों नागरिक, इस बात के अनपेक्ष भी कि वे २१ वर्ष की आयु के होंगे, मतदान के अधिकार से वंचित रह जायेंगे । यह स्पष्ट है कि निर्वाचक नामावलि का अंतिम रूप से प्रकाशन सितम्बर या अक्तूबर में किसी समय होगा । हम सब जानते हैं कि इस देश में आम चुनाव जनवरी या फरवरी में, सम्भवत: फरवरी के प्रारम्भ या मध्य में होंगे । जब भी निर्वाचक नामावलि लागू होगी वह छः या सात माह पुरानी हो जायेगी और विशेष कर जब आम चुनाव होंगे तब तक वह निर्वाचक नामावलि एक वर्ष पुरानी हो जायेगी । हमें यह भली भांति विदित है कि हमारे देश की जनसंख्या में प्रत्येक दस वर्ष कोई साढ़े तीन करोड़ की वृद्धि होती है और इसलिये इस खंड के अन्तर्गत जो प्रक्रिया विहित है उसके अनुसार कोई पैंतीस लाख भारतीय नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित रह जायेंगे ।

इसलिये मेरा सुझाव है कि निर्वाचक नामावलि तैयार किये जाने के उपरांत किसी अन्य तिथि को विशेषक तिथि माना जाये । इसीलिये मैंने विशेषक तिथि के बारे में एक संशोधन प्रस्तुत किया था । मेरा सुझाव है कि जिस वर्ष में निर्वाचक नामावलि लागू हुई मानी जाये अथवा उसके लागू होने की सम्भावना हो उस वर्ष में उन सभी व्यक्तियों को, जो २१ वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेते हैं, मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिये ।

यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि जिस तिथि को निर्वाचक नामावलि लागू होती हो उस तिथि को जिन व्यक्तियों की आयु २१ वर्ष की नहीं हो उनके नाम रजिस्टर के किसी अलग भाग में रखे जायें और उनके २१ वर्ष पूरा कर लेने की तिथि को पृथक रूप से बताया जाये । और आप ऐसा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

उपबन्ध कर सकते हैं कि २१ वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद ही इन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होगा।

इसीलिये मेरा सुझाव था कि जिस वर्ष में निर्वाचक नामावलि तैयार की जाये उसके अगले वर्ष की ३० सितम्बर विशेषक तिथि हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जैसा कि आय-कर विधि में सीमांत-कर के बारे में है क्या यह कहा जा सकता है कि विशेषक तिथि को उन सभी व्यक्तियों का पंजीयन किया जायेगा जिनकी आयु बीस वर्ष और छै मास हो जिस से कि चुनाव के (जोकि एक वर्ष बाद भी हो सकता है) कुछ समय पूर्व वे २१ वर्ष की आयु को पूरी कर लेंगे और इस प्रकार मतदान के अधिकारी बन जायेंगे ? यदि ऐसा किया गया तो न केवल २१ वर्ष की आयु वाले वरन् बीस वर्ष और छै मास की आयु वाले व्यक्तियों का भी पंजीयन करना होगा।

†**श्री एस० एस० मोरे** : इसी जैसा कोई अन्य तरीका खोजा जा सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह किया जा सकता है।

†**श्री साधन गुप्त** : यही तो मेरा सुझाव है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किस व्यक्ति की आयु २० वर्ष और ६ मास है क्या यह जानना कठिन होगा ?

†**श्री साधन गुप्त** : संविधान के अनुच्छेद ३२६ के अनुसार उस पर कोई रोक नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका नाम रजिस्टर में चढ़ाया ही नहीं जा सकता है। उस समय कठिनाई उत्पन्न होगी जब कि कोई उपचुनाव अथवा शीघ्र ही कोई चुनाव होगा। ऐसी स्थिति में दो भिन्न नामावलियां होंगी।

†**श्री साधन गुप्त** : संवैधानिक उपबन्ध बहुत विचित्र है। उसमें कहा गया है कि विधि द्वारा निश्चित तिथि को २१ वर्ष की आयु को पूरी करनेवाला व्यक्ति मतदाता के लिये स्वयं को पंजीबद्ध कराने का अधिकारी होगा। उसमें यह नहीं कहा गया है कि यह तिथि पंजीयन की तिथि के पूर्व की होगी अथवा बाद की। मैंने संशोधन संख्या २० में कहा है कि १ मार्च के स्थान पर १ अक्तूबर रखा जाये।

†**श्री पाटस्कर** : क्या मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिससे चर्चा अधिक स्पष्ट हो जायेगी। मौजूदा धारा २४ में कहा गया है कि इसके उपरांत, इस अधिनियम के अन्तर्गत तैयार की गई प्रत्येक निर्वाचक नामावलि, अक्तूबर के प्रथम दिवस को लागू होगी। यह तिथि उस समय निर्धारित की गई थी। अब जो कुछ किया गया है वह उपयुक्त ही है। धारा २१ (१) में कहा गया है :

> "प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिये विशेषक तिथि को निर्देश करते हुए विहित रीति से, निर्वाचक नामावलि तैयार की जायेगी, और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, उसके अंतिम प्रकाशन के उपरांत वह तुरन्त ही लागू हो जायेगी।"

आलोचना करते समय माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखें। अधिनियम के उपबन्ध और प्रस्तावित उपबन्ध में यही अन्तर है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : नामावलि के तैयार करने में जो थोड़ा समय लगेगा उसे किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता है। इसलिये यदि वह तिथि अक्तूबर का प्रथम दिवस हो तो इस कथन में कुछ बल है; किन्तु उसके अंतिम रूप से निश्चित और लागू हो जाने पर तो तीन-चार महीने की असुविधा से बचा नहीं जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त** : ऐसी स्थिति में मैं इस आशय के उपबन्ध का समर्थन करूंगा कि प्रत्येक वर्ष, निर्वाचक नामावलि किसी तिथि विशेष से लागू हो तथा विशेषक तिथि उक्त तिथि को देखते हुए निर्धारित की जाये ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : नामावलि प्रत्येक वर्ष तैयार नहीं की जायेगी ।

†**श्री साधन गुप्त** : पुनरीक्षण करने में भी पंजीयन विशेषक तिथि को ध्यान में रखते हुए करना होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब कोई शोधन किया जाये तो उसे तुरन्त लांगू किया जाना चाहिये । अतः जहाँ तक गलतियां ठीक करने और पुनरीक्षण का सम्बन्ध है उन्हें उसी समय लागू किया जाना चाहिये जब कि आदेश दिये जायें । निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन के बारे में भी ऐसा ही किया जाता है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : प्रस्तावित धारा २१ के अनुसार नामावलियों का प्रकाशन उनकी तैयारी पर निर्भर करता है परन्तु जब नामावलियों को सही किया जाता है या उनका पुनरीक्षण किया जाता है तो ऐसा किये जाने के तुरन्त पश्चात् वह स्वतः लागू हो जाती हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : मेरा विचार है कि संविधान में इस बात की मनाही नहीं की गई है कि विशेषक तिथि पंजीयन की तिथि के बाद हो ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि विधेयक पर केवल डेढ बजे तक ही चर्चा होगी ।

†**श्री साधन गुप्त** : जी हाँ । अतः मेरा सुझाव है कि मैं ने जिन दो संशोधनों को रखा है उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लिया जाये ।

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री के उत्तर में मुझे एक बात बड़ी विचित्र लगी कि किसी विशेष तिथि में कोई विशेषता नहीं होती है, इस प्रकार से तो यह भी कहा जा सकतां है कि अधिकाधिक विधान बनाने से भी कुछ नहीं होना है, परन्तु माननीय मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि एक कल्याणकारी राज्य में यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि जहाँ तक सम्भव हो असुविधा को घटाया जाये । यदि प्रत्येक तिथि के निश्चित किये जाने से कोई न कोई असुविधा होती हो तो वह तिथि निश्चित की जानी चाहिये जिस से कम से कम असुविधा हो । मैं श्री एस० एस० मोरे से सहमत हूँ कि केवल प्रशासनिक कठिनाइयों की ओर ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये । श्री एच० एन० मुकर्जी ने अपने विमति टिप्पण में कहा कि अमरीका में उस व्यक्ति का भी पंजीयन किया जाता है जो निर्वाचन की तिथि तक निश्चित आयु का होने वाला हो । यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे किया जाता है । यदि ऐसा करना सम्भव हो तो यहाँ भी ऐसा किया जा सकता है । और यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो मैं सुझाव देता हूँ कि मेरे संशोधन संख्या २१ को स्वीकार कर लिया जाये । प्रथम मार्च की बजाये विशेषक तिथि प्रथम जुलाई रखी जानी चाहिये ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : प्रथम जुलाई क्यों ?

†**श्री कामत** : क्योंकि नामावलियां तैयार करने, उनके पुनरीक्षण और अन्तिम प्रकाशन के लिये जुलाई से जनवरी तक के छः मास काफ़ी होंगे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : निर्वाचन से पूर्व छः मास न कि अधिसूचना के जारी किये जाने से ?

†**श्री कामत** : निर्वाचन आयोग की यह सिफारिश बहुत ही लाभदायक है कि देश भर में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कामत]

निर्वाचन एक ही समय पर किये जायें और इसके लिये जनवरी से मार्च तक का समय सबसे उपयुक्त है। सभी इस बात पर सहमत हैं। अतः नामावालियों सम्बन्धी कार्य करने के लिये भी पर्याप्त समय होना चाहिये और यदि कोई तिथि निश्चित करनी ही तो वह प्रथम जुलाई ही की जानी चाहिये।

†**श्री बंसीलाल** : मैंने प्रवर समिति के प्रतिवेदन को ध्यान से पढ़ा है और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि श्री मुकर्जी और श्री मोरे ने जो विमति टिप्पणियां दी हैं उनके लिये मैं उनका आभारी हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुच्छेद ३२६ से लाभ उठाते हुए नामावली को अन्तिम रूप दिये जाने की तिथि निश्चित की गई है और इस विधेयक में विशेषक तिथि दी गई है।

२१ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रत्येक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्सुक होता है और उसे अपना मत देने और देश के भविष्य को बनाने में भाग लेने का अधिकार अवश्य मिलना चाहिये। परन्तु एक प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिये प्रथम मार्च तिथि निश्चित कर दी गई है। सम्भव है कि प्रथम मार्च के बाद एक वर्ष तक निर्वाचन न हो तो उस हालत में उन सभी व्यक्तियों को जो २१ वर्ष के हो जायेंगे अपना नाम दर्ज कराने के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं माननीय मंत्री से इसका कारण जानना चाहता हूँ। उन्हें मतदान के लिये पूरी सुविधा दी जानी चाहिये ताकि वे अनुभव करें कि वे देश के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं।

प्रथम मार्च में कोई विशेष बात नहीं है। यह भी कोई जरूरी नहीं कि निर्वाचन अनुसूचा के अनुसार हो, और इस प्रकार इन व्यक्तियों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और इस के पश्चात् ही उनके नाम दर्ज किये जा सकते हैं। ऐसे लोगों की संख्या एक निर्वाचन क्षेत्र में १,००० या ५०० से अधिक नहीं होगी। प्रथम मार्च को विशेषक तिथि निश्चित करना बिल्कुल अनुचित है और प्रवर समिति ने अपने प्रतिवेदन में इसका कोई कारण नहीं बताया है। मेरा निवेदन है कि किसी तिथि विशेष की बजाये निर्वाचन से पहले कुछ अवधि विशेष निश्चित कर देनी चाहिये।

बहुत से संशोधन इसी बारे में रखे गये हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि विरोधी पक्ष द्वारा रखे गये सभी संशोधन बेकार हैं। लाखों व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित रहेंगे क्योंकि एक स्वेच्छाचारी तिथि निश्चित कर दी गई है और उन्हें एक वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। यदि हम अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधा नहीं देते हैं तो निर्वाचन विधि का संशोधन करना बिल्कुल व्यर्थ होगा।

माननीय मंत्री को चाहिये कि वह संशोधनों पर विचार करके जो उपयुक्त हों उन्हें स्वीकार कर लें अन्यथा यह अन्याय होगा। निर्वाचन विधि बहुत साधारण और यथासम्भव सुविधाजनक होनी चाहिये। जैसा कि श्री मुकर्जी ने अपने विमति टिप्पण में कहा है कि अमरीका में यदि निर्वाचन के दिन तक भी कोई व्यक्ति २१ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसे स्वयं को पंजीबद्ध कराने की अनुज्ञा दे दी जाती है और वह मत दे सकता है। इसी प्रकार यहाँ भी किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास यह प्रमाण पत्र हो कि उसकी आयु २१ वर्ष की हो चुकी है और इस प्रकार वह मतदान के लिये अर्ह है तो उसे मतदान में भाग लेने की स्वीकृति दी जानी चाहिये।

देश में २१ वर्ष की आयु के सम्बन्ध में काफ़ी मतभेद है। कई लोगों का मत है कि २१ वर्ष से कम आयु निश्चित की जानी चाहिये। चाहे इसके लिये संविधान में संशोधन ही क्यों न करना पड़े परन्तु मेरी राय में यह आयु १९ या २० वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। विशेषक तिथि के उपबन्ध के कारण एक वर्ष तक और प्रतीक्षा करनी होगी और इस से लोगों में असन्तोष फैलेगा क्योंकि वे पहले से ही उस समय की प्रतीक्षा करते होंगे जब वे मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि वह संशोधनों और सुझावों पर विचार करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १३ में "किसी निर्वाचन क्षेत्र का साधारण निवासी" शब्दों का प्रयोग किया गया है परन्तु इन शब्दों की कोई ठीक-ठीक परिभाषा नहीं की गई है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक साधारण नागरिक जिसके पास मकान हो मत देने का अधिकार रखता है.....

†**श्री बंसीलाल** : बहुत से आधारों पर नाम दर्ज कराने का अधिकार है जिन में से एक आधार निवासी होना भी है । पर किसी क्षेत्र में १८० दिन रहने से ही वह अर्हता प्राप्त हो जायेगी यह भी निश्चित नहीं ।

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) धारा २० में यह परिभाषित है ।

†**श्री बंसीलाल** : परन्तु कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई है ।

†**श्री पाटस्कर** : प्रत्येक वयस्क को मतदान का अधिकार प्राप्त होना चाहिये

†**श्री बंसीलाल** : फिर किसी निर्वाचन क्षेत्र के निवासी होने की अर्हता की क्या आवश्यकता है ? जब हम कोई विधि बनाते हैं तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिये । अतः मेरा सुझाव है कि कहीं न कहीं इस शब्दावलि की परिभाषा अवश्य दी जानी चाहिये थी ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : विशेषक तिथि के सम्बन्ध में खंड ११, अर्थात् धारा १४ में उपबन्ध किया गया है और खंड १५ में प्रस्तावित धारा २१ की उप-धारा (२) के पदन्तुक में कहा गया है कि कि यदि किसी वर्ष किसी कारण से निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण न किया जाये तो भी उनकी मान्यता और उनके प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इसका यह अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति प्रथम मार्च को २१ वर्ष की आयु का हो जाता है परन्तु यदि नामावलियों का पुनरीक्षण नहीं होता है तो वह २४ वर्ष की आयु का हो जाने पर भी मत नहीं दे सकेगा । इसके लिये कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिये ताकि २१ वर्ष का हो जाने पर कोई व्यक्ति आवेदन पत्र दे कर अपना नाम दर्ज करा सके ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विशेषक तिथि के पश्चात् कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावलि में शोधन करा कर अपना नाम दर्ज करा सकता है ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : किस उपबन्ध के अन्तर्गत ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : धारा २१ के अन्तर्गत शोधन ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : वह तो एक विलोपन होगा परन्तु मैं नाम दर्ज करने के लिये कह रहा हूँ । एक व्यक्ति प्रथम मार्च को अर्ह हो जाता है तो उसका नाम सूची में दर्ज किया जाना है, और वह पुनरीक्षित सूची में ही बढ़ाया जा सकेगा । यदि पुनरीक्षित सूची प्रकाशित नहीं की जाती है तो उसे नाम दर्ज कराने का अधिकार नहीं होगा । इसके लिये कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि किसी व्यक्ति की आयु २१ वर्ष से अधिक हो जाये तो विलोपन के अतिरिक्त आयु के आधार पर भी सूची में सुधार किया जाना चाहिये ।

†**श्री पाटस्कर** : धारा २३ के अन्तर्गत इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति आवेदन पत्र देकर पंजी में अपना नाम लिखवा सकता है । मेरे लिये प्रत्येक आयु के व्यक्ति का समान महत्व है । मैं २१ या ४० में कोई विशेष बात नहीं समझता । मेरे सामने केवल यही प्रश्न है कि हमने जो कुछ किया है क्या श्री कामत के कथनानुसार इसमें कोई इस प्रकार का सुधार हो सकता है जिससे लोगों की कठिनाई कम हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

कठिनाई यह है कि अनुच्छेद ३२६ में उल्लिखित है कि :

"लोक-सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे; अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो ऐसी तारीख पर, जैसी कि समुचित विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इसलिये नियत की गई हो, २१ वर्ष की अवस्था से कम नहीं है ....."

ऐसे व्यक्ति का क्या अधिकार है ? वह अपना पंजीयन एक मतदाता के तौर पर करा सकता है। संविधान में यह उपबन्ध किया गया है कि प्रत्येक नागरिक जो विधि द्वारा निश्चित की गई तिथि को २१ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले अपना नाम एक मतदाता के तौर पर पंजीबद्ध करा सकता है। हम जो भी तिथि निश्चित करें, जो लोग उस निश्चित तिथि और निर्वाचन की तिथि के बीच के समय में २१ वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे वे मत नहीं दे सकते हैं, प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा सुधार किया जा सकता है जिससे कि ऐसे लोगों की संख्या कम से कम हो सके। प्रति दिन कई बच्चे पैदा होते हैं। क्या हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि विधि द्वारा निश्चित की जाने वाली तिथि और निर्वाचन की तिथि के बीच कितने व्यक्ति २१ वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेंगे ? यह एक अनिश्चित बात है। मान लीजिये कि हम भारत में होने वाले निर्वाचनों की तिथि निश्चित कर देते हैं तो ऐसी अवस्था में कुछ किया जा सकेगा। उस तिथि को सामने रखते हुए हम उसके निकट की कोई तिथि निश्चित कर सकते हैं। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह भी सम्भव नहीं है। हम सदा के लिये किसी सामान्य निर्वाचन की तिथि को कैसे निश्चित कर सकते हैं ? अकस्मात कई बाधायें पड़ सकती हैं। कोई निश्चित तिथियाँ रखने का कोई दूसरा तरीका भी हमें उपलब्ध नहीं है। अतः संविधान के अनुसार हम इस कठिनाई में पड़ गये हैं। तिथि तो निश्चित की ही जानी है और ऐसा करना स्वाभाविक और उचित भी है। इस में सन्देह नहीं कि हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि कम से कम लोगों को असुविधा हो। परन्तु जहाँ तक मैं ने विचार किया है हम निर्वाचनों की कोई तिथि निश्चित नहीं कर सकते और फिर एक और भी कठिनाई है। ऐसा कोई साधन हमारे पास नहीं जिससे कि हम यह जान सकें कि अमुक समय पर अमुक व्यक्ति २१ वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं करेंगे। इन परिस्थितियों में निर्वाचन के समय आदि को ध्यान में रखते हुए कोई तिथि तो निश्चित करनी ही है और अन्य प्रबन्ध भी किये जाने हैं। इसमें केवल प्रशासनिक सुविधा का ही प्रश्न नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूँ कि प्रशासनिक सुविधा को ही प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये। जैसा कि संविधान द्वारा अपेक्षित है कोई तिथि तो निश्चित की ही जानी है। यदि मुझे विश्वास हो जाये कि अमुक तिथि के निश्चित किये जाने से कम से कम लोगों पर प्रभाव पड़ेगा तो मैं उसे अवश्य स्वीकार कर लेता। उन व्यक्तियों को जो इस के अधिकारी हैं, रोकने का प्रश्न ही कहाँ उठता है ? मैं ने माननीय सदस्यों के भाषण ध्यान से सुने और समझे हैं परन्तु उन्हें मेरी कठिनाई को भी देखना चाहिए इन बातों पर हमारा कोई वश नहीं है।

अमरीकन संविधान का हवाला दिया गया था। यह कहा गया था कि वहाँ इस का कुछ प्रबन्ध किया गया था। मैं ने उसका अध्ययन नहीं किया है। सम्भवतः वहाँ हमारे अनुच्छेद ३२६ जैसा कोई उपबन्ध नहीं है और उनकी व्यवस्था के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, यहाँ ऐसा करना ठीक नहीं होगा कि निर्वाचन के समय भी यदि कोई अपनी आयु का प्रमाण पत्र ले आये तो उसे स्वीकृति दे दी जानी चाहिये। व्यावहारिक कारणों से ऐसा नहीं किया जा सकता है। मुझे अपने ज़िले का एक मामला ज्ञात है जहाँ एक व्यक्ति पर झूठा प्रमाण पत्र देने पर अभियोग चलाया गया था यद्यपि उस प्रमाण पत्र पर मुहर एवं हस्ताक्षर थे।

इस तरह की पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। हमारी विधि इस प्रकार की है कि किसी तिथि विशेष पर उसे एक निश्चित आयु का होना चाहिये और उसका नाम भी निर्वाचक नामावलि में

होना चाहिये, मेरा विचार है कि इन सभी बातों को देखते हुए प्रवर समिति एक बहुत ही सही नतीजे पर पहुंची है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा कही हुई बात के महत्व को कम नहीं करना चाहता, लेकिन अब भी मेरा विचार यही है कि हम अभी तक इस समस्या का प्रवर समिति से अच्छा कोई समाधान नहीं ढूंढ पाये हैं। इसलिये, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने संशोधन वापिस ले लें और इस खण्ड को ज्यों का त्यों रहने दें। मुझे उन संशोधनों से पूर्ण सहानुभूति है। क्योंकि मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १९, २०, २२ और २१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे अपने संशोधन संख्या ९ को वापिस लेने की अनुमति दी जाये।

संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड १२ से १७ तक लूंगा। खण्ड १५ महत्वपूर्ण है। मैं अन्य खण्डों को लोक-सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

खण्ड १२ से १४ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १५—(धारा २१ से २५ के स्थान पर नई धारायें रखना)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री साधन गुप्त ने संशोधन संख्या २४ और २७, श्री कामत ने संशोधन संख्या २५, २६ और २८, तथा श्री विभूति मिश्र ने संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत किये।

†**श्री साधन गुप्त** : यह नितान्त आवश्यक है कि निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण प्रति वर्ष किया जाय। ऐसा न करने से अनेक व्यक्तियों के मताधिकार से वंचित हो जाने की सम्भावना है। इसी लिये, मैं चाहता हूँ इस खण्ड में से वे पंक्तियां निकाल दी जायें जिनमें पुनरीक्षण न भी हो सकने की सम्भावना बताई गई है। यही मेरा पहला संशोधन है।

मेरा दूसरा संशोधन राजनीतिक पार्टियों की सहायता के सम्बन्ध में है। इसके द्वारा मैं इस खण्ड में एक और धारा जोड़ कर सहयाता प्राप्त करना अनिवार्य बना देना चाहता हूं। सहयोग प्राप्त न होने का कारण यह नहीं है कि राजनीतिक पार्टियाँ उसकी ओर से उदासीन रहती हैं, बल्कि यह है कि आजकल की व्यवस्था में ऐसा करना असम्भव है। उदाहरण के लिये, यदि उन्हें निर्वाचक नामावलियों का एक-एक मसौदा न दिया जाये, तो राजनीतिक दल कैसे सरकार को उसमें मदद दे सकते हैं? उन्हें कैसे पता चलेगा कि किन-किन व्यक्तियों के नाम उसमें हैं और कौन रह गये हैं। इसलिये, जनता, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों को सभी उचित सुविधायें दी जानी चाहिये। जिन राजनीतिक दलों और संगठनों को मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके सहयोग का दायित्व निर्वाचन अधिकारी के निर्णय पर छोड़ देना चाहिये। यह इसलिये आवश्यक है कि राजनीतिक दल जनता के अधिक निकट सम्पर्क में रहते हैं और वे निर्वाचन विभाग की अपेक्षा अधिक सही निर्वाचक नामावलियां तैयार कराने में हाथ बंटा सकती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

यदि इस कार्य को सरकार के विभागों पर ही छोड़ दिया गया, तो यही होता रहेगा कि, कलकत्ता की तरह, लोगों के नाम निर्वाचक नामावलियों में लिखे जाने से छूट जायेंगे और उनकी कोशिशों के बाद भी शामिल नहीं किये जायेंगे ।

इसीलिये, मैं चाहता हूँ कि निर्वाचक नामावलियां बनाने का कार्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ही किया जाय । उन पर जनता को भरोसा भी होता है । किसी संविहित अनुदेश में ऐसा सहयोग प्राप्त करने का उल्लेख न होने के कारण अधिकारी वर्ग सहयोग मिलने पर भी उससे लाभ उठाने से कतराते हैं । यह इसीलिये कि वे अपने-आपको उन दलों के सम्पर्क में नहीं दिखाना चाहते जिनकी ओर सरकार का रुख कुछ भी कठोर है । इसलिये, ऐसे अधिकारियों की सुरक्षा के लिये, जनता के भी हित में यही है कि किसी संविहित आदेश के द्वारा इस प्रकार का सहयोग प्राप्त करने का निदेश दिया जाय ।

†**श्री कामत** : मैं श्री साधन गुप्त से इस बात में सहमत हूँ कि निर्वाचन आयोग को पूर्ण समानता के आधार पर सभी दलों की सहायता ले लेनी चाहिये और इस सहायता देने के लिये उन्हें सभी उचित सुविधायें दी जानी चाहिये यही हमारे निर्वाचनों का आधार है, इसलिये इसमें किसी प्रकार की कोई कमी रह जाने से समूचे निर्वाचनों में कमी आ जायेगी । इसीलिये, मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि सभी निर्वाचन-क्षेत्रों की प्रारूप निर्वाचन नामावलियां और अन्तिम नामावलि की दो-दो प्रतियां सभी मान्यता-प्राप्त दलों और प्रत्येक विधिवत नाम निर्देशित उम्मेदवार को निशुल्क दी जानी चाहिये । इसके बिना कोई भी राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग को कोई भी सहायता नहीं दे सकता है । पिछले निर्वाचन में, बम्बई सरकार ने उम्मीदवारों को निर्वाचक नामावलियों की सात-सात प्रतियाँ निशुल्क दी थीं । इस बारे में, बम्बई सरकार अधिक प्रगतिशील सिद्ध हुई है । दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो होना चाहिये ।

मेरा संशोधन संख्या २८ प्रस्तावित धारा २३ के बारे में है जिसकी उप-धारा (४) में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी आवेदन-पत्र के अस्वीकार कर दिये जाने पर अपील निर्वाचन आयोग के पास होगी । मेरा संशोधन यह है कि निर्वाचन आयोग के पास पहले ही अथवा मुख्य निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के आदेश के सम्बन्ध में अपील कर सकने का अधिकार भी दिया जाना चाहिये । दोनों ही दशाओं में निर्वाचन आयोग के पास अपील करने का अधिकार होना चाहिये ।

श्री विभूति मिश्र : मुझे अपने ३ नम्बर के संशोधन पर यह निवेदन करना है कि धारा १५ के पार्ट ५ में आप ने जो यह व्यवस्था रखी है कि हर एक अपील के लिये प्रार्थी को एक निश्चित फीस जमा करनी पड़ेगी जो कि किसी भी हालत में वापिस नहीं दी जायगी, मैं समझता हूं कि फीस की व्यवस्था रख कर हमारे ला मिनिस्टर साहब ने देहात के रहने वाले उन अशिक्षित और गरीब लोगों के प्रति नाइंसाफी बर्ती है और इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान द्वारा हर एक निवासी को जो बालिग मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है, उसको आप उनसे इस फ़ीस की व्यवस्था को रख करके छीनने जा रहे हैं । अगर हमारे ला मिनिस्टर साहब गांवों में गये होंगे तो उन्होंने स्वयं देखा होगा कि हमारे देहातों के निवासियों की आर्थिक दशा कैसी है ? वे बेचारे सुबह से शाम तक जी तोड़ कर परिश्रम करते हैं लेकिन उनको पेट भर भोजन और कपड़ा नहीं मिल पाता है । दिन भर काम करने के बाद गांवों में हमारे यहां उनको पक्का सेर भर अनाज मजदूरी के रूप में मिलता है और आज के दिन वे बेचारे अपना और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं । अब आप ही बतलाइये कि अगर ऐसे गरीब आदमियों का मतदाता सूची में नाम शामिल होने से रह गया तो वह अपना नाम दर्ज कराने के लिये कहां से फीस जुटायेगा ? मान लीजिये कि थोड़े से ऐसे भी आदमी जो आजकल कांग्रेस का काम करते हैं, पब्लिक वर्क करते हैं और उनमें उनकी दिलचस्पी है और यदि ऐसे लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट

†मूल अंग्रेजी में

में दर्ज होने से रह गया तो उनको अपना नाम दर्ज कराने के वास्ते २५, ३० मील देहातों से दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर (जिले के सदरमुकाम) में जाना पड़ेगा, अगर वहां पर काम न बना तो उनको पटना जाना पड़ेगा या थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि उनको उस काम के लिये दिल्ली आना पड़े, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह सब खर्चा उनके पास कहां से आयेगा ? मैं तो ऐसा समझने पर मजबूर हूं कि विधान में बालिग मताधिकार का जो अधिकार भारतवासियों को दिया गया है, वह इस प्रकार की कानून में व्यवस्था करके लोगों से छीना जा रहा है और इसीलिये मैंने अपने अमेंडमेंट द्वारा यह चाहा है कि इस ५ नम्बर के सब-क्लाज़ को हटा दिया जाय ।

आप ही बतलाइये कि एक गरीब आदमी, कहां से फ़ीस जुटा सकता है । और इस फ़ीस की व्यवस्था इसमें शामिल देखकर तो मुझे ताज्जुब होता है कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा क्योंकर सम्भव हुआ । उस कांग्रेस के शासनकाल में जो सन् १९२० से लेकर आज तक देश की गरीबी और भुखमरी को मिटाने के वास्ते संघर्ष करती आ रही है, फ़ीस की शर्त लगाना कुछ समझ में नहीं आता और साफ जाहिर है कि इसका असर देश के एक बहुत बड़े तबके पर लगेगा क्योंकि देश में गरीबों की तादाद बहुत काफी है और ऐसे लोगों से जिन के पास खाने के लिये भी पर्याप्त साधन न हो उनसे नाम दर्ज कराने के वास्ते फ़ीस की मांग करना सरासर उनके साथ बेइंसाफी करना है और उनको वोट देने के हक से महरूम करना है । मैं नहीं समझता कि कोई भी इस बात को कबूल करेगा कि एक गरीब आदमी से फ़ीस वसूल करके उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया जाय, बगैर फ़ीस मिले उसका नाम दर्ज न किया जाय । मैं तो समझता हूं कि इस तरह का काम तो सरकार को अपने खर्चे से करना चाहिये और जब सरकार यह कहती है कि हम बालिग मताधिकार के आधार पर इस सरकार को बना रहे हैं तब गरीब आदमियों से फ़ीस लेकर उनका नाम दर्ज करने की बात कहां तक वाजिब है ? इस सम्बन्ध में मैं आप को महाराजा अशोक के राज्यकाल का उदाहरण देना चाहता हूं कि यदि अशोक महाराज के राज में किसी घर में चोरी होती थी तो राजा को जो खाने पीने वगैरह का भत्ता और वेतन आदि मिलता था उसमें से कटौती करके आवश्यक सुधार कर दिया जाता था । उसी तरह मैं तो चाहूंगा कि आज के दिन भी अगर हमारे राज्य में किसी वोटर का नाम सूची में शामिल होने से छूट गया, तो इसके लिये लॉ मिनिस्टर साहब को सजा देनी चाहिये क्योंकि निश्चय ही यह उनकी जिम्मेदारी है कि इस की ठीक तौर पर व्यवस्था करें और अगर व्यवस्था दोषपूर्ण रह जाती है तो उसके लिये जिम्मेदार मिनिस्टर साहब को सजा होनी चाहिये न कि उस गरीब आदमी को जिसका कि नाम सरकार की असावधानी से वोटर लिस्ट में दर्ज होने से रह गया । उस गरीब आदमी से जिस के पास भरपेट खाने को भी नहीं है उससे नाम दर्ज कराने के वास्ते फ़ीस की मांग करना सरासर अन्यायपूर्ण है । आज गांवों में कितने आदमी ऐसे हैं जो कि इस तरह की फ़ीस देने की हैसियत में हैं ? यह सरकार का काम है कि बिना उनसे फ़ीस लिये हुए अगर किसी वोटर का नाम सूची में दर्ज होने से रह गया हो, तो उसको दर्ज कर दें । इसलिये मेरी मांग है कि यह जो फ़ीस की व्यवस्था वाला सब-क्लाज़ नम्बर ५ है, इसको कानून में से हटा दिया जाय और अपने ३ नम्बर के अमेंडमेंट से यही मैंने चाहा है और मैं चाहता हूं कि सरकार को बिना कोई फ़ीस लिये हुए अगर किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से रह गया हो तो उसके नाम को सूची में दर्ज करना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब माननीय मंत्री बोलेंगे ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं अधिक समय नहीं लूंगा । मैं शुल्क के सम्बन्ध में पहले ही कह चुका हूं कि वह केवल एक रुपया है । मेरे माननीय मित्र श्री विभूति मिश्र तो माननीय मंत्री को दंण्डित करना चाहते हैं ! मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री पर इन चीजों का दायित्व है भी या नहीं, क्योंकि निर्वाचन आयोग तो संविधान के अन्तर्गत बनाया गया एक स्वतन्त्र प्राधिकार ही है । माननीय सदस्य चाहते हैं कि मंत्री

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

के लिये एक दण्ड निश्चित किया जाय । हो सकता है कि १८ करोड़ व्यक्तियों में से कुछ के नाम कभी छूट जायें । मैं उन को क्या उत्तर दूं जो गरीब जनता के नाम में मनमानी बातें कह बैठते हैं । मैं केवल यही एक उत्तर उन्हें दे सकता हूं । कदाचित मेरे मित्र ने उस विधान का जिसे हम बना रहे हैं रुझान नहीं समझा है, निर्वाचन आयोग को संविधान ने ही जन्म दिया है । माननीय सदस्य इसे समझने में असमर्थ रहे और इसीलिये वे गरीब जनता के नाम में ऐसी आलोचना कर गये हैं । मैं नहीं कह सकता कि इस मामले में गरीब ही भारी संख्या में इससे प्रभावित हुए हैं या नहीं । ऐसे बे सिर पैर के तर्कों के उत्तर में कहने के लिये मेरे पास अधिक कुछ नहीं है ।

माननीय सदस्य श्री कामत के इस सुझाव के सम्बन्ध में कि उम्मीदवारों को भी निर्वाचन नामावलियों की कुछ प्रतियां दी जानी चाहिये, किस अवस्था पर और किस प्रकार से, मेरा विचार है कि इन मामलों को नियमों, या अनुदेशों द्वारा ही विहित और निर्णीत होने के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये । उसका इस सुझाव से कोई सम्बन्ध नहीं है कि बम्बई राज्य में ऐसा कोई उपबन्ध न होने पर भी निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां दी गई थीं । यह एक अलग बात है । मेरे विचार से तो इस मामले पर निर्वाचन आयोग को ही विचार करना चाहिये । कल यह बताया भी गया था कि अभी कुछ ही महीनों पहले निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया था और कुछ अस्थायी निर्णय किये थे और कुछ अनुदेश भी जारी किये थे । मेरा यही विचार है कि इन मामलों को पहले उनके परिणामों और उन पर होने वाले खर्चों पर विचार किये बिना संविधि-पुस्तक में शामिल नहीं करना चाहिए । ये ऐसे मामले हैं जिन पर निर्वाचन आयोग अवश्य ही विचार करेगा । और , जब नियम बन चुकेंगे तो वे लोक-सभा पटल पर रख दिये जायेंगे । मैं यह बता देना चाहता हूं कि श्री कामत ने खण्ड २४ के जिस उप खण्ड (ख) (३) के बारे में संशोधन प्रस्तुत किया था, उसके स्थान पर हम एक दूसरा खण्ड जोड़ेंगे, जिस से कि श्री कामत को पूरा संतोष हो जायेगा । वह इस प्रकार है :

> "All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid for not less than thirty days before both Houses of Parliament and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which they are so laid or the session immediately following ."
>
> ["इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियम को उनके बनाये जाने के यथा सम्भव शीघ्र ही बाद, कम से कम तीस दिन के लिये संसद् की दोनों सभाओं के सामने रखे जायेंगे और उनमें वे सभी रूपभेद किये जा सकेंगे जिन्हें संसद उनके इस प्रकार रखे जाने वाले सत्र में या उसके तुरन्त पश्चात् वाले सत्र में करे ।"]

†**श्री कामत** : यह तो मेरा ही संशोधन है ।

†**श्री पाटस्कर** : लेकिन यह कुछ भिन्न है । मेरा विचार है कि इससे उन सभी तर्कों की संतुष्टि हो जायेगी, जो इन खण्डों के बारे में दिये गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४, २७, २५, २६ और २८ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिये रखा गया तथा **अस्वीकृत हुआ** ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खण्ड १५ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

खण्ड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १६ और १७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : परम्परा और प्रथा यह रही है कि समय समाप्त हो जाने के बाद, सरकार द्वारा रखे गये सभी संशोधनों के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये। खण्ड १८ के लिये दो संशोधनों की सूचना दी गयी है।

खण्ड १८—(धारा २७ का संशोधन)

संशोधन किये गये : (१) पृष्ठ ६, पंक्ति १७ में, "a local authority" ["एक स्थानीय प्राधिकारी"] के स्थान पर "each such authority" ["प्रत्येक ऐसा स्थानीय प्राधिकारी"] शब्द रखे जायें।

(२) पृष्ठ ७, पंक्ति ३ और ४ में से "excluding the second proviso to Sub-section (2)" "[उपधारा (२) के दूसरे उपबन्ध को छोड़ कर]" शब्द हटा दिये जायें।

—[श्री पाटस्कर]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्य यह है :

"खण्ड १८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १९ से २३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड २४ : (धारा २८ का संशोधन)

†**संशोधन किया गया** : पृष्ठ ७ पर पंक्ति ३० से ३२ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid for not less than thirty days before both Houses of Parliament and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which they are so laid or the session immediately following."

—[Shri Pataskar]

["(३) उस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, उनके बनाये जाने के यथा शीघ्र बाद, कम से कम तीस दिन तक संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष रखे जायेंगे और उन में वह रूप भेद किये जा सकेंगे जो कि संसद् उसी सत्र में, जिस में वह उसके समक्ष रखे गये थे या उसके तत्काल बाद वाले सत्र में करे।"]

—[श्री पाटस्कर]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खण्ड २४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २५ से २८ विधेयक में जोड़ दिये गये।

नया खण्ड २९

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक नये खण्ड २९ को जोड़ देने के सम्बन्ध में एक सरकारी संशोधन संख्या ६ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन किया गया : पृष्ठ ८ पर पंक्ति २० के बाद यह जोड़ दिया जाये :

"**29. Repeal of Ordinance 7 of 1955** :—The Representation of the Peoples (Amendment) Ordinance, 1955 is hereby cancelled."

—[**Shri Pataskar**]

["**२९. १९५५ के अध्यादेश ७ का निरसन :** लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, को १९५५ निरसित किया जाता है।"]

—[श्री पाटस्कर]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"नया खण्ड २९ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खण्ड २९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १—(संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया : पृष्ठ १ में खण्ड १ के स्थान पर यह रखा जाये :

"**1. Short title.** This Act may be called the Representation of the Peoples (Amendment) Act, 1956."

—[Shri Pataskar]

["**१ संक्षिप्त नाम :** इस अधिनियम को लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहा जाये।"]

—[श्री पास्टकर]

†**श्री पाटस्कर :** यह अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होते ही लागू हो जायगा ।

†**श्री कामत :** यहां पर तो यह कहा गया है कि यह १ जनवरी, १९५६ से लागू होगा ।

†**श्री पाटस्कर :** खण्ड १ के सम्बन्ध में मेरे संशोधन संख्या २ के स्वीकार किये जाने के उपरान्त, अब कहीं इस बात का संकेत नहीं किया गया है कि यह किस तिथि से लागू किया जायगा । यह उस दिन से लागू होगा जिस दिन इस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जायगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस प्रकार श्री पास्टकर द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन की दृष्टि से खण्ड १ का उपखण्ड (२) हटा दिया गया है ।

प्रश्न यह है :

"खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

†**संशोधन किया गया :** "पृष्ठ १ की पंक्ति १ में "Sixth Year" ["छठवें वर्ष"] के स्थान पर "Seventh Year" ["सातवां वर्ष"] रखा जाये ।

—[श्री पाटस्कर]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधिजीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"भारतीय विधिजीवी अधिनियम १९२६ में संशोधन करने वाली कुछ राज्य विधियों का मान्यीकरण करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

यह अत्यन्त ही सीधा सा विधेयक है । भारतीय विधिजीवी उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, १९५० (उ० प्र० का १९५० का २४वां अधिनियम) में इलाहाबाद परिषद् और अवध परिषद् को विघटित करने और इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के लिये एक तदर्थ विधिजीवी परिषद् स्थापित करने का उपबन्ध किया गया था । जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, पहले अवध का मुख्य न्यायालय था और इलाहाबाद में उच्च न्यायालय था । संविधान के लागू होने के उपरान्त, स्वभावतया, केवल एक ही उच्च न्यायालय रहा और यह इलाहाबाद का उच्च न्यायालय था । इसलिये उत्तर प्रदेश के लिये एक विधिजीवी परिषद् की स्थापना करने के लिये यह अधिनियम पारित किया गया था ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

परन्तु इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, ए० आई० आर० १९५४ इलाहाबाद ७२८ में प्रतिवेदित एक निर्णय में कहा है कि इस अधिनियम की विषय-वस्तु संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई संघीय सूची की प्रविष्टि ७८ के बाद के भाग से, अर्थात् "उच्च न्यायालयों के सामने विधि व्यवसाय करने का हक्क रखने वाले व्यक्ति", से सम्बन्धित थी और समवर्ती सूची की प्रविष्टि २६—"विधिवृत्तियां, वैधक वृत्तियां और अन्य वृत्तियां"—से नहीं । जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, हमारे संविधान में दो प्रविष्टियां हैं : समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या २६, "विधि वृत्तियां, वैधक वृत्तियां और अन्य वृत्तियां" और संघ सूची में प्रविष्टि संख्या ७८, "उच्च न्यायालयों के सामने विधि व्यवसाय करने का हक्क रखने वाले व्यक्ति ।" इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस मामले का प्रविष्टि संख्या ७८ से अधिक सम्बन्ध था और इसलिये उसने यह निर्णय दिया कि यह अधिनियम शक्ति परिस्तात् था । अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि इस निर्णय के कारण, उस राज्य में विधिजीवी परिषद् अधिनियम की कार्यान्विति में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गयीं हैं ।

इसी प्रकार, आन्ध्र राज्य का निर्माण किये जाने पर राष्ट्रपति ने, उस समय उन में निहित आन्ध्र विधान सभा की शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय विधिजीवी परिषद् (आन्ध्र संशोधन) अधिनियम, १९५४ (राष्ट्रपति का १९५४ का सातवां अधिनियम, और मद्रास विधान सभा ने भारतीय विधान जीवी परिषद् (मद्रास संशोधन) अधिनियम १९५४ अधिनियमित कर के आन्ध्र राज्य और मद्रास राज्य के लिये पृथक् विधिजीवी परिषदों की स्थापना का उपबन्ध किया । मान लीजिये कि यदि यह मामला कहीं उठाया जाता तो इस का कुछ न कुछ निर्णय किया ही जाता । जहां तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

इस मामले विशेष के अतिरिक्त, यह वांछनीय है कि हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर के मामले को सुलझा दें और असंदिग्ध रूप से यह स्पष्ट कर दें कि यह अधिनियम उसी प्रकार मान्य होंगे जैसे कि वह इसी संसद् द्वारा ही पारित किये गये थे। मेरा विचार है कि यह विधेयक प्रायः विवादरहित प्रकार का है। इस का उद्देश्य एक छोटी सी समस्या को सहज बनाने, एक ऐसी चीज में सुधार करने का है जिस ने कुछ मत भेद उत्पन्न कर दिया है। मुझे आशा है कि इस विधेयक को पारित कर दिया जायगा। राज्य सभा इस विधेयक को पारित भी कर चुकी है।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शालापुर) : मुझ को प्रक्रिया सम्बन्धी एक आपत्ति है। प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम ९१ के अनुसार मान्यीकरण उपबन्ध के साथ ही उन अधिनियमों को भी, जिनको कि इसके द्वारा मान्यता दी जा रही है, सरकारी सूचना पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिये।

विधान सभाओं राज्य द्वारा पारित किन्हीं अधिनियमों के उपबन्धों को हम मान्यता दे रहे हैं, उनको हम स्वयं अपने विधान बनाने जा रहे हैं। अतः इन सभी उपबन्धों को वर्तमान विधेयक में स्थान दिया जाना चाहिये था। यदि इन नियमों के अन्तर्गत किसी विधेयक को प्रकाशित किया जाना है, तो उन अधिनियमों के, जिनको मान्यता प्रदान की जाती है, उपबन्धों समेत एक साथ ही उसे प्रकाशित किया जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी विधानों को विधेयक के मान्यता प्रदान करने वाले उपबन्धों के साथ-साथ प्रकाशित किया गया है।

एक दूसरी आपत्ति यह है कि केवल मान्ययीकरण उपबन्ध ही सदस्यों में पारिचालित किये गये हैं। अन्य अधिनियमों को पारिचालित नहीं किया गया है। हम एक उच्च न्यायालय के निर्णय को निरक्षित करने जा रहे हैं, इसलिये इस बात को इतने हलके ढंग से नहीं लेना चाहिये।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर विचार ही नहीं किया जाना चाहिये। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया है कि यह विधि केवल संसद् द्वारा अनुच्छेद २४६ के साथ संघीय सूची की प्रविष्टि ७८ के उपबन्धों के अनुसार ही बनायी जानी चाहिये थी। यहां हम एक ऐसी विधि को मान्यता प्रदान करने जा रहे हैं जिस का वास्तविक अथवा वैधानिक किसी भी रूप में कोई अस्तित्व ही नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह संसद् एक नयी विधि का निर्माण करने जा रही है। यदि किसी नयी विधि का निर्माण करना है तो उस विधि के सभी उपबन्ध विधेयक में रखे जाने चाहियें। इस विधेयक में कहा यह गया है कि ऐसी तीन विधियों को मान्यता प्रदान की जाये जो अवैध विधियां हैं; जिन का अस्तित्व ही नहीं है; उनको मान्यता प्रदान की जाये। ऐसा विधेयक लोक-सभा द्वारा विचार किये जाने के लिये पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता।

†**सभापति महोदय** : शांति, शांति। इस प्रश्न पर क्या किसी वस्तु का अस्तित्व है या नहीं, उसको मान्यता प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं; उस समय विचार किया जायगा जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। मुझे प्रस्ताव प्रस्तुत न करने देने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। श्री मोरे की बात मेरी समझ में आती है, और मैं उस पर विचार करूंगा। परन्तु जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस बात पर प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

†**श्री पाटस्कर** : जहां तक पहले वाले का सम्बन्ध है: नियम ९१ में कहा गया है :

> "विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने के बाद यथा सम्भव शीघ्र विधेयक गजट में प्रकाशित कर दिया जायेगा, यदि वह पहले न प्रकाशित किया जा चुका हो।"

---

†मूल अंग्रेजी में

और यह विधेयक भी जब पुर:स्थापित किया गया था उस समय सरकारी सूचना पत्र में प्रकाशित किया गया था। जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है, इसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं के कुछ अन्य अधिनियमों को मान्यता प्रदान करना है जिन का उल्लेख उस अनुसूची में, जो विधेयक के साथ सरकारी सूचना पत्र में प्रकाशित की गयी है, किया गया है। हां, प्रतियों की उपलब्धता का प्रश्न दूसरा है, परन्तु जहां तक नियम ९१ का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उसके अर्थ में प्रकाशन किया गया था स्वयं विधेयक ही प्रकाशित किया गया था।

†**सभापति महोदय :** प्रथा यह है कि विधेयक के पुर:स्थापित किये जाते ही उसकी एक प्रति उन विधानों की प्रतियों के साथ, जिनको संशोधित करना अपेक्षित होता है परिचालित की जाती है यह कार्य आज भी किया जा सकता है।

जहां तक नियम ९१ का सम्बन्ध है, विधेयक को प्रकाशित कर दिया गया है। जहां तक नियम ९१ का सम्बन्ध है उसमें यह नहीं कहा गया है कि विधेयक में जिन अधिनियमों का निर्देश हो उनको भी प्रकाशित किया जाना चाहिये। अत: श्री मोरे की आपत्ति में कोई बल नहीं है।

†**श्री एस० एस० मोरे :** एक दूसरा प्रश्न भी है। मैं अध्यक्ष-पीठ के पुराने विनिर्णयों का भी उल्लेख कर सकता हूं जिन में कहा गया है कि जब सभा में कोई विशेष मामला उठाया जा रहा हो, तो उनका, जो उस प्रस्ताव-विशेष के प्रभारी हों, यह कर्त्तव्य है कि वह लोक-सभा को सभी सम्बन्धित तथ्यों से परिचित रखें। विधेयक को प्रकाशित करने का आवश्यक सिद्धांत यह है कि सारे देश को यह ज्ञात हो जाय कि लोक-सभा उनके जीवन को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से विधेयक पारित करने जा रही है। इस मान्यीकरण विधेयक के द्वारा हम इन तीन अधिनियमों के सभी उपबन्धों को मान्यता प्रदान करने जा रहे हैं। परन्तु हमें यह भी ज्ञात नहीं है कि उन में कितनी धारायें हैं, उनके क्या उपबन्ध हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम अज्ञान में रहते हुए सभी उपबन्धों को मान्यता प्रदान करेंगे और क्या यह हमारे सम्मान और देश के प्रति हमारे उत्तर दायित्व के अनुरूप होगा ? हमारा एक ऐसा लोकतन्त्र है जो जागरूक और सतर्क लोकतंत्र है, अज्ञान और अंध भक्त लोकतन्त्र नहीं है।

†**सभापति महोदय :** जब नियम पहले से मौजूद हों तब अध्यक्ष-पीठ का काम उन में वृद्धि करना नहीं है। माननीय सदस्य ने स्वयं ही नियमों में परिवर्तन किये जाने की सूचना दी होती और नियम समिति ने नियम ९१ में उनकी इच्छानुसार परिवर्तन कर दिया होता।

साथ ही एक ऐसे नियम की अनुपस्थिति में, जिस के अनुसार यह आवश्यक हो कि विधेयक के साथ सम्बन्धित उपबन्ध प्रकाशित किये जाने चाहिये; ऐसे किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने में मुझे कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मेरे विचार में यह बिल्कुल वांछनीय है कि अधिनियमित किये जाने वाले सभी उपबन्ध सदस्यों में परिचालित किये जायें ताकि वे उन उपबन्धों को अज्ञानवश वैसे ही पारित न कर दें। इसलिये मैं यह वांछनीय समझता हूं कि अधिनियमित किये जाने वाले उपबन्धों के साथ विधेयक को सदस्यों को परिचालित किया जाये। अधिक अच्छा होता कि इन अधिनियमों की प्रतियां इस विधेयक के साथ परिचालित की जातीं किन्तु इसका सम्बन्ध प्रक्रिया से है किसी नियम से नहीं। इसलिये मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : आप को प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहिये न कि मतदान के लिये।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव तब पारित होगा जब.....

†**श्री साधन गुप्त :** प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है और चाहे उस पर विचार किये जाने की अनुमति मिले अथवा न मिले, मैं उसे उचित समय पर मतदान के लिये रखूंगा ।

†**श्री साधन गुप्त** : किन्तु प्रस्ताव पर चर्चा होगी ?

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे जाने के बाद उस पर चर्चा होगी ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय अधिनियम, १९२६ में संशोधन करने वाली कुछ राज्य विधियों का मान्यीकरण करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

†**श्री यू० एस० त्रिवेदी** : विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, कि संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या ७८ के उपबन्धों के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये एक निर्णय के अनुसार, जिस के द्वारा उत्तर प्रदेश अधिनियम, १९५० का २४वां शक्ति परस्तात् घोषित किया गया है, यह विधेयक आवश्यक हो गया है । निर्णय के औचित्य के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते हैं.....

†**सभापति महोदय** : इसके पूर्व कि माननीय सदस्य आगे कुछ कहें मैं सदन को स्मरण दिलाता हूं कि केवल आधे घंटे का समय दिया गया है ।

†**श्री यू० एस० त्रिवेदी** : मान लीजिये कि हम इस विधेयक को अस्वीकार करना चाहें तो इसमें अधिक समय लगेगा ।

†**सभापति महोदय** : कार्य मंत्रणा समिति ने केवल आधे घंटे का समय दिया है ।

†**श्री यू० एस० त्रिवेदी** : जैसा कि मैं कह रहा था विधि स्पष्ट है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त स्पष्ट निर्णय के बाद दो और विधान भारतीय विधिजीवी परिषद् (आन्ध्र संशोधन) अधिनियम और भारतीय विधिजीवी परिषद् (मद्रास संशोधन) अधिनियम, १९५४ प्रख्यापित करके एक और ग़लती की गई थी । सम्भवत: बाद में कानूनी राय प्राप्त की गई जिस के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि ये तीनों अधिनियम अवैध थे ।

यह संसद् काफी शक्तिशाली है और कोई भी विधि बना सकती है । इस संसद् में सभी अवशिष्ट शक्तियां मौजूद हैं, किन्तु जब विधि का कोई विशिष्ट उपबन्ध हो तब कोई अवशिष्ट शक्ति काम में नहीं लाई जानी चाहिये । अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कि कोई विशिष्ट उपबन्ध न हो । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह विधि जिसके द्वारा तीन तथा कथित अवैध विधियों के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की जायेगी, स्वयं ही असंवैधानिक है । प्रथम कारण तो यह है कि विशिष्ट उपबन्ध मौजूद है और दूसरे इन विधियों को उच्च न्यायालय द्वारा आरम्भत: शून्य घोषित किया गया है और जो बात आरम्भत: शून्य हो उसे आप मान्यता प्रदान नहीं कर सकते हैं ।

यहां आप एक ऐसी विधि को मान्यता प्रदान कर रहे हैं जिस का अस्तित्व ही नहीं है । एक्सटियेन नार्टन बनाम शेलबी काउंटी (११८, अमरीका, पृष्ठ १७९) के मामले में अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसका केवल सम्बन्धित हिस्सा मैं पढ़कर सुनाता हूं ।

"कोई असंवैधानिक अधिनियम, वैधिक अवेक्षण में वस्तुत: ही प्रवर्त्तन शून्य है जैसे कि वह कभी पारित हीन किया गया हो ।"

इसलिये इस विधि का कोई अस्तित्व ही नहीं है ।

विधि-कार्य मंत्री स्वयं एक वकील है और यह विधि विधि मंत्रालय द्वारा बनाई गई है । बड़े आश्चर्य की बात है कि विधि मंत्रालय द्वारा ऐसी अवैध विधि बनाई गई.....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाटस्कर** : ऐसी कोई बात नहीं हुई है ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : हमें स्थिति का मूल्यांकन करना है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाये ।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान पटना उच्च न्यायालय के एक निर्णय (५० पटना, पृष्ठ ३९२) की ओर आकर्षित करता हूं । इस मामले में विधि के कुछ विशिष्ट प्रावधानों को मान्यता प्रदान कराने के लिये राष्ट्रपति से उन्हें प्रमाणीकृत करने के लिये कहा गया था । न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो अधिनियम अवैध है उसे केवल प्रमाणीकरण से मान्य नहीं किया जा सकता है ।

इन परिस्थितियों में माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापिस लें और एक उचित विधि बनाई जाने के लिये एक दूसरा विधेयक लोक-सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करें ।

†**श्री साधन गुप्त** : इसक पूर्व कि मैं विधेयक के बारे में कुछ कहूं, मैं विधिजीवी परिषद् के मामले में सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करना चाहता हूं । मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में कोई दो-तीन वर्ष पूर्व, भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के सभापतित्व में एक समिति ने इस आशय की सिफारिश की थी कि एक अखिल-भारतीय विधिजीवी परिषद् होनी चाहिये । यदि माननीय मंत्री द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही की गई होती तो इस प्रकार का विधेयक बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होता ।

वास्तव में एक अखिल-भारतीय विधिजीवी परिषद् की स्थापना अत्यधिक आवश्यक है । हमारे यहां भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न नियम हैं और वर्तमान स्थिति में सुधार करना अत्यावश्यक है । स्वयं इस व्यवसाय में विभिन्न वर्गीकरण हैं । मैं यह कहता रहा था कि भारतीय विधिजीवी वर्ग अराजकता की स्थिति में है । उदाहरण के लिये जिस न्यायालय में मुकदमा प्रारम्भ हुआ हो उसमें फौजदारी मामलों में मुख्त्यार पैरवी कर सकते हैं किन्तु अपील न्यायालय में वे खड़े नहीं हो सकते हैं । एक और विशेष दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम इंग्लैंड के बैरिस्टरों को यहां स्वयं को नामांकित कराने के अधिकार को मान्यता देते हैं जब कि यहीं के व्यक्तियों को जो कि उतनी ही अर्हता रखते हैं, स्वयं को नामांकित कराने का अधिकार प्राप्त नहीं है । ये सभी असंगत बातें, भारतीय विधिजीवी परिषद् को नियमित करने वाला एक व्यापक विधेयक पारित करके, दूर की जानी चाहिये । किन्तु समिति की सिफारिशों के बावजूद भी यह किया नहीं गया है और विभिन्न राज्यों के लिये खण्डशः विधान लाया जा रहा है, जब कि जो बात वास्तव में आवश्यक है उसकी उपेक्षा की जा रही है ।

जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है मैं उसके पारित होने में बाधक न बनूंगा क्योंकि कई उच्च न्यायालयों के किसी हद तक पुनर्गठन होने से वह आवश्यक हो गया है । किन्तु इस विधेयक की संवैधानिक मान्यताओं के बारे में मुझे गंभीर संदेह हैं । हम उन विशिष्ट अधिनियमों को विस्तार में अधिनियमित नहीं कर रहे हैं किन्तु हम उनका अनुसमर्थन करने का प्रयत्न मात्र कर रहे हैं । अमरीका के 'सुप्रीम कोर्ट' ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त एक और पहलू भी है और वह यह है कि जिसका अनुसमर्थन करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं वह किसी राज्य विधान मंडल अथवा उसके स्थान पर कार्य करने वाले किसी प्राधिकार द्वारा पारित कोई अधिनियम है । इस विशिष्ट मामले में हम उत्तर प्रदेश अधिनियम, या मद्रास अधिनियम या आन्ध्र अधिनियम से चाहे सहमत न हों तब भी हम संशोधन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं । इस विधेयक पर विचार करते समय हम उन अधिनियमों के उपबन्धों को संशोधित करने की स्थिति में नहीं हैं । इस तरह का अनुसमर्थन संविधान सम्मत है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में मुझे गंभीर संदेह है । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह मामले के इस पहलू पर भी ध्यान दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाटस्कर** : जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, जो प्रश्न उत्पन्न हुआ था, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, वह यह था कि अवध के मुख्य न्यायालय की समाप्ति और उत्तर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद विधिजीवी परिषद् अधिनियम में पूर्ण परिवर्तन किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया किन्तु कुछ परिवर्तन करके एक विधिजीवी परिषद् के लिये उपबन्ध करना पर्याप्त समझा गया । पहले दो विधिजीवी परिषदें थीं, एक इलाहाबाद के लिये और दूसरी अवध के लिये । इलाहाबाद में एक उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद, उन्होंने सोचा कि चूंकि वहां कोई दूसरा उच्च न्यायालय नहीं है इसलिये केवल एक ही विधिजीवी परिषद् होनी चाहिये । इसी प्रकार आन्ध्र और मद्रास के विभाजन के बाद यह आवश्यक समझा गया कि वहां दो विधिजीवी परिषदें हों क्योंकि वहां दो पृथक् न्यायालय स्थापित किये गये थे । वे चाहते थे कि केवल दो विधिजीवी परिषदों की स्थापना के लिये विधि जीवी परिषद् अधिनियम में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये बिना ही उपबन्ध किया जाये । वास्तव में विधिजीवी परिषद् न केवल उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जो उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के अधिकारी होते हैं, कार्यवाही करती है वरन सामान्यत: संपूर्ण राज्य के विधिजीवी वर्ग से सम्बन्ध रखती है । इसी दृष्टिकोण से इन परिषदों की स्थापना की गई है । इसके अतिरिक्त इस विधेयक में और कुछ नहीं किया गया है । उत्तर प्रदेश, आन्ध्र और मद्रास में जो वास्तविक स्थिति थी उसके फलस्वरूप ऐसा करना आवश्यक हो गया है ।

किन्तु जब यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब उसने इस आधार पर, कि अधिनियम का सम्बन्ध संघ सूची की प्रविष्टि ७८ से था, अधिनियम को राज्य विधान-मंडल से शक्ति परस्तात् घोषित कर दिया । प्रविष्टि ७८ में कहा गया है :

> "उच्च न्यायालयों के पदाधिकारी और मृत्यों के बारे के उपबन्धों को छोड़ कर और उच्च न्यायालयों का गठन और संघठन, उच्च न्यायालयों के सामने विधि व्यवसाय करने का हक्क रखने वाले व्यक्ति ।"

जैसा कि हम सब जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील लम्बित है और निर्णय क्या होगा इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते । किन्तु वास्तव में, इस मुकदमे बाजी के परिणाम स्वरूप प्राविधिक दृष्टि से पर्याप्त असुविधा हो रही है । श्री साधन गुप्त की भावनाओं को मैं समझता हूं । किन्तु किसी का अधिकार छीन लेने अथवा किसी के पीठ पीछे कोई बात करने का हमारा उद्देश्य नहीं है । जो कुछ हुआ है वह यह है कि एक निर्णय विशेष प्रशासनिक स्वरूप की कठिनाई उत्पन्न कर रहा है और सामान्य जनता के और व्यवसाय के हित में हमें उस कठिनाई को हल करना है । केवल इसी दृष्टिकोण से, यह छोटा सा विधेयक, जिस का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में दो के स्थान पर एक विधिजीवी परिषद् की स्थापना को मान्यता प्रदान करना और आन्ध्र और मद्रास के लिये पृथक् विधिजीवी परिषदों की स्थापना करना है, लाया गया है । निस्संदेह मैं यह मानता हूं कि मेरे कुछ कहने के बजाय, यदि इस अधिनियम की कुछ प्रतियां परिचालित कर दी गईं होतीं तो अधिक अच्छा होता ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : हमने पुस्तकालय में कोशिश की थी किन्तु एक भी प्रति उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री पाटस्कर** : इस दृष्टिकोण के प्रति वास्तव में मेरी सहानुभूति है । मैं यह मानता हूं कि यदि हम कुछ प्रतियां प्राप्त कर लेते तो अधिक अच्छा होता । किन्तु सदस्यों से मेरी अपील है कि वे इस बात पर जोर न दें । मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं, कि केवल इलाहाबाद में एक विधिजीवी परिषद् की स्थापना, जो कि इलाहाबाद में एक ही उच्च न्यायालय के होने के कारण आवश्यक हो गई थी, और आन्ध्र और मद्रास में पृथक् उच्च न्यायालयों की स्थापना के कारण मद्रास और आन्ध्र में एक-एक विधिजीवी वैधिक परिषद् की स्थापना, के अतिरिक्त विधिजीवी परिषद् अधिनियम में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया नहीं गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० एस० मोरे** : क्या मैं कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता हूं ?

†**श्री पाटस्कर** : जो भी जानकारी मुझे प्राप्त है वह मैं दे सकता हूं। यह बात नहीं है कि जो कुछ हो चुका है उसे हम मान्यता प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं और एक ऐसे मामले के सम्बन्ध में कर रहे हैं जिस में कि एक उच्च न्यायालय का निर्णय यह था कि जो कुछ किया गया था वह संविधान से असंगत था। इसके विपरीत ऐसा करना न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों को, उदाहरणार्थ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने की इस सरकार की भावना के अनुरूप है। निस्संदेह अन्य बातों का फैसला नहीं किया गया है, किन्तु उसके अलावा, हम यह कहते हैं कि जहां तक न्यायिक न्यायालयों के निर्णयों का सम्बन्ध है वे सर्वोच्च आदर के अधिकारी हैं क्योंकि वे न्यायालय हमारे संविधान के अन्तर्गत कार्य करते हैं। किन्तु इस व्यवसाय के व्यवस्थापन के विचार मात्र से इस विधान को प्रस्तुत किया गया है। निस्संदेह यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है और अब लोक-सभा के समक्ष है। कुछ ही समय पूर्व उत्तर प्रदेश वकील संघ के अध्यक्ष से मेरी भेंट हुई थी और वे इस बात के लिये उत्सुक थे कि उनके रास्ते में आ रही इस प्राविधिक कठिनाई को दूर करके हम उनकी सहायता करने का प्रयत्न करें। मेरा ख्याल है कि उक्त कठिनाई को दूर करने के लिये जो कुछ किया जा सकता है उसी पर हमें अपना ध्यान अधिक केन्द्रित करना चाहिये ताकि विधिजीवी परिषदें उचित ढंग से कार्य कर सकें। इसी दृष्टिकोण से यह विधेयक लाया गया है। दूसरे पक्ष द्वारा व्यक्त किये गये विचारों और संदेहों को मैं समझता हूं किन्तु उनसे, जिन में राजस्थान के मेरे मित्र भी शामिल हैं, मेरी अपील है कि वे इस बात को समझें कि जिन न्यालयायों में किसी प्राविधिक कठिनाई के कारण किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वहां न्यायदान के व्यापक हित में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : यह बात नहीं है कि उनके सद्भाव के बारे में हमें कोई संदेह है। किन्तु किसी कठिनाई को दूर करने के लिये विधेयक प्रस्तुत करते समय हमें कोई अन्य कठिनाइयां उत्पन्न नहीं कर देनी चाहिये।

†**श्री एस० एस० मोरे** : क्या मैं जान सकता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, भारतीय विधिजीवी परिषद् उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, १९५० सम्पूर्णतः राज्य विधान मंडल से शक्ति परस्तात् घोषित किया गया है अथवा उसका कोई हिस्सा ? उसमें कितनी धारायें हैं यह हमें निश्चित रूप से मालूम तक नहीं है।

एक और बात है जिस पर आप विचार करें। हम उत्तर प्रदेश अधिनियम को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। यह बिल्कुल ठीक है। किन्तु जो अन्य दो अधिनियम हैं उन्हें किसी न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी हम उन्हें अमान्यता प्रदान कर रहे हैं। तो क्या हमें क्या यह शक्ति प्राप्त है कि किसी भी न्यायालय के निर्णय के बिना हम किसी राज्य विधान मंडल के कतिपय अधिनियमों को अमान्य घोषित करें और बाद में उन्हें मान्यता प्रदान करें ?

†**श्री पाटस्कर** : हम ने विशेष रूप से मद्रास और आन्ध्र सरकारों से परामर्श कर लिया है क्योंकि एक विधेयक यहां प्रस्तुत किया जाना था। हम चाहते थे कि उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा न की जाये। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधान के प्रस्तुत किये जाने में यही भावना निहित है। मेरा ख्याल है कि हम सही हैं। हमें उच्च न्यायालय द्वारा मामले का निर्णय किये जाने तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये केवल इसी दृष्टिकोण से यह विधेयक लोक-सभा के समक्ष लाया गया है।

†**सभापति महोदय** : मेरा ख्याल है कि सभी विधिजीवी परिषद् अधिनियमों को समेकित करने के लिये एक विधान अवेक्षित था और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी एक समिति नियुक्त की गई

†मूल अंग्रेजी में

[सभापति महोदय]

थी । सभी विधिजीवी परिषद् अधिनियमों के समेकन के लिये सरकार द्वारा एक विधेयक कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**श्री पाटस्कर :** एक संयुक्त विधिजीवी परिषद् की गठन के लिये कुछ वर्षों पूर्व एक समिति नियुक्त की गई थी । इस सम्बन्ध में जो कठिनाई है वह केवल यही है कि कुछ उच्च न्यायालयों के—जैसे कलकत्ता और बम्बई के उच्च न्यायालयों जहां मामलों को मूलत: प्रारम्भ भी किया जा सकता है, बारे में क्या किया जाये । लोक-सभा को मैं यह सूचित कर दूं कि सम्बन्धित पक्षों से और सरकार से चर्चा करने के लिये मैं बम्बई गया था । विधेयक तैयार है और उसके प्रस्तुत किये जाने से पूर्व मैं कलकत्ता जाकर वहां के सम्बन्धित व्यक्तियों से इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं । मेरा ख्याल है कि अल्प समय में विधेयक को प्रस्तुत कर दिया जायेगा । बात यह नहीं है कि उन्हें सहमत होना ही चाहिये किन्तु मुझे जाकर सहयोग और समायोजन की भावना से कार्य करने तो दीजिये । इसी कारण से यह विधेयक अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है । मेरा ख्याल है कि उसे शीघ्रातिशीघ्र लोक-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

†**श्री एस० एस० मोरे :** वह विधेयक कब तक हमारे सामने आयेगा ?

†**श्री पाटस्कर :** अगले महीने मैं कलकत्ता जा रहा हूं । जहां तक बम्बई उच्च न्यायालय का सम्बन्ध है, लगभग आधा कार्य पूरा किया जा चुका है ।

†**सभापति महोदय :** असल उद्देश्य तो समस्त देश के लिये एक एकरूपेण विधि और एक एकीकृत विधिजीवी परिषद् बनाना ही है । जब तक यहां इन अधिनियमों को बैधता दी जा रही है, तब तक उस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते ।

†**श्री पाटस्कर :** मैं लोक-सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि मैंने उस विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है । मैं उसी को कर रहा हूं । मैं दो या तीन बार बम्बई जा चुका हूं और कलकत्ता के विधि-जीवियों तथा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिये वहां भी जाने का विचार कर रहा हूं । मैं कुछ कठिनाइयों की वजह से अभी तक वहां नहीं जा पाया हूं ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विधि-जीवी परिषद् अधिनियम, १९२६ में संशोधन करने वाली कुछ राज्य विधियों का मान्यीकरण करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १—(संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया : पृष्ठ १, पंक्ति ४ में, "1955" ["१९५५"] के स्थान पर "1956" ["१९५६"] रखा जाये ।

—[श्री पाटस्कर]

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"खण्ड १, संशोधित रूप में, खण्ड २ और अनुसची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, खण्ड २ और अनुसूचित विधेयक में जोड़ दिये गये

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया : पृष्ठ १, पंक्ति १ में, "Sixth Year" ["छठवें वर्ष"] के स्थान पर शब्द "Seventh Year" ["सातवें वर्ष"] रखा जाये ।

—[श्री पाटस्कर]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह ह :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, और नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में

और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री पाटस्कर :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

यह एक बहुत सीधा सा विधेयक है । माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, स्वेच्छा से अपने समूचे वेतन के एक भाग का परित्याग करने पर भी, आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत भत्तों और उसे मिलने वाली परिलब्धियों सहित अपने समूचे वेतन पर आय-कर तथा अधि-कर देने पड़ते हैं । इसीलिये सन् १९५० में एक अधिनियम पारित किया गया था कि जिस के द्वारा वेतन के परित्यक्त भाग को आय-कर से विमुक्ति दी गई थी ।

कुछ पद ऐसे हैं जिन की उपलब्धियां संविधान और केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियमों द्वारा निश्चित कर दी गई हैं । हमें परामर्श दिया गया है "वेतन" में भत्ते और परिलब्धियां शामिल नहीं हैं । इसलिये, यदि भत्ते परत्यक्त भी कर दिये जाते हैं—वह भत्ते जो संविधान अथवा केन्द्रीय या राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत दिये जाते हैं—तो यदि उस पद पर आसीन व्यक्ति अपने समूचे भत्ते या परिलब्धि को अथवा उसके एक भाग को ही परित्याग करने की इच्छा रखता या उनका परित्याग कर दे, तो भी क्योंकि वह उसके पद से सम्बन्धित अधिनियम द्वारा निश्चित कर दिये गये हैं, इसलिये वह उन पदों पर आसीन व्यक्तियों को देय होते ही हैं । चूंकि हमें यह परामर्श दिया गया है कि "वेतन" में भत्ते और उपलब्धियां शामिल नहीं होंगे, इसीलिये हमने उसकी व्यवस्था करने के लिये ही इस विधेयक को रखा है । मुझे विश्वास है कि लोक-सभा इस साधारण से विधेयक से सहमत होगी ।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : मुख्य अधिनियम के पारित होने के बाद से कितने व्यक्तियों ने अपने वेतनों के किसी भाग का परित्याग किया है ?

†**श्री एम० सी० शाह :** भत्तों के भी परित्याग को शामिल करने के लिये अधिनियम को संशोधित करने वाला यह विधेयक हमने अभी ही प्रस्तुत किया है । संविधान तथा केन्द्र तथा राज्यों के अधिनियमों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, राज्यपालों ....

†**सभापति महोदय :** वह केवल यही जानना चाहते हैं कि कितनों ने स्वेच्छा से अपने वेतनों का परित्याग किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एम० सी० शाह :** राष्ट्रपति ने परित्याग किया है। और यदि मुझे ठीक-ठीक स्मरण है, तो १९५० में अधिनियम के पारित होने पर कुछ मंत्रियों ने भी अपने वेतनों में से २५० या ५०० रुपयों का परित्याग किया था। इस सूचना को संशोधित किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति ने अपने समस्त भत्तों का परित्याग कर दिया है।

†**श्री एस० एस० मोरे :** यदि सम्भव हो तो उन सभी व्यक्तियों के नामों की जिन्होंने स्वेच्छा से परित्याग किया है एक पूरी सूची सदस्यों में परिचालित कर दी जाय। उसमें यह भी उल्लिखित हो कि किस ने वेतन के कितने भाग का परित्याग किया है। जिस से कि हम अन्य व्यक्तियों से भी अपने वेतन का परित्याग करने को कह सकें।

†**सभापति महोदय :** यह अन्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।

†**श्री एम० सी० शाह :** मेरे माननीय मित्र श्री मोरे को इसके बारे में शायद कुछ ग़लतफ़हमी है। वर्तमान भारतीय आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत, संविधान या केन्द्रीय राज्यों के किसी अधिनियम के द्वारा जब भी किसी एक पद के लिये कोई वेतन निश्चित किया जाता है, तो उन वेतनों पर, परित्यक्ता कर दिये जाने पर भी, आय कर लगता है। इसीलिये, यह केन्द्र द्वारा पारित किये गये कुछ अधिनियमों पर ही लागू होता है। इसका अर्थ है कि यह केन्द्र के मंत्रियों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, और 'क' तथा 'ख' राज्यों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और मन्त्रियों पर ही लागू होता है। यह अन्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। यह केवल उन पदों पर ही लाग होता है जिन की उपलब्धियां किसी अधिनियम या संविधान द्वारा निश्चित की गई हैं। उन पदों पर आसीन संविधान या अधिनियम द्वारा विहित समस्त उपलब्धियां लें या चाहे न लें उन पर आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर तो लगता ही है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने का कारण यही है। प्रश्न यह नहीं है कि अब सभी अधिकारियों के पास जाकर उनसे वेतन-परित्याग के लिये कहा जाय। उस दशा में, वेतनों का परित्याग नहीं होगा, बल्कि वेतन कम कर दिये जायेंगे।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ —(संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया : पृष्ठ १, पंक्ति ४ में,

"1955" ["१९५५"] के स्थान पर "1956" ["१९५६"] **रखा जाय।**

—[श्री एम० सी० शाह]

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, संशोधन रूप में,

विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया : पृष्ठ १, पंक्ति १ में,

"Sixth Year" ["छठवें वर्ष"] के स्थार पर शब्द "Seventh Year" ["सातवें वर्ष"] रखा जाये।

—[श्री एम० सी० शाह]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र, संशोधन रूप में,

विधेयक में ज़ोड़ दिया गया ।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री एम० सी० शाह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** मैं, माननीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की ओर से, प्रस्ताव करता हूं कि विश्वविद्यालयों में सहकार्य और मान दण्डों को निर्धारित करने के हेतु तथा इस प्रयोजन के लिये एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये इन संशोधनों पर विचार किया जाय।

खण्ड २

(१) कि पृष्ठ २, पंक्तियां ७–८ में,

"On the recommendation of" ["की सिफारिश पर"] शब्दों के स्थान पर, "in consultation with" ["के साथ परामर्श करके"] शब्द रखे जायें ।

खण्ड ५

(२) कि पृष्ठ २, पंक्ति ३६ में, शब्द "number" ["संख्या"] के स्थान पर, "Total number" ["कुल संख्या"] शब्द रखे जायें ।

लोक-सभा को स्मरण होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन २३ नवम्बर, १९५५ को इस सभा में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था और २८ नवम्बर को कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ विधेयक को पारित किया गया था । इस सभा द्वारा पारित रूप में, वह विधेयक राज्य सभा को भेज दिया गया था । राज्य सभा ने ७ दिसम्बर, १९५५ की अपनी बैठक में इसे दो संशोधनों के साथ पारित किया ये दो संशोधन इस प्रकार हैं ।

राज्य सभा ने पहला संशोधन खण्ड २, उपखण्ड (च) में किया है । लोक-सभा द्वारा पारित इस उपखण्ड में 'विश्वविद्यालय' शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई थी ।

'विश्वविद्यालय' से आशय उस विश्वविद्यालय से है जो किसी केन्द्रीय प्रान्तीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित या निगमित किया गया हो, और उसमें ऐसी संस्थायें भी शामिल हों, जिन्हें सम्बन्धित विश्वविद्यालय की सिफारिश पर आयोग ने अधिनियम के अन्तर्गत इस बारे में बनाये गये विनियमों के अनुसार मान्यता दे दी हो ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० एम० एम० दास]

इस उपखण्ड का मुख्य उद्देश्य यही था कि सम्बद्ध और अंगभूत कालिजों को भी धन उपलब्ध होने पर अनुदान दे सकने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत लाया जाय। परिभाषा से ही यह स्पष्ट है कि किसी विश्वविद्यालय के किसी सम्बद्ध और अंग भूत कालेज को अनुदान देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसे एक विश्वविद्यालय जैसी मान्यता दे सकता है। इसके लिये केवल एक शर्त का पूरा होना आवश्यक है। वह शर्त यह है कि सम्बन्धित विश्वविद्यालय विद्यालय अनुदान अयोग से यह सिफारिश करे की वित्तीय सहायता देने के लिये उस एक कालिज को—चाहे वह सम्बन्धित कालिज हो या एक अंगभूत कालिज हो विश्वविद्यालय मान लिया जाय, राज्य सभा में इस उपखण्ड पर चर्चा होते समय, माननीय सदस्यों ने महसूस किया कि यह तो उचित तथा न्यायपूर्ण था कि इस मामले में सम्बन्धित विश्वविद्यालय की बात पर ध्यान दिया जाय, लेकिन साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि अनुदान देने के लिये किसी भी सम्बद्धित या अंग भूत कालेज को विश्व-विद्यालय की तरह मान्यता देने में अन्तिम निर्णय और उपक्रमण करने का अधिकार भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ही प्राप्त रहना चाहिये। तदनुसार, इस उपखण्ड में "की सिफारिश पर" शब्दों के स्थान "पर के साथ परामर्श करके" शब्द रख दिये गये थे।

राज्य सभा ने दूसरा संशोधन खण्ड ५, उपखण्ड (२) के परादिक में किया है। मैं जहां तक जानता हूं, इस संशोधन से उस खण्ड के उपबन्धों में कोई ठोस परिवर्तन नहीं होता, वह खण्ड के अर्थ को अधिक स्पष्ट रूप में समझने और राज्य सभा के माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में रह जाने वाली किसी भी अस्पष्टता को दूर करने में अवश्य ही सहायता देता है। लोक-सभा द्वारा पारित उपबन्ध से यह स्पष्ट नहीं था कि यह परादिक समूचे उपखण्ड (२) पर लागू होता है, या केवल उपखण्ड (२) की तीसरी मत ही पर। जो भो हो, संयुक्त समिति के प्रतिवेदन से यह तो स्पष्ट था कि प रादिक का आशय यह था कि उपखण्ड (२) की मद (ग) में निश्चित की गई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शेष सदस्यों की संख्या में से कम से कम आधी संख्या गैर-सरकारी सदस्यों की हो। राज्य सभा के सदस्यों ने अपने विचार से इसी को ठीक समझा और यही निर्णय किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुछ सदस्यों में कम से कम आधे सदस्य गैर-सरकारी हों। इस निर्णय के अनुसार ही, विधेयक के पृष्ठ २, पंक्ति ३६ में "संख्या" शब्द के पहले "कुल" शब्द जोड़ा गया था।

मैं ने इस सम्मानीय सभा के सामने उन दो संशोधनों के प्रकार, विषय और निहित अर्थ को स्पष्ट कर दिया है, जो राज्य सभा ने इस विधेयक को पारित करते समय इसमें किये थे। मुझे आशा है कि यह लोक-सभा इनसे सहमत होगी और इन दो संशोधनों को स्वीकार कर लेगी।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। क्या इस दूसरे संशोधन का अर्थ यह है कि विश्वविद्यालय की सिफारिश न होने पर भी कालिजों को अनुदान दिया जा सकेगा और क्या आयोग सिफारिश के विरुद्ध भी कोई निर्णय कर सकता है? इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। इस संशोधन से अनुदान देने का क्षेत्र और भी व्यापक हो जाता है।

†**डा० एम० एम० दास** : मैं सम्बद्धित कालेजों के सम्बन्ध में माननीय सदस्या की चिन्ता को समझता हूं। प्रश्न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपे जाने वाले वित्त और संशोधनों का ही है। यदि निधि को देखते हुए गुंजाइश होगी, तो आयोग बड़ी खुशी से सम्बद्धित और अंग भूत कालिजों को उनकी इच्छित वित्तीय सहायता देगा। लेकिन असल बात तो यही है कि अभी इस समय पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं हैं। इस उपबन्ध के द्वारा हमने कालिजों को बाद में शामिल कर सकने की गुंजाइश रख छोड़ी है। यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समझता है कि किसी संस्था या अंग भूत कालिज को कुछ वित्तीय सहायता देना उचित है, तो वह उसे सहायता दे सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : यदि यह संशोधन स्वीकृत किया जाता है तो स्पष्ट ही है कि इसका और कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकेगा। स्पष्ट है कि आयोग विश्वविद्यालय की सिफारिश मानने को बाध्य नहीं रहेगा और स्वतन्त्र रूप से भी अनुदान दे सकेगा। माननीय सदस्या यही जानना चाहती हैं कि माननीय मंत्री इसका क्या अर्थ लगाते हैं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा भी विचार यही है कि इस संशोधन से सरकार को विश्वविद्यालय की सिफारिश न मानने का अधिकार मिल जायेगा। यह ठीक नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किये जाते समय ही परामर्श किया जा सकता है। सिफारिश कर दिये जाने पर, उसे नामंजूर करने का अधिकार आयोग को नहीं होना चाहिये। मैं इसका समर्थन तो कर सकती हूं कि बिना सिफारिश के भी सरकार कुछ कालिजों को अनुदान दे सके। मैं केवल इसी से सहमत हो सकती हूं।

†**डा० एम० एम० दास** : जहां तक इस संशोधन विशेष का प्रश्न है, "की सिफारिश पर" शब्दों के स्थान पर "के साथ परामर्श करके" शब्द रखे जा रहे हैं। आयोग को किसी खास संस्था को अनुदान देने के लिये विश्वविद्यालय से परामर्श करना पड़ेगा और उसकी राय पर विचार करना पड़ेगा, लेकिन आयोग विश्वविद्यालय के निर्णय या दृष्टिकोण से बाध्य नहीं रहेगा। आयोग को अनुदान देने या न देने का पूरा अधिकार रहेगा।

†**सभापति महोदय** : मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विश्वविद्यालयों में सहकार्य और मान-दण्डों को निर्धारित करने के हेतु तथा इस प्रयोजन के लिये एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये इन संशोधनों पर विचार किया जाय !

खण्ड २

(१) कि पृष्ठ २, पंक्तियों ७-८ में,

"on the recommendation of" ["की सिफारिश पर"] शब्दों के स्थान पर, "in consultation with" ["के साथ परामर्श करके"] शब्द रखे जायें।

खण्ड ५

(२) कि पृष्ठ २, पंक्ति ३६ में,

"number" ["संख्या"] के स्थान पर, total number ["कुल संख्या"] शब्द रखे जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**डा० एम० एम० दास** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों को स्वीकार किया जाय।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों को स्वीकार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**डा० एम० एम० दास** : मैं कुछ छोटी-मोटी बातों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करता हूं। अधिनियमन सूत्र के शब्दों "छठवें वर्ष" के स्थान पर "सातवें वर्ष" शब्द रखने पड़ेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० एम० एम० दास]

इसके अतिरिक्त पृष्ठ १, पंक्ति ६ में वर्ष १९५५ के स्थान पर वर्ष १९५६ रखना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष की ओर से, आप इसे स्वीकार कर सकते हैं।

†**सभापति महोदय** : यह केवल एक आनुषांगिक संशोधन है, जो राज्य सभा में इसके पारित हो जाने पर सभापति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

†**डा० एम० एम० दास** : मैं समझता हूं कि इन दोनों मामलों पर यहां विचार करना सम्भव नहीं है। इसे अध्यक्ष महोदय ही कर सकेंगे।

†**सभापति महोदय** : नियम १३० के अन्तर्गत, इसे अध्यक्ष महोदय ही करेंगे। अब हम कार्य-सूची के अन्य विषयों को लेंगे।

भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारतीय रेडक्रास सोसायटी अधिनियम, १९२० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

इस सम्मानित लोक-सभा के सम्मुख इस विधेयक को प्रस्तुत करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें रेडक्रास निधि में से पाकिस्तान का देय हिस्सा उस देश को देना है। अगस्त १९४७ में भारत का विभाजन हो जाने के परिणाम स्वरूप रेडक्रास सोसायटी अधिनियम, १९२० में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ताकि भारतीय रेडक्रास सोसाइटी को यह अधिकार प्राप्त हो जाय कि वह पाकिस्तान रेडक्रास सोसायटी के साथ मूल राशि तथा अन्य सम्बन्धित राशियों का वंटवारा कर सकें और दोनों सोसायटियों द्वारा परस्पर सम्मत शर्तों के अनुसार पाकिस्तान को उसका उचित अंश हस्तांतरित कर दे और साथ पाकिस्तान के क्षेत्रों के सम्बन्ध में भारतीय रेडक्रास सोसायटी इस अधिनियम द्वारा लगाये गये सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाये। यही इस विधेयक का मुख्य प्रयोजन है।

चूंकि विधेयक का संशोधन इस सम्बन्ध में भारतीय रेडक्रास सोसायटी के उत्तर-दायित्वों को पूरा करने के लिये करना है अतः रेडक्रास सोसायटी की कार्यकारिणी ने भी इस अवसर पर लाभ उठाकर वर्तमान अधिनियम की धारा ५ में कुछ मामूली संशोधन किये हैं जिससे कि सारे देश में रेडक्रास सेवाओं के शांतिपूर्ण विकास के लिये राज्यों में शाखाओं द्वारा अंगीकृत प्रक्रिया तथा प्रबन्ध पर मूल संस्था का कुछ हद तक नियन्त्रण रह सके और भारतीय संघ के बाहर के राज्य क्षेत्रों में स्थापित सोसायटियों को अपने से सम्बद्ध करने का भी अधिकार सोसायटी को होगा ?

मैं बताना चाहती हूं कि सिक्कम की रेडक्रास सोसायटी ने भारतीय रेडक्रास सोसायटी से सम्बद्ध कर लिये जाने की प्रार्थना की है। हम ऐसा करना पसन्द करेंगे पर जब तक हम इस संशोधन में विशेष में इस बात को न रखें हम ऐसा नहीं कर सकते। इसमें कोई विवादास्पद बात नहीं है।

अभी मुझे एक माननीय सदस्य का एक संशोधन मिला है जिस में उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि हम उल्लिखित राशि भारत सरकार के नाम क्यों न हस्तांतरित कर दें और उससे प्रार्थना करें कि वह उक्त राशि को पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान रेडक्रास सोसायटी को उस राशि में से दिलवा दें जो पाकिस्तान सरकार को भारत सरकार को देनी है। इस विधेयक को इस सभा में लाने के पूर्व मैं ने वित्त मंत्रालय और विधि मंत्रालय से इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में परामर्श किया था और हम इन निश्चय पर पहुंचे कि इस विधेयक में जिस प्रक्रिया के अपनाये जाने का प्रस्ताव किया गया है वही सब से अच्छी प्रक्रिया थी। अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं और चूंकि वह अभी-अभी प्राप्त हुआ है अतः नियमानुकूल भी नहीं है। इस सम्बन्ध में मुझे केवल यही कहना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने हमें बताया है कि एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि पाकिस्तान को दिया जाने वाला रैडक्रास सोसायटी का धन भारत सरकार को क्यों न सौंप दिया जाये और भारत सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ इसका समायोजन करे । पास्किातन से हमें बहुत कुछ लेना है और इसमें हमें बड़ी कठिनाई हो रही है । ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान रेड क्रास सोसायटी को ४४ लाख रुपया देकर उदारता दिखाना कुछ ठीक नहीं होगा जब कि पाकिस्तान सरकार अपने व्यापारियों तक को भारत में ५० रुपये से अधिक नहीं लाने देती ।

अतः माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये और यह ४४ लाख रुपया भारत सरकार को दे दिया जाना चाहिये ।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : क्या संशोधन प्रस्तुत किया जा चुका है ?

†**सभापति महोदय** : संशोधन का अभी-अभी सुझाव दिया गया है । माननीय मंत्री ने इसे स्वीकार नहीं किया है । अतः मैं संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति नहीं दे सकता ।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई—उपनगर) : मैं विधेयक का समर्थन करती हूं । मैं रैडक्रास सोसायटी द्वारा किये गये काम की सराहना करती हूं । यह संस्था विभिन्न देशों में सद्भावना और शांति स्थापित करने का निरन्तर प्रयत्न कर रही है । मेरे विचार में हमें यह रुपया पाकिस्तान को दे देना चाहिये ।

खण्ड ५ में राजकुमारी जी ने जिस संशोधन का सुझाव दिया है वह भी वांछनीय है । बाढ़ आ जाने की स्थिति में या दुर्भिक्ष काल में रैडक्रास सोसायटी को आपातकालीन सेवायें करनी पड़ती हैं और इसके लिये सोसायटी की विभिन्न शाखाओं पर समुचित नियन्त्रण होना आवश्यक है । अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करती हूं । और सोसायटी द्वारा कोरिया में किये गये कार्य की सराहना करती हूं । मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई है कि हम इस विधेयक द्वारा अपने पड़ोसियों से सद्भावना का वातावरण पैदा करने जा रहे हैं ।

†**डा० रामा राव** : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें आज प्रातः ही पता चला कि यह विधेयक आज की कार्य सूची में रखा गया है ।

†**सभापति महोदय** : यह विधेयक १७ तारीख की कार्यसूची में था तब माननीय सदस्य अपना संशोधन भेज सकते थे ।

†**डा० रामा राव** : संशोधन स्वीकार न किया जाये वह अलग बात है परन्तु इस आधार पर उसे अस्वीकृत करना कि इसकी सूचना आज ही दी गई है ठीक नहीं होगा क्योंकि मुझे आज ही पता चला कि इस विधेयक पर आज चर्चा की जानी है ।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री ने इस संशोधन पर विचार किया और उचित आधारों पर इसे अस्वीकृत किया परन्तु लोक-सभा के नियमों के अनुसार मैं संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की आज्ञा नहीं दे सकता । वैसे मैं संशोधन के महत्व को समझता हूं । अतः, वह इस पर भाषण दे सकते हैं ।

†**डा० रामा राव** : विधेयक के बारे में मेरा संशोधन बड़ा साधारण सा है । मैं भुगतान करने पर आपत्ति नहीं करता या उसमें कोई कमी करने के लिये नहीं कहता । मुझे तो भुगतान करने के ढंग पर आपत्ति है । भारत और पाकिस्तान सरकारों को दो बैंक मान लिया जाये और यह राशि भारत सरकार

†मूल अंग्रेजी में

[डा० रामा राव]

को दे दी जाये जो कि पाकिस्तान में जमा कर दी गई समझी जाये। सरकार को यह सुझाव अवश्य मान लेना चाहिये। वैसे मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

†**पंडित श्री० एस० मालवीय** (रायसेन) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यद्यपि मैं संशोधन के राजनैतिक महत्व को समझता हूं परन्तु रैडक्रास सोसायटी कोई राजनैतिक संस्था नहीं है। यह धन घायल और अपंग व्यक्तियों की सेवा के लिये है अतः इसके राजनैतिक पहलू को नहीं लेना चाहिये। पाकिस्तान सरकार के साथ हमारा मतभेद है न कि वहां के लोगों से अतः मैं निवेदन करता हूं कि इसके राजनैतिक पहलू पर जोर न दिया जाये। हमें सर्वसम्मति से विधेयक का समर्थन करना चाहिये।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : सभापति महोदय, जहां तक इस विधेयक की मंशा का ताल्लुक है वह बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य है। इंडियन रेडक्रास सोसायटी की स्थापना एक बहुत बड़े उद्देश्य को ले कर की गई थी और मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि यह अपने काम में सफल रही है।

इस बिल के द्वारा जनता से जो पैसा मेडिकल और दूसरी किस्म की इमदाद देने के लिये इकट्ठा किया जाता है उसको ठीक तरह से रख कर इंडियन रेडक्रास सोसायटी द्वारा समाज उपयोगी कामों में लाने की व्यवस्था करना है। फर्स्ट वर्ल्ड वार (पहले महायुद्ध) के दौरान में जो पैसा मेडिकल ऐड और दूसरे सहायता कार्यों के लिये इकट्ठा किया जा रहा था उसका सारा इन्तजाम एक कमेटी के हाथ में था और वह कमेटी ज्वाइंट वार कमेटी (संयुक्त युद्ध समिति) के नाम से मशहूर थी और उसके साथ में और भी दूसरी रेड्क्रास कमेटियां थीं। इन सब कमेटियों का यह पैसा था और हिन्दुस्तान में जो उस वक्त यहां पर कमेटी थी उसके हाथ में जब कि हिन्दुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब यह सारा पैसा था और एक कमेटी उसका इन्तजाम करती थी। अब चूंकि देश का बंटवारा हो चुका है इसलिये यह जरूरी हो गया है कि इंडियन रेडक्रास सोसायटी ऐक्ट, १९२०, को अमेंड किया जाय ताकि इंडियन और पाकिस्तान रेडक्रास सोसायटी के बीच फंड्स का बंटवारा हो जाय और इसी मकसद को लेकर यह अमेंडिंग बिल लाया गया है। यह पैसा उन गरीब लोगों के लिये है जो बीमार रहते हैं और उनके बच्चों की परवरिश करने के लिये है, यह पैसा जो बीमार लोग हैं अथवा घायल लोग हैं उन लोगों को जरूरत के वक्त सहायता के तौर पर दिया जाता है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये कि पाकिस्तान रेडक्रास सोसायटी का जो ४४,००,२१२ रुपये ५ आने और १० पाई हमें देना है वह उनको ट्रांसफर कर दिया जाय। इसके साथ ही साथ १-७-४८ से जो भी इंटरस्ट (ब्याज) वाजिब आया होगा वह भी हमको उनको देना चाहिये।

रेडक्रास सोसायटी द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है और उसके द्वारा लड़ाई में घायल हुए आदमियों की चिकित्सा और उनकी गैरहाजिरी में उनके बच्चों की परवरिश और देख-भाल करने का काम भी शामिल है और इसी तरह के अन्य और भी समाज उपयोगी सेवायें इस सोसायटी के द्वारा की जाती हैं।

मंत्री महोदय यह जो संशोधन विधेयक सदन के सम्मुख लाये हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं और सदन को इसे पास करना चाहिये।

†**डा० सुरेश चन्ना** (औरंगाबाद) : मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक सदस्य इस संशोधक विधेयक का समर्थन करता है। मैं निर्दिष्ट संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि इससे एक जनोपयोगी कार्य में राजनीति को घसेड़ा जा रहा है। भारतीय रैडक्रास ने जो महान कार्य किया है और जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है हम उसमें गर्व का अनुभव करते हैं।

यह ४४ लाख रुपया निर्धन और पीड़ितों पर खर्च किया जाना है। इसलिये मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और रेडक्रास सोसायटी की इस अमूल्य सेवा की प्रशंसा करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला—भटिंडा) : मैं भी रैडक्रास सोसायटी द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा करता हूं। मेरे मन में भी पहले ऐसे विचार उत्पन्न हुए थे परन्तु मैं ने सोचा कि हमें पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान रेडक्रास सोसायटी को एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिये और सम्भवत: सरकार ने भी इसी आधार पर यह निश्चय किया है। परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि क्या भारत सरकार ने स्वयं ही यह निश्चय किया या पाकिस्तान से की गई बातचीत के परिणाम स्वरूप ऐसा किया गया। जिस भावना से भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से व्यवहार करती रही है वह प्रशंसनीय है चाहे वह प्रत्येक बात के लिये हमें इनकार ही करती आई है। मैं उन सिद्धांतों की प्रशंसा करता हूं जिन पर यह विधेयक आधारित है।

†**राजकुमारी अमृतकौर** : जो प्रश्न उठाये गये हैं मैं केवल उन्हीं के बारे में कुछ शब्द कहूंगी। यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं थी पर मैं ने निवेदन किया है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकती। परन्तु मैं नहीं चाहती कि कोई सदस्य यह महसूस करे कि देर से भेजे जाने के कारण ही संशोधन पर मैंने विचार नहीं किया है।

मेरे माननीय मित्र सरदार हुक्म सिंह ने पूछा है कि क्या भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच कोई वार्तालाप हुआ था, या सदा की तरह ही उसने इनकार किया, या हम ने उदारता से यह काम किया है जैसे कि हम प्राय: पाकिस्तान के लिये करते हैं। पाकिस्तान रेडक्रास सोसायटी के प्रतिनिधि मुझ से कई बार मिले हैं। हम ने कई बार इस पर चर्चा की है। पंजाब और बंगाल रेडक्रास सोसायटियों की निधियों से सम्बन्धित कुछ मामलों पर विवाद चल रहा था और इन के सम्बन्ध में हमने मैत्रीपूर्ण समझौता कर लिया है। हम दोनों का विचार था कि इस विषय का सरकारी स्तर पर निर्णय न किया जाये क्योंकि रेडक्रास न केवल भारतीय बल्कि विश्व भर के जीवन में महान और उच्च भावनाओं का प्रतीक है। बहुत से सदस्यों ने इंडियन रेडक्रास को श्रद्धांजली अर्पित की है और मैं उनकी आभारी हूं। रेडक्रास की भावना भी कोई चीज है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संसार के राष्ट्रों में इंडियन रेडक्रास भी सर ऊंचा उठा कर चल सकता है। हमें कई वर्ष से अन्तर्राष्ट्रीय समितियों में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है और इसका कारण यह है कि हम अपने आदर्श को सामने रखते हैं। एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि यह भारत सरकार के पाकिस्तान सरकार के परामर्श से कोई निर्णय करने की बात नहीं है बल्कि पाकिस्तान रेडक्रास सोसायटी के प्रति भारतीय रेडक्रास सोसायटी अर्थात् पाकिस्तान की जनता के प्रति भारतीय जनता के दायित्वों का प्रश्न हैं। मेरे लिये यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय सदस्यों द्वारा विधेयक का समर्थन किया गया है।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि भारतीय रेडक्रास सोसायटी अधिनियम, १९२० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ८—(नई धारा १३) का रखा जाना।

संशोधन किया गया : पृष्ठ २ पंक्ति ४० में

"1955" ["१९५५"] के स्थान पर "1956" ["१९५६"] रखा जाये।

—**[राजकुमारी अमृतकौर]**

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदाद हुक्म सिंह** : पृष्ठ २ पंक्ति २९ में "पाकिस्तान रेडक्रास सोसायटी" अधिनियम १९२० का उल्लेख किया गया है मेरा विचार है कि इसके स्थान पर भारतीय रेडक्रास सोसायटी अधिनियम, १९२० होना चाहिये ।

†**राजकुमारी अमृतकौर** : यह "भारतीय रेडक्रास सोसायटी अधिनियम, १९२०" ही होना चाहिये । मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ २, पंक्ति २९ में :

शब्द "Pakistan" ["पाकिस्तान"] के स्थान पर शब्द "Indian" ["भारतीय"] रखा जाये ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ट २, पंक्ति २९ में

शब्द "Pakistan" ["पाकिस्तान"] के स्थान पर शब्द "Indian" ["भारतीय"] शब्द रखा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड ८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ९, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची तथा तृतीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खण्ड १ (संक्षिप्त नाम)

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति १ में :

शब्दों "Sixth year" ["छटे वर्ष"] के स्थान पर "Seventh year" ["सातवां वर्ष"] शब्द रखे जायें ।

[राजकुमारी अमृतकौर]

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**राजकुमारी अमृतकौर** : म प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत) निधि हस्तांतरण विधेयक

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)**: मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि सेंट जान एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत) की निधि के कुछ भाग के सेन्ट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (पाकिस्तान) के हस्तांतरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

विभाजन के फलस्वरूप भारतीय रेडक्रास संस्था की निधि को भारत और पाकिस्तान में बांटना आवश्यक हो गया है। सेन्ट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत), जो कि एक पृथक् अपंजीबद्ध संस्था है, भारतीय रेडक्रास संस्था का एम्बुलेंस विभाग (डिवीजन) है। अप्रैल, १९४८ और अप्रैल, १९५३ में दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों की दो बैठकों में जो आपस में निर्णय किये गये थे उनके अनुसार सेन्ट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (पाकिस्तान) को निधि का जो अंश दिया जाता है, यह विधेयक उसे हस्तांतरित करने के लिये भारतीय संस्था को प्राधिकृत करेगा।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़)**: क्या स्वास्थ्य मंत्री के लिये यह बताना सम्भव हो सकेगा कि इस विधि को बनाना आवश्यक क्यों है ? सेन्ट जान एम्बुलेंस एसोसिएशन एक अपंजीबद्ध संस्था है और इसके लिये किसी विधान की आवश्यकता नहीं है। क्या यह निधि पाकिस्तान को पहले ही हस्तांतरित नहीं की जा चुकी है और क्या यह विधान केवल एक घटनोत्तर विधान नहीं है ?

†**राजकुमारी अमृतकौर** : जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं, सेन्ट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, भारतीय रेडक्रास संस्था का केवल एक एम्बुलेंस विभाग (डिवीजन) है। सेन्ट जॉन एम्बुलेंस एसोसियेशन (भारत) निधि का हस्तांतरण विधेयक, १९५५ यहां इसलिये पुरःस्थापित किया गया था क्योंकि यह निधि रेडक्रास निधि का ही एक अभिन्न भाग है। इस बात के बावजूद कि रेडक्रास का एम्बुलेंस विभाग (डिवीजन) एक अपंजीबद्ध संस्था है, इन के साथ सदैव ऐसा ही व्यवहार किया जाता रहा है। हमने यह अनुभव किया कि संसद की अनुमति से उचित ढंग से निधि हस्तांतरित करने के लिये एक अधिनियम बनाना ही अच्छा है।

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : क्या ऐसा इसलिये नहीं किया जा रहा है कि हमारी संस्था सभी उत्तरदायित्वों से उन्मोचन प्राप्त करना चाहती है ताकि हमें अपना जो अंश देना है उसके सभी उत्तरदायित्वों से हम निबटारा पा लें और किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी या दावा न रहे ?

†**सभापति महोदय** : इसके आगे आप खण्ड २ में एक और बात देखेंगे ".....सेन्ट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत) के पास वह जिन प्रयोजनों के लिये था उन पर व्यय किये जाने के लिये"।

†**सरदार हुक्म सिंह** : फिर ".....और सभी आभारों से मुक्त होने....."

†**राजकुमारी अमृतकौर** : यही इसका तात्पर्य है।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या यह धन पहले ही दिया जा चुका है ?

†**राजकुमारी अमृतकौर** : जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सेन्ट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत) की निधि के कुछ भाग के सेन्ट जॉन एम्बुलेंस एसोसियेशन (पाकिस्तान) को हस्तांतरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ और अनुसूची

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा): जिस रूप में विधेयक है मैं उसी रूप में उसका समर्थन करता हूं । यदि इन संस्थाओं को पाकिस्तान सरकार से रुपया न मिले तो हम बाद में उन्हें दे सकते हैं । हमें कम से कम पाकिस्तान सरकार से हमारी निधि में से धन देने के लिये कहना चाहिये । यदि पाकिस्तान सरकार हमारी ओर से धन दे दे तो हमारी समस्या का समाधान हो जायेगा । रेडक्रास या सेन्ट जान एम्बुलेंस एसोसिएशन को एक पाई की हानि न हो, मैं इस पक्ष में हूं । मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ और अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १

संशोधन किया गया : पृष्ठ १ पंक्ति ४ में

"1955" ["१९५५"] के स्थान पर "1956" ["१९५६"] रखा जाये ।

—[राजकुमारी अमृतकौर]

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया : पृष्ठ १, पंक्ति १ में

"Sixth year" ["छठे वर्ष"] के स्थान पर "Seventh year" ["सातवें वर्ष"] रखा जाय ।

—[राजकुमारी अमृतकौर]

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, तथा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**राजकुमारी अमृतकौर** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)**: मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

मेरे विचार में लोक-सभा के सभी सदस्य अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था की रचना सम्बन्धी योजना से परिचित हैं। पिछले तीन या चार वर्षों से हमारे आय-व्ययक में इसके लिये धन नियत किया जाता रहा है। वास्तव में कोलम्बो योजना के अधीन न्यूजीलैंड सरकार के १,२५०,०००,००० पौण्ड के उदार दान के ही फलस्वरूप भारत सरकार इस संस्था का निर्माण कार्य आरम्भ करने के योग्य हुई है। स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये और हमारे देश में चिकित्सा शिक्षा के ऊंचे स्तर बनाये रखने के लिये मेरा यह एक चिर आकंक्षित स्वप्न रहा है कि भारत में इस प्रकार की हमारी एक संस्था होनी चाहिये जिस में हमारे युवकों और युवतियों को अपने ही देश में स्नातकोत्तर शिक्षा मिल सके और साथ ही उन्हें गांवों में किये जाने वाले सेवा कार्य का अनुभव हो सके और चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में गवेषणा करने के लिये स्फूर्त्ति मिल सके। चिकित्सा शिक्षा—इसके सिद्धांत और उसका व्यवहार—अन्य भौतिक और रोगाणु विज्ञानों के अंशदानों के उपभोग पर आधारित है । इन दोनों क्षेत्रों में बराबर जो प्रगति जारी है उसके कारण आधुनिक चिकित्सा प्रणाली ने भी, जहां तक निदान का और रोग के उपचार और निवारण का सम्बन्ध है, कार्य कुशलता का स्तर ऊंचा उठाने और साथ ही सकारात्मक स्वास्थ्य के बढ़ाने की दिशा में महान् उन्नति की है। इसलिये अधिकांशत: चिकित्सा शिक्षा का कार्य, जहां तक सम्भव हो, इस नये ज्ञान का उपयोग करके भावी चिकित्सकों को प्रशिक्षण देना है। जहां तक चिकित्सा शिक्षा का सम्बन्ध है, जनता के स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टि कोण से देश की विशेष आवश्यकताओं के ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है । उदाहरण स्वरूप हमारे अपने देश में, और साधारणतया एशियाई देशों में, रोग और कष्टों के ऐसे कारणों को जो दूर किये जा सकते हैं; विभिन्न रूपों में बराबर बने रहना, एक ऐसा विषय है जिस पर रोग निवारण के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । भविष्य का चिकित्सा देश की खुशहाली में अपने अंश के रूप में किस हद तक योग देता है यह भी इस बात पर निर्भर है कि वह किस हद तक समुदायिक दृष्टिकोण और जनता की सेवा को अभिलाषा अपनाता है । और फिर चिकित्सा शिक्षा पर संसार के सभी प्रगतिशील राष्ट्रों में पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। अमेरिका सोवियत रूस संघ, स्कैन्डीनेविया में और ब्रिटेन में भी चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ किया जा रहा है, और इसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल ढालने के लिये भविष्य के चिकित्सक को समुदाय के कल्याण में अपना पूर्ण योग देने लायक बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिये, जो विभिन्न कार्यवाहियाँ की जा रही है उन्हें देखने का हाल में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। संसार के दूसरे भागों में विकास का जो विशाल और स्थिर कार्यक्रम चल रहा है, भारत उससे पृथक् नहीं रह सकता । इस अखिल भारतीय संस्था की स्थापना का उद्देश्य उन प्रयोजनों को पूरा करना है । जो मैंने अभी बताये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[राजकुमारी अमृतकौर]

यह संस्था कैसे कार्य करेगी इसके ब्योरे में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है । सर्वप्रथम एक चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा जो बहुत ही सीमित और कम संख्या में विद्यार्थियों को स्नातक पूर्व शिक्षा देगा । संस्था में मुख्य रूप से स्नातकोत्तर शिक्षा और विशिष्ट अध्ययन पर बल दिया जायेगा क्योंकि आज कितने ही राज्यों की चिकित्सा कालिज खोलने की इच्छा को पूरा करने में हमारी असमर्थता का एक कारण शिक्षकों का अभाव है । चिकित्सा कालिजों के लिये शिक्षक प्राप्त करना हमारे लिये बहुत ही कठिन हो रहा है और इस चिकित्सा संस्था का एक मुख्य कर्त्तव्य इन कालिजों के लिये शिक्षक तैयार करना होगा । मैं सदस्यों को बता दूं कि जब राज्य चिकित्सा कालिज खोलने के लिये कहते हैं तब लगभग सदा ही उन्हें कालिज चलाने के लिये निवृत्त कर्मचारियों का आश्रय लेना पड़ता है । हम कब तक निवृत्त कर्मचारियों पर भरोसा करते रहेंगे ? यह परम आवश्यक है कि हम अत्यधिक योग्य युवक और युवतियां तैयार करें जो विशेष रूप से हमारी शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं का प्रबन्ध संभालने योग्य हों । जैसा कि मैं ने कहा है, यह मांग बहुत ही आवश्यक है । अब मैं इस संस्था की एक या दो विशेष बातें बताऊंगी ।

चिकित्सा कालिजों में चिकित्सकों को निजी वृत्ति की अनुमति देने की जो प्रथा जारी है इसने मेरे विचार में कालिजों में ठोस पढ़ाई और गवेषणा, दोनों के विकास पर हानिकर प्रभाव डाला है । मुझे मालूम है बहुत से व्यक्ति, विशेष रूप से चिकित्सा व्यवसाय के व्यक्ति मुझ से मतभेद रखते हैं । इस लिये इस संस्था में, जो हमारे देश में और एशिया में अपने ढंग की सर्वप्रथम संस्था है, किसी भी प्रकार की निजी वृत्ति की मनाही करना, और चिकित्सकों को, उन्हें निजी वृत्ति से आय न होने के रूप में होने वाली हानि की पूर्त्ति के लिये, यथोचित उच्च वेतन देना इस संस्था की एक विशिष्टता होगी । यदि चिकित्सकों को अधिक वेतन दिया जाये तो वे सन्तोष से जीवन व्यतीत कर सकेंगे और अपना सारा समय न केवल अध्यापन कार्य के विकास में, न केवल हस्पतालों में आने वाले रोगियों की सेवा में, बल्कि गवेषणा में भी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बिता सकेंगे ।

फिर सभी कर्मचारियों और विद्यार्थियों को संस्था की सीमा के भीतर ही रखा जायेगा । संस्था के क्षेत्र के विकास का कार्य शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है और मैं लोक-सभा के सभी सदस्यों का, जो वहां जाना चाहें, स्वागत करूंगी । वे स्वयं आकर देख सकते हैं कि यह काम कैसा चल रहा है ।

†**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : यह कहां पर है ?

†**राजकुमारी अमृतकौर :** यह दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे से बिल्कुल आगे स्थित है ।

मैं यह भी अनुभव करती हूं कि शिक्षकों और विद्यार्थियों को कालिज की सीमा के भीतर रख कर हम अपने देश की परम्परागत रीति का अनुसरण करेंगे और उससे लाभ उठायेंगे । यह है गुरु शिष्य का नाता जिस पर मेरे विचार में उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि दिया जाना चाहिये था । और फिर मैं यह भी चाहती हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहे वह स्नातकोत्तर हो या स्नातक पूर्व ग्रामीण केन्द्रों में और साथ ही नगरों में—नगर और ग्राम दोनों में—स्वास्थ्य कार्य में सम्मिलित होने के पर्याप्त अवसर मिल सकें । मैं चाहती हूं कि विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में भी उन व्यक्तियों के स्वास्थ्य का कुछ उत्तरदायित्व संभाले और उन से मिलें जिन्हें बाद में उनके संरक्षण में सौंपा जायेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस से उन में, उनके वृत्ति काल के आरम्भ में ही समुदाय-दृष्टिकोण बढ़ेगा और उपक्रमण तथा अवलोकन की शक्तियां और उनसे निष्कर्ष निकालने की शक्तियां भी जाग्रत होंगी ।

दो वर्ष हुए जब मैं अमेरिका में थी तो मैं एक बात से बहुत प्रभावित हुई थी, मैंने चतुर्थ वर्ष के एक विद्यार्थी को, जो कि अभी अर्ह नहीं हुआ था, उसे सौंपे गये एक केस का पूर्व वृत्तांत बताते हुए सुना

---

†मूल अंग्रेजी में

था । अमेरिका में जब विद्यार्थी किसी कालिज में अपने अध्ययन के अन्तिम वर्ष में हों तो उन पर काफी अधिक उत्तरदायित्व डाला जाता है ।

इस संस्था को एक विश्वविद्यालय के अधिकार और कृत्य दिये जायेंगे क्योंकि, जैसी कि मुझे आशा है, यह सम्भवतः पाठ्यक्रम में और साथ ही अध्यापन ढंग में क्रांतिकारी परिवर्तन लायेगी । इसीलिये मैं अनुभव करती हूं इस संस्था को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय का पद देने से इसे अपने द्वार से उत्तीर्ण हो कर बाहर जाने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देने की अनुज्ञा मिल जायेगी । निःसंदेह उस संस्था में प्राप्त की गई अर्हता को अभिज्ञात किया जायेगा और भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में सम्मिलित किया जायेगा । इस सम्बन्ध में मैं शीघ्र ही इस सभा में एक संशोधन पुरःस्थापित करने की भी आशा करती हूं ।

भारत सरकार अपनी नियम बनाने की शक्तियों के द्वारा इस सम्बन्ध में जो भी न्यूनतम नियन्त्रण रखे, उसके अधीन रहते हुए संस्था काफी हद तक स्वायत्तता का उपभोग करेगी ताकि वह अपने उन उद्देश्यों को पूरा कर सके—वे बहुत ही सुन्दर उद्देश्य हैं—जिन्हें मैं ने इस संक्षिप्त सर्वेक्षण में बताने का प्रयत्न किया है । निःसंदेह भारत सरकार संस्था के संधारण के लिये पर्याप्त धन देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगी, परन्तु मुझे आशा है कि इस लोकोपकारी लोग भी जैसा कि वे प्रायः करते रहते हैं, संस्था की सहायता करने के लिये आगे बढ़ेंगे । क्योंकि रोगी और दुखी मानवों की सेवा करने की भावना सदा ही सहायता करने वालों को प्रभावित करती रही है ।

संस्था का भविष्य अन्ततः निदेशक प्राध्यापकों और अन्य अध्यापन कर्मचारियों और विद्यार्थियों के हाथों में होगा । मुझे आशा है कि उनकी कर्त्तव्य परायणता, अपने काम को बढ़ाने की इच्छा और परार्थ की भावना व्यक्तिगत भावनाओं पर विजय पायेगी । मैं समझती हूं कि चिकित्सा की वृत्ति में संलग्न व्यक्तियों को, जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, उन्हें पूरा करने के लिये ऐसा ही करना चाहिये जिससे अन्त में ऐसा वातावरण पैदा हो सके जो इस प्रकार की संस्था के लिये आवश्यक है ।

अतः आज मैं संसद् की स्वीकृति के लिये यह विधेयक प्रस्तुत करने में यह आशा अवश्य करती हूं कि बनने वाला विधानीय ढांचा इस संस्था में चिकित्सा शिक्षा के उत्तम ढंगों के बढ़ते हुए विकास को सुविधाजनक बना देगा । मैं यह भी आशा करती हूं कि इसके प्रभाव के द्वारा देश भर में स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के वृत्तिक प्रशिक्षणों के स्तर ऊंचे हो जायेंगे ।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं लोक-सभा से इस विधेयक की स्वीकृति की सिफारिश करती हूं ।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : सभापति महोदय, हेल्थ मिनिस्टर महोदया ने जो भाषण दिया है, उसकी एक कापी हमको मिलनी चाहिये ।

†**राजकुमारी अमृतकौर :** मैंने जो कहा था उसकी मेरे पास कोई प्रतिलिपि नहीं है ? हां, मेरे पास केवल कुछ टिप्पणियां हैं । अगर आनरबेल मेम्बर चाहें तो वह किसी वक्त मेरे पास आ जायें, मैं उनको बता दूंगी कि मैंने क्या कहा है ।

†**डा० सुरेश चन्द्र :** वह तो रिकार्ड में मिल जायेगा ।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : मैं इस विधेयक का सहर्ष समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री स्नातक पूर्व विद्यार्थियों के लिये इरविन अस्पताल में एक अलग चिकित्सा कालिज खोल सकेंगी । मैं समझता हूं कि इस संस्था का अभिप्राय यह है कि हमारे कम से कम डाक्टरों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिये विदेशों में जाना पड़े और वे सारी सुविधायें यहां ही दी जायें ताकि

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० रामा राव]

विश्वविद्यालय के विभिन्न चिकित्सा कालिजों को केन्द्रीय संस्था के अच्छे शिक्षित और अच्छे प्रशिक्षत व्यक्ति मिल सकें। निश्चय ही, यह एक बहुत अच्छी बात है। परन्तु मैं माननीय मंत्री से यह बात स्मरण रखने का निवेदन करता हूं कि आजकल तो साधारण शिक्षा की भी बहुत कम सुविधा है। प्रवेश पाने की बहुत कम सम्भावना है और जिन स्नातकों को प्रशिक्षण दिया जाता है उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है। अतः, मैं आशा करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री अभी से एक अलग चिकित्सा कालिज बनाने के इस प्रस्ताव पर विचार करेंगी।

स्वास्थ्य मंत्री को आशा है कि इस संस्था से क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। हमें आशा है कि इस संस्था से बहुत ही कुशल स्नातकोत्तर प्रविधिक व्यक्ति तैयार होंगे। मैं निवेदन करता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन यह होना चाहिये कि चिकित्सा कालिज की फीसें एवं व्ययों को न्यूनतम बना दिया जाये। अतः, मैं आशा करता हूं कि जो शिक्षा दी जायेगी वह बहुत ही ऊंचे स्तर की होगी और अधिक महंगी न होगी।

मैं नहीं जानता कि स्नातक-पूर्व विद्यार्थियों को मानव शास्त्र की शिक्षा देने का उपबन्ध क्यों किया जा रहा है। यद्यपि मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मैं महसूस करता हूं कि यह आवश्यक नहीं है। हम बहुत ही अनुभवी व्यक्तियों को इस संस्था का प्रभारी बनायेंगे और मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि वे साधारण रूप में इस संस्था का विकास करेंगे और अनुभव से इसे प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण बना देंगे।

इस विधेयक के पुरःस्थापन के लिये मैं मंत्री को बधाई देता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर) : आरम्भ में मैं पूर्ववक्ता की इस बात के बारे में कि स्नातक-पूर्व विद्यार्थियों को मानव शास्त्र की शिक्षा देना आवश्यक नहीं है, यह कहना चाहता हूं कि प्रविधिक और चिकित्सा संस्थाओं में मानव शास्त्र की कुछ शिक्षा का दिया जाना आवश्यक है ताकि वे मानव गुणों को समझ सकें।

विधेयक के खण्ड ४ में संस्था की रचना का उपबन्ध किया गया है। परन्तु हम यह नहीं जानते कि संस्था के सदस्यों में कितने सदस्य सरकारी और कितने गैर-सरकारी होंगे। मैं चाहता हूं कि गैर-सरकारी सदस्यों की बहुसंख्या हो। इस संस्था में नियुक्त किये जाने के लिये बहुत से गैर-सरकारी डाक्टर और वैज्ञानिक प्राप्त हो जायेंगे। मेरा विचार है कि गैर-सरकारी सदस्यों की बहु संख्या रखना एक अच्छी प्रथा है, क्योंकि इससे यह बात सुनिश्चित हो जायेगी कि संस्था में ऐसे लोग न हों जो दिये गये आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे।

खण्ड १३ में उपबन्ध किया गया है कि संस्था नई दिल्ली में स्थित होगी। भारत एक बड़ा देश है और दिल्ली बिल्कुल ही उत्तर में है। अतः यह आवश्यक है कि हम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की मद्रास, कलकत्ता और बम्बई जैसे नगरों में व्यवस्था करें ताकि उन प्रदशों में भी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था हो सके। खण्ड १५ के उपखण्ड (च) में चिकित्सा विज्ञानों के अध्ययन के लिये बहुत सी संस्थाओं के संस्थापन का उल्लेख किया गया है। अस्पतालों का होना आवश्यक है। फिर, एक दन्त चिकित्सा कालिज, एक नरसिंह कालिज और ग्रामीण एवं नागरिक स्वास्थ्य संस्थाओं के संस्थापन का उपबन्ध है। नई दिल्ली में इन सब की व्यवस्था करना बहुत कठिन होगा।

खण्ड १९ के उपखण्ड (४) में कहा गया है कि संस्था के लेखे संसद् के समक्ष रखे जायेंगे। परन्तु खण्ड २० में कहा गया है कि संस्था अपनी कार्यवाहियों का एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और निर्धारित तारीख को या उससे पहिले सरकार को दे देगी। यदि लेखे के प्रतिवेदन प्रस्तुत न किया

†मूल अंग्रजी में

जाये तो स्वयं लेखे का कोई महत्व नहीं है । अतः मैंने इस उपबन्ध में संशोधन करके ऐसा बना दिया है कि संस्था अपनी कार्यवाहियों के एक वार्षिक प्रतिवेदन सहित अपने लेखे सरकार को प्रस्तुत करेगी और सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी एवं संस्था को लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि भेजेगी ताकि संस्था उस प्रतिवेदन से उत्पन्न होने वाले विषयों पर आवश्यक कार्यवाही कर सके । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री यह संशोधन स्वीकार करेंगी ।

†**राजकुमारी अमृतकौर :** खण्ड १९ (४) में उपबन्ध किया गया है कि संस्था के लेखे और लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन साथ-साथ केन्द्रीय सरकार को भेजे जायेंगे और वे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेंगे । अतः लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का पहिले से ही उपबन्ध है । क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि खण्ड २० के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिवेदन भी संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाये ?

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** मैं यही तो चाहता हूं ।

†**राजकुमारी अमृतकौर :** हम इसे खण्ड २० में आसानी से इस प्रकार रख सकते हैं :

> "संस्था अपनी कार्यवाहियों का एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और उसे नियमों द्वारा निर्धारित तारीख को या उससे पहिले केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा वह प्रतिवेदन संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।"

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संस्था में विद्यार्थियों का प्रवेश कैसे होगा। आप जानते हैं कि हम यह चाहेंगे कि प्रवेश योग्यता के आधार पर हो ताकि देश के सर्व श्रेष्ठ पुरुष और स्त्रियां इस संस्था में प्रवेश प्राप्त कर सके । परन्तु मेरा ख्याल है कि देश के प्रदेशों के विकास में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रादेशिक आधार पर कुछ अनुपात निश्चित किया जाना चाहिये ताकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों से प्रत्येक प्रदेश को लाभ पहुंच सके । यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस के बारे में माननीय मंत्री तत्काल ही कोई विनिश्चय कर सकती हैं । इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करें ताकि यह मामला बाद में यथासम्भव सन्तोषजनक रूप में तय हो सके । इसके अतिरिक्त, माननीय मंत्री ने कहा था कि विद्यार्थी अभ्यास भी करेंगे । यह बात सभी प्रविधिक संस्थाओं पर लागू होती है । परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि कालिज में ही यह कार्य कैसे किया जा सकता है । यह जब ही हो सकता है जब कि लोगों को उन क्षेत्रों में भेजा जाये जहां वह अनुभव उपलब्ध हो ।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई उपनगर) : यह विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये मैं माननीय मंत्री को बधाई देती हूं और इस संस्था के संस्थापन के लिये न्यूजीलैंड की सरकार ने हमारे देश को जो अनुदान दिया है उसके लिये उसे अपनी सरकार की ओर से धन्यवाद देती हूं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने बहुत से स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की है और इस काम के लिये कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है । कुशल कर्मचारियों के उपलब्ध होने के लिये यह आवश्यक है कि स्नातकोत्तर और स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिये संस्थायें बनाई जायें । मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्था के संस्थापित होने से इस आवश्यकता की पूर्त्ति हो जायेगी । परन्तु अन्य सदस्यों की भांति मैं भी माननीय मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि वह देश में नर्सिंग तथा अन्य कामों की आवश्यकता की पूर्त्ति करने वाली अन्य संस्थाओं को भी मान्यता दें । मुझे हर्ष है कि यह संस्था ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थायें बनाकर ग्रामीण जनता की भी सेवा करेंगी । मुझे आशा है कि इस संस्था के संस्थापन से गांवों की वर्तमान आवश्यकतायें पूर्ण हो जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती जयश्री]

मैं एक बार फिर माननीय मंत्री को इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि सरकार इस संस्था को पर्याप्त अनुदान देगी।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा मध्य) : मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो विधेयक स्वास्थ्य मंत्रिणी जी ने लोक-सभा के सामने रखा है, और जिसके जरिये से एक अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान की संस्था का निर्माण किया जा रहा है उसका उद्देश्य बहुत अच्छा है और मैं समझता हूं कि सभी लोग इस का स्वागत करेंगे। लेकिन यह जान कर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ है कि इतनी बड़ी संस्था के निर्माण के लिये जो यह विधेयक लाया गया है उसके साथ-साथ कोई योजना अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। इस विधेयक पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्रिणी जी ने जो कुछ कहा है उस में भी वे इस बात की कोई रूप रेखा हमारे सामने नहीं रख सकी हैं। यद्यपि मोटे तौर पर सभी बातें इस विधेयक में रखी गई हैं लेकिन इस संस्था के निर्माण में प्रथम पांच वर्षों में आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय सरकार की क्या जिम्मेदारी होने जा रही है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। संस्था के उद्देश्य ठीक हैं, उसके ऊपर काफी जिम्मेदारी डाली जा रही है। इस बात की आवश्यकता भी है कि अखिल भारतीय आधार पर इस संसद में निर्णय हो कि हिन्दुस्तान में चिकित्सा सम्बन्धी मान क्या हों। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है जितनी बड़ी संस्था का निर्माण होने जा रहा है उसके अनुसार जो बनी बनाई योजना होनी चाहिये थी कि प्रथम वर्ष में इस संस्था का क्या-क्या काम होगा, कितने रुपये की आवश्यकता होगी, संसद् को कितने रुपये देने की आवश्यकता पड़ेगी, उसका यहां पर अभाव है। इस विधेयक के उद्देश्य जितने अच्छे हैं उतनी गहराई के साथ उसकी योजना पर विचार नहीं किया गया है। अगर हमारे मंत्रालय ने इस योजना पर अच्छी तरह से विचार किया होता और इसकी रूपरेखा हमारे सामने रखी जाती कि इस वर्ष हम क्या कर सकेंगे और अगले पांच वर्षों में हम क्या-क्या करने वाले हैं, तो अधिक अच्छा होता। जो संस्था के उद्देश्य हम ने रखे हैं उनमें से किन-किन उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे, किन-किन संस्थाओं का निर्माण कर सकेंगे, अगर यह दिया गया होता तो मेरा ख्याल है कि हम इस सदन को ज्यादा अच्छी तरह से इसको समझा सकते। इतनी बड़ी संस्था का निर्माण किया जा रहा है, और मैं उसका विरोध न करके स्वागत ही करता हूं, समर्थन भी करता हूं, लेकिन इस योजना पर अच्छी तरह से विचार करने की लोक-सभा के सामने कोई स्कीम आनी चाहिये थी।

डा० सुरेश चन्द्र : फाइनैन्शियल मेमोरैन्डम (वित्तीय ज्ञापन) में यह दिया हुआ है।

श्री श्रीनारायण दास : मेरे मित्र कहते हैं कि फाइनैन्शियल मेमोरैन्डम में दिया हुआ है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : आप जरा अच्छी तरह से उसको पढ़िये तो।

श्री श्रीनारायण दास : मैंने फाइनैन्शियल मेमोरैन्डम को बड़े गौर से पढ़ा है। उस में कुछ भी नहीं है। किसी बात का भी निर्देश नहीं है, इस संस्था का तो जिक्र भी नहीं है। १९५५–५६ का बजट है जिस प्रकार आम तौर से बजट हुआ करता है, इस संस्था का तो वहां कहीं नामोनिशान भी नहीं है कि इस तरह की संस्था के लिये रुपया खर्च किया जायेगा, इसलिये या तो रिऐप्रोप्रिएशन (पुनर्विनियोग) से हो या फिर एक डिपार्टमेंट (विभाग) का खर्च दूसरे डिपार्टमेंट में डाल कर काम चलाया जा सकेगा। मेरा कहना यही है कि जल्द से जल्द इस संस्था का निर्माण होने जा रहा है, उस के बड़े-बड़े सदस्य होंगे, लेकिन उन्हीं सदस्यों के ऊपर इस की जिम्मेदारी होगी कि इस संस्था की योजना की रूपरेखा तैयार करें और देश के सामने या संसद् के सामने रखें, तब कहीं इस संसद् को उस पर विचार करने का मौका मिलेगा। मैंने जब अखबार में पढ़ा और इस की चर्चा सुनी कि केन्द्रीय सरकार इस तरह की संस्था का निर्माण करने के लिये बिल प्रस्तुत करने वाली है तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं समझता था कि बिल पेश करने के समय से पूर्व योजना पर अच्छी तरह से विचार कर लिया जायेगा। अगर ऐसा होता तो हम इस पर और अच्छी तरह विचार कर सकते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संस्था का उद्देश्य बहुत अच्छा है और हो सकता है कि इस बिल में संशोधन करने की गुंजाइश अधिक न हो, फिर भी मैं कहता हूं कि इस तरह के बिल पर पहले प्रवर समिति में विचार कर लेना चाहिये, क्योंकि भले ही इस में ज्यादा समय लगाने की जरूरत न हो फिर भी जिस नई संस्था का निर्माण होने जा रहा है उसका निर्माण होने के साथ-साथ हम अपना लाखों रुपया उस को, सुपुर्द करने जा रहे हैं। उस के सम्बन्ध में जो बिल है उसको इस कारण से अवश्य ही सेलेक्ट कमेटी को अच्छी तरह से विचार करने के लिये दिया जाना चाहिये था। इतनी जल्दबाजी में विचार करने से हो सकता है कि विधेयक में कोई त्रुटि रह जाय। अगर यह सेलेक्ट कमेटी में जाता, तो वहां पर हम अच्छी तरह से विचार कर के उसमें सुधार ला सकते थे।

इस सम्बन्ध में मुझे दूसरा आश्चर्य यह हुआ है कि इस संसद् के सदस्यों की जो बिजिनेस ऐडवाइज़री कमेटी (कार्य मंत्रणा समिति) हम ने बनाई है उसने भी इस विधेयक के लिये इतना थोड़ा समय दिया। इतने महत्वपूर्ण विधेयक के लिये जिस में कि हम एक नई संस्था का निर्माण करने जा रहे हैं विचार करने के लिये केवल एक घंटे का समय पर्याप्त नहीं है।

दूसरे अफसोस की बात यह है कि हम सब लोग यह जानते थे कि शनिश्चर को संसद् की बैठक नहीं हो रही है और जो बिल आर्डर पेपर पर रखे गये हैं उन पर विचार नहीं होगा, क्योंकि सोमवार से हम राष्ट्रपति के भाषण पर विवाद करेंगे। उस पर विवाद समाप्त होने पर ही इन बिलों पर विचार किया जायेगा।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य ने समय नियतन पर आपत्ति की थी ?

श्री श्रीनारायण दास : जी, नहीं।

†**सभापति महोदय** : तो अब इसे क्यों उठा रहे हैं ?

श्री श्रीनारायण दास : मैं ने बाई दि वे कहा है, इस पर विचार करना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : सारी सभा ने समय के इस नियतन को स्वीकार किया था।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : कार्य मंत्रणा समिति में क्षमा के अधिकाधिक प्रतिभाशाली सदस्य हैं।

श्री श्रीनारायण दास : ठीक है, मैं समझता हूं कि अगर इस विधेयक पर कुछ और अधिक मौका मिलता तो अच्छा होता। मैं ऐतराज तो नहीं करता, लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और अगर इस पर कुछ और समय मिलता तो और अच्छी तरह से विचार हो सकता था।

इस विधेयक के सम्बन्ध में सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संस्था के जो सदस्य होने जा रहे हैं उन को चुनाव की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर ही होने वाली है। अभी जितनी शिक्षा संस्थायें चिकित्सा के सम्बन्ध में हैं, जितनी युनिवर्सिटीज हैं, अगर उनके प्रतिनिधि इस संस्था में होते तो अच्छा होता। इस में इंडियन साईंस कांग्रेस एसोसिएशन के प्रतिनिधि तो लिये गये हैं मगर जहां तक मेरा ख्याल है इस में उन युनिवर्सिटीज के प्रतिनिधियों को जिन के अन्डर कि चिकित्सा की शिक्षा संस्थायें चल रही हैं, लिया जाना चाहिये था।

कुछ माननीय सदस्य : वह भी हैं।

श्री श्रीनारायण दास : अगर इस में यह दिया गया है तो यह इत्तफाक करने की चीज है। हम सब चाहते हैं कि जितनी युनिवर्सिटियां हैं, जिन के नीचे चिकित्सा की शिक्षा दी जा रही हैं, उनके प्रतिनिधि इस में जरूर हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्रीनारायण दास]

मैं इस बात को कबूल करता हूं कि मैंने इस विधेयक को जितनी गौर से पढ़ना चाहिये था उतने गौर से नहीं पढ़ा है। जितनी दिलचस्पी मुझे लेनी चाहिये थी, उतनी दिलचस्पी के साथ मैंने उसको नहीं पढ़ा है, हालांकि मैं इस मामले में बहुत दिलचस्पी रखता था, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जायेगा, तो उस में सुधार की आशा की जा सकती है। लेकिन चूंकि जितना समय इस के लिये दिया जाना चाहिये था उतना नहीं दिया गया, इसलिये मैं इस समय कोई सुझाव का प्रस्ताव नहीं दे सकता। मुझे उम्मीद है कि दूसरे सदस्य अगर कोई सुझाव दे सकेंगे तो अवश्य देंगे। खास कर के जो रूल्स और रेगुलेशन्स (नियमों और विनियमों) में संशोधन करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया गया है उन संशोधनों की जिम्मेदारी को निभाने के लिये सरकार पूरी तरह से विचार करेगी। संस्था के निर्माण में जिन रूल्स और रेगुलेशन्स के जरिये डेलिगेटेड पावर्स (प्रत्यायोजित शक्तियां) दी जाती हैं, मैं समझता हूं कि उन रूल्स और रेगुलेशन्स पर भी, जो संस्था द्वारा या सरकार द्वारा निर्मित किये जायेंगे, पूरी तौर से विचार किया जायेगा। इतनी बड़ी संस्था का जो निर्माण होने जा रहा है उस का भार ऐसे योग्य हाथों में दिया जाय जो उस संस्था के आदर्श को अच्छी तरह से स्थापित कर सकें और इस संस्था के प्रति जो जिम्मेदारी उनको दी जा रही है उसको वे पूरी तरह से निभा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री मोहन लाल सक्सेना** (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी): मैं आरम्भ में ही स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि मैं न तो इस विधेयक का ही स्वागत कर सकता हूं और न ही आज के कार्य के लिये माननीय मंत्री को बधाई दे सकता हूं। मैं माननीय मंत्री को याद दिलाता हूं कि पिछली बार जब उन्होंने दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियन्त्रण) विधेयक पुरःस्थापित किया था, उस समय भी उन से यह अनुरोध किया गया था कि ऐसे विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपा जाना आवश्यक है। मुझे खेद है कि अब भी उन्होंने एक ऐसा विधेयक पुरःस्थापित किया है। इस विधेयक के खण्ड ५ में कहा गया है कि संस्था राष्ट्रीय महत्व की संस्था होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे उपबन्ध हैं जो अन्य संविधियों के उपबन्धों को निरर्थक बनाते हैं उदाहरणार्थ, यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस संस्था का अध्यक्ष होगा उसे संसद् का सदस्य बनने के लिय पद धारण करने की अनर्हता से छूट दे दी जायेगी। ऐसे और भी उपबन्ध हैं।

माननीय मंत्री कहती हैं कि उन्होंने विदेशों का भ्रमण किया है और वह वहां की शिक्षा के स्तर से बहुत प्रभावित हुई हैं। अतः वह यह संस्था स्थापित करेंगी। मैं यह उनसे पूछना चाहता हूं कि वह इन गवेषणाओं के परिणामों से हमारे जनसाधारण को लाभ पहुंचाने में कितना समय लेंगी। इस बारे में गांधी जी ने कहा है कि यदि जन साधारण को दो वर्षों में गवेषणा के परिणाम प्राप्त न हो सकें, तो गवेषणा एक क्षति है। इसके अतिरिक्त, यह संस्था चिकित्सा विज्ञानों की संस्था होगी। परन्तु 'चिकित्सा विज्ञानों' में आयुर्वेद, होम्योपैथी और अन्य देशीय चिकित्सा प्रणालियां सम्मिलित न होंगी। उसमें केवल 'ऐलोपैथी' ही सम्मिलित होगी। हमारे लिये यह एक खेद और लज्जा का विषय है कि हम आयुर्वेद को चिकित्सा की वैज्ञानिक प्रणाली नहीं मानते, और विशेषकर ऐसे समय में जब कि अन्य देशों के लोग इस प्रणाली की ओर झुकने लगे हैं।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करें कि ठीक स्थिति क्या है?

†**राजकुमारी अमृतकौर** : यह आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की संस्था है और इस में और कोई प्रणाली सम्मिलित नहीं हो सकती।

†**श्री मोहन लाल सक्सेना** : स्वास्थ्य मंत्री ने चीन से आने के पश्चात् कहा कि वह चीन में मखियों के मारने की प्रणाली से प्रभावित हुई हैं इसलिये वह प्रणाली यहां भी प्रचलित करना चाहती

†मूल अंग्रेजी में

हैं। परन्तु उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही भुला दिया कि चीन में देशी और ऐलोपैथिक प्रणालियों का किस प्रकार पूर्ण समन्वय किया गया है।

हाल ही में, अधिकारियों की गलितयों के कारण राजधानी में पीलिया रोग इतना भयानक रूप धारण कर गया था, और ऐलोपैथिक प्रणाली ने घोषित कर दिया था कि उसके पास इस रोग का निवारण करने के लिये कोई औषधि नहीं है, तब आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रणालियों ने हजारों रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया।

यदि चिकित्सा विज्ञान की इसी संस्था में आयुर्वेद को स्थान न मिला तो विदेशों में इस की मान्यता होने की कोई आशा नहीं की जा सकती।

सरकार कई बार निश्चय कर चुकी है कि कुछ संस्थाओं और कार्यालयों को दिल्ली से बाहर अन्य स्थानों पर भेजा जाये। परन्तु फिर भी स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में ही इतनी बड़ी यह संस्था स्थापित करने जा रही हैं। जब हम वर्तमान जन संख्या के आवास का ही उचित प्रबन्ध नहीं कर सकते तब अन्य संस्थाओं और लोगों को यहां लाना कितना आपत्तिजनक काम है।

स्वास्थ्य मंत्री ने जो चित्र खींचा है उससे यह पता नहीं चलता कि इस पर कितना धन लगेगा। आयोजन के इस युग में जब हम जनता से आयोजन के लिये धन बचाने का अनुरोध कर रहे हैं, इमारतों पर इतना भारी खर्च करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। क्या शिमला आदि स्थानों पर इमारतों की कमी है? फिर इमारतों के निर्माण पर इतना अधिक खर्च करने का क्या आवश्यकता है? मैं आशा करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री आश्वासन देंगी कि इस कार्य के लिये इतने अधिक धन की आवश्यकता नहीं होगी।

सभा की यह प्रथा रही है कि इतने भारी खर्च वाले प्रस्ताव की जांच वित्त समिति या अन्य किसी समिति के द्वारा की जाती है। कम से कम मंत्री महोदया को इसे प्रवर समिति को भेजने के लिये कहना चाहिये था। इस विधेयक के सम्बन्ध में इस प्रकार जल्दी करना उचित नहीं है। इस विधेयक के लिये बहुत कम समय नियत किया गया है। स्वयं कार्य मंत्रणा समिति के एक सदस्य इसे रेडक्रास आदि से सम्बन्धित विधेयकों के समान विवाद हीन विषय समझते रहे हैं; फिर अन्य सदस्यों से इस के बारे में अधिक ज्ञान की क्या आशा की जा सकती है?

मैं इस बात का एक बार फिर जोरदार विरोध करता हूं कि चिकित्सा विज्ञानों में आयुर्वेद, होम्योपैथी और देशी प्रणालियां सम्मिलित नहीं की गई हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि योजना आयोग की इस सिफारिश का क्या हुआ है कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली की सुविधाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं इस प्रकार की अव्यवस्था का जोरदार विरोध करता हूं।

†**सभापति महोदय** : कई सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं और सभा देर तक भी बैठना नहीं चाहती, इसलिये इस विधेयक सम्बन्धी चर्चा २० तारीख या और किसी दिन के लिये स्थगित कर दी जानी चाहिये। मैं संसद् कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह इसके लिये २० तारीख को एक घण्टा निर्धारित कर सकते हैं।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : यदि सभा इस चर्चा को बढ़ाना चाहती है और २० तारीख को आध घण्टा अधिक बैठने को तैयार है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उस दिन विधेयक पारित भी हो जायेगा।

†**सभापति महोदय** : चूंकि यह स्वीकार कर लिया गया है कि इस विधेयक पर चर्चा २० फरवरी को साढ़े पांच बजे से साढ़े छः बजे तक के लिये स्थगित कर दी जाये, लोक-सभा सोमवार के ११ बजे तक के लिये स्थगित होती है।

[इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २० फरवरी, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई]।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ... ६७

इक्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ

पारित किये गये विधेयक ६७–१०७, ११०–१७

(१) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक ।

(२) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विधिजीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक ।

(३) स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक ।

(४) भारतीय रेडक्रास सोसायटी (संशोधन) विधेयक ।

(५) सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोशिएशन (भारत) निधियों का हस्तान्तरण विधेयक ।

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत हुए १०७–१०

लोक-सभा द्वारा पारित रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किये गये दो संशोधनों पर विचार हुआ और उन्हें स्वीकृत किया गया।

विधेयक पर विचार ११७–२५

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था पर विचार किया गया। विचार करने का प्रस्ताव असमाप्त रहा।

सोमवार, २० फरवरी, १९५६ की कार्यावली––

राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक पर विचार ।

M76LSD—190—20-9-57—GIPF.